



मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

अक्तूबर
2025



अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1.....	3
● इतिहास.....	3
● भूगोल.....	6
● भारतीय विरासत और संस्कृति.....	9
● भारतीय समाज.....	10
सामान्य अध्ययन पेपर-2.....	13
● राजनीति और शासन.....	13
● अंतर्राष्ट्रीय संबंध.....	19
● सामाजिक न्याय.....	26
सामान्य अध्ययन पेपर-3.....	28
● अर्थव्यवस्था.....	28
● जैव विविधता और पर्यावरण.....	35
● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.....	36
● आंतरिक सुरक्षा.....	42
● आपदा प्रबंधन.....	43
सामान्य अध्ययन पेपर-4.....	46
● केस स्टडी.....	46
● सैद्धांतिक प्रश्न.....	58
निबंध.....	70

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के आदर्शों, विशेषतः अशोक के 'धम्म' और शाही सत्ता का प्रतिनिधित्व किया, इस पर चर्चा कीजिये।
(150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मौर्यकालीन कला और संस्कृति के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर लिखना आरंभ कीजिये।
- इसके पश्चात् मौर्य कला में साम्राज्यीय सत्ता और केंद्रीकृत राज्य की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मौर्य काल (321-185 ईसा पूर्व) में, विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में, एक विशिष्ट साम्राज्यवादी कला शैली का उदय हुआ, जिसने न केवल सौंदर्यपरक उद्देश्यों की पूर्ति की, बल्कि राजनीतिक शक्ति और नैतिक विचारधारा को भी प्रतिबिंबित किया।

- मौर्य कला केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक और अशोक के धम्म के प्रसार का माध्यम दोनों बन गई, जिससे स्थापत्यकला शासन एवं नैतिक शासन कला के एक साधन में परिवर्तित हो गई।

मुख्य भाग:

साम्राज्यीय सत्ता और केंद्रीकृत राज्य की अंतर्दृष्टि

स्थापत्यकला/कलात्मक तत्त्व	साम्राज्यीय सत्ता की अंतर्दृष्टि
अखंड अशोक स्तंभ	एकल पाषाण स्तंभों का उत्खनन और विशाल दूरी तक परिवहन इस बात का प्रतीक था कि सत्ता केंद्रीकृत थी एवं प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ था।

पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर (मौर्यन पॉलिश)

दर्पण सदृश चमक वाला मौर्यन पॉलिश शाही वैभव, निपुणता और साम्राज्य की भव्यता को प्रदर्शित करता है तथा यह परिष्कृत, राज्य-नियंत्रित शिल्पकला की उत्कृष्टता को उजागर करता है।

स्तंभ शीर्ष (जैसे: सारनाथ का सिंह शीर्ष)

स्तंभ शिल्पों ने सम्राट के 'चक्रवर्ती' (सर्वव्यापी शासक) होने की स्थिति को प्रदर्शित किया। इनमें चार सिंहों को चारों दिशाओं की ओर मुख किये दर्शाया गया है, जो सर्वव्यापी सत्ता और व्यापक प्रभाव का प्रतीक हैं।

राजमहल और सभागृह

भव्य राजमहल (जैसे: कुम्हारार का 80 स्तंभों वाला हॉल) इस बात का संकेत देते हैं कि शासन एक सशक्त और एकीकृत राजतंत्र द्वारा संचालित था, जो विशाल संसाधनों को संगठित एवं उपयोग में लाने में सक्षम था।

अशोक के धम्म की अंतर्दृष्टि

स्थापत्यकला/कलात्मक तत्त्व	धम्म की अंतर्दृष्टि
शिलालेख और स्तंभ अभिलेख	ये 'खुले आकाश के धर्मग्रंथ' के रूप में कार्य करते थे, जिनके माध्यम से अशोक ने धम्म, अहिंसा, करुणा तथा नैतिक आचरण जैसे मूल्यों का प्रसार स्थानीय प्राकृत भाषाओं में किया।
स्तूपों का निर्माण	बौद्ध अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया, जिससे स्तूप भक्ति और नैतिक शिक्षा के केंद्र बन गए।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



शैलकृत गुफाएँ (बराबर और नागार्जुनी की गुफाएँ)	‘आजीवक’ तथा अन्य संन्यासी संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया गया, जो धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है।
राजधानियों में प्रतीकात्मकता (जैसे: धर्मचक्र)	‘धर्मचक्र’ और पशुओं के सामंजस्यपूर्ण प्रतिरूप ‘धर्म-विजय’ या ‘धर्म के द्वारा शासन’ की उस आदर्श अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं, जो हिंसात्मक विजय के स्थान पर नैतिक एवं न्यायपूर्ण शासन के प्रतीक का रूप है।

नैतिकता के माध्यम से शक्ति का समन्वय

मौर्यकालीन कला ने रूप और दर्शन का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जहाँ राजनीतिक सत्ता एवं नैतिक दृष्टि का सामंजस्य दिखाई देता है। यह इस विचार को मूर्त रूप देती है कि शक्ति का स्थायित्व केवल शासन से नहीं, बल्कि नैतिकता से भी प्राप्त होता है, जो शासन को वैधता और जनता में स्वीकार्यता प्रदान करता है।

- ❖ भारत भर में एकरूप शैलकृत स्थापत्यकला प्रशासनिक एकता का प्रतीक थी।
- ❖ शिलालेखों और प्रतीकों में निहित संदेश नैतिक शासन तथा जनकल्याण की भावना को अभिव्यक्त करते थे।
- ❖ इस प्रकार कला एक स्थायी और दृष्टिगोचर राजनीतिक माध्यम बन गई, जो साम्राज्यिक व्यवस्था को नैतिक कर्तव्य से जोड़ती थी।

निष्कर्ष:

मौर्यकालीन कला और स्थापत्य राज्य के वैचारिक समन्वय का प्रतीक थे, जहाँ राजनीतिक केंद्रीकरण एवं नैतिक सार्वभौमिकता का सामंजस्य दिखाई देता है। अपने भव्य रूप और नैतिक विषय-वस्तु के माध्यम से इन कलाकृतियों ने न केवल मौर्य शासन को वैधता प्रदान की, बल्कि विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए सामाजिक एकता और साम्राज्यिक एकात्मता की भावना को भी सुदृढ़ किया।

प्रश्न : “द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद-उन्मूलन (विउपनिवेशीकरण) एक नैतिक आत्ममंथन और सामरिक आवश्यकता दोनों थी।” परीक्षण कीजिये कि वैश्विक शक्ति संतुलन और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को किस-प्रकार प्रभावित किया। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ विउपनिवेशीकरण के ऐतिहासिक संदर्भ का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ वैश्विक शक्ति संतुलन और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने एशिया तथा अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका परीक्षण कीजिये।
- ❖ विउपनिवेशीकरण के स्थायी प्रभाव की व्याख्या करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। विउपनिवेशीकरण एक नैतिक अनिवार्यता तथा रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ आर्थिक और सैन्य रूप से अत्यंत कमजोर हो चुकी थीं, जबकि एशिया तथा अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलनों का दबाव तीव्र होता जा रहा था। इसी काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिनकी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ने ‘आत्मनिर्णय’ तथा ‘मानवाधिकार’ के सिद्धांतों को वैश्विक वैधता प्रदान की, जिससे औपनिवेशिक साम्राज्यों की वैधता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा।

मुख्य भाग:

वैश्विक शक्ति संतुलन और सामरिक विचार

- ❖ यूरोपीय शक्तियों का दुर्बल होना: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसी औपनिवेशिक शक्तियाँ द्वितीय विश्वयुद्ध में आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक दृष्टि से गंभीर रूप से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं, जिसके परिणामस्वरूप दूरवर्ती उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखना उनके लिये कठिन हो गया।

- ❖ **महाशक्तियों का उदय:** अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया, यद्यपि उनके उद्देश्य भिन्न थे— अमेरिका ने लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जबकि सोवियत संघ ने उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों को अपनी साम्राज्यवाद-विरोधी विचारधारा का हिस्सा बनाया।
- ❖ **संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दबाव:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर (वर्ष 1945) ने मानवाधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया, जिससे राष्ट्रवादी मांगों को नैतिक तथा राजनीतिक वैधता मिली।
- ❖ **शीत युद्ध की गतिशीलता:** औपनिवेशिक शक्तियाँ उन नव-स्वतंत्र राष्ट्रों का विरोध नहीं कर सकती थीं जो किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन कर सकते थे। इसलिये उपनिवेशवाद से मुक्ति न केवल नैतिक रूप से उचित थी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी आवश्यक बन गई।

एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन

- ❖ **भारत:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में चले जनांदोलनों, हड़तालों तथा असहयोग अभियानों ने ब्रिटेन को सत्ता हस्तांतरण के लिये बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ।
- ❖ **दक्षिण पूर्व एशिया:** इंडोनेशिया में सुकर्णो के नेतृत्व में डच शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला, वहीं वियतनाम में हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला युद्ध और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से फ्राँसीसी नियंत्रण को कमजोर किया।
- ❖ **क्षेत्रीय प्रतीकवाद:** इन आंदोलनों में स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध नैतिक संघर्ष और आत्मनिर्णय के अधिकार की पुनःस्थापना के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन

- ❖ **उत्तरी अफ्रीका:** मिस्र की क्रांति (वर्ष 1952) और अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम (वर्ष 1962) ने सशस्त्र प्रतिरोध तथा कूटनीतिक संवाद, दोनों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी।
- ❖ **उप-सहारा अफ्रीका:** घाना (वर्ष 1957), केन्या (वर्ष 1963) और अन्य राष्ट्रों ने राजनीतिक संगठन, जन-आंदोलन एवं अखिल-अफ्रीकी एकजुटता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की।
- ❖ **जन भागीदारी:** शहरी अभिजात वर्ग, ग्रामीण समुदायों और श्रमिक संगठनों की संयुक्त भूमिका ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी, जिससे मुक्ति संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक एवं सामाजिक आंदोलन के रूप में भी विकसित हुआ।

नैतिक अनिवार्यताएँ और रणनीतिक आवश्यकता

- ❖ **नैतिक आयाम:** द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं और मानवाधिकारों की वैश्विक चेतना ने औपनिवेशिक शासन की अन्यायपूर्ण प्रकृति को उजागर किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इन नैतिक तर्कों का उपयोग कर देश-विदेश में व्यापक समर्थन प्राप्त किया।
- ❖ **सामरिक आयाम:** यूरोपीय शक्तियाँ घटते वैश्विक प्रभाव, सीमित संसाधनों और शीतयुद्ध की जटिलताओं से जूझ रही थीं। ऐसी परिस्थिति में उपनिवेशों से मुक्ति एक व्यावहारिक एवं सामरिक समाधान सिद्ध हुई।

निष्कर्ष:

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर विउपनिवेशीकरण नैतिक आदर्शों और रणनीतिक यथार्थ के संयोग का परिणाम था। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रवादी आंदोलनों ने औपनिवेशिक शक्तियों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए वैश्विक वैचारिक प्रवृत्तियों का उपयोग किया तथा स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रक्रिया ने न केवल यूरोपीय साम्राज्यवाद के पतन को चिह्नित किया, बल्कि एक नवीन, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव रखी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और स्वरूप दोनों को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भूगोल

प्रश्न : भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण के लिये उत्तरदायी भौगोलिक कारकों पर चर्चा कीजिये। यह क्षेत्रीय विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, समझाइये ? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के वितरण के बारे में संक्षेप में बताते हुए उत्तर लिखना आरंभ कीजिये।
- ❖ भौगोलिक कारकों के कारण संसाधनों के असमान वितरण का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ क्षेत्रीय विकास पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन अपनी प्राचीन तथा विविध भू-वैज्ञानिक संरचना के कारण अत्यंत असमान रूप से वितरित हैं। इन संसाधनों का अधिकतर संकेंद्रण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। यह असमान वितरण विभिन्न भू-आकृतिक संरचनाओं, विवर्तनिक घटनाओं तथा सहस्राब्दियों से चली आ रही पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का परिणाम है।

मुख्य भाग:

असमान वितरण के लिये उत्तरदायी भौगोलिक कारक

- ❖ भूवैज्ञानिक युग और संरचना (धात्विक एवं अधात्विक खनिज)
 - ⊙ अधिकांश धात्विक और उच्च-मूल्य वाले अधात्विक खनिज का निर्माण पूर्व-पुराजीवी युग (Pre-Palaeozoic age) में हुआ था।
 - 🔍 ये प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों से संबद्ध हैं।
 - ⊙ उदाहरण के लिये छोटा नागपुर पठार (उत्तर-पूर्वी बेल्ट) लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट से समृद्ध है।
 - 🔍 इसके विपरीत, हिमालय के नवोदित वलित पर्वतों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य निक्षेप बहुत कम हैं।

❖ अवसादन और बेसिन निर्माण (कोयला)

- ⊙ भारत के 97% से अधिक कोयला भंडार गोंडवाना शैल तंत्र में संकेंद्रित हैं, जो प्राचीन वनस्पतियों के संचय और संपीड़न से अवतलित नदी घाटियों में निर्मित हुए हैं।
- ⊙ अधिकांश कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण झारखंड, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में इनका संकेंद्रण अधिक है।

❖ विवर्तनिक गतिविधि और भू-अभिनति (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस)

- ⊙ ये जीवाश्म ईंधन तृतीयक काल की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से महाद्वीपीय सीमांतों, अपतटीय क्षेत्रों एवं अग्रभूमि घाटियों में भ्रंश जालों, अपनति व अभिनति में।
- ⊙ प्रमुख भंडार अपतटीय मुंबई हाई, असम के मैदान (डिगबोई) और गुजरात तथा कृष्णा-गोदावरी बेसिन की अवसादी घाटियों में केंद्रित हैं, जिससे मुख्य भूमि का अधिकांश भाग खनिजविहीन है।

❖ उत्तरी मैदानों (जलोढ़ आवरण) का अपवर्जन

- ⊙ जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित विशाल सिंधु-गंगा मैदान में खनिज निर्माण के लिये आवश्यक विशिष्ट भूवैज्ञानिक परिस्थितियों (उच्च दाब, उच्च तापमान, विवर्तनिक तनाव) का अभाव है।
- ⊙ संपूर्ण उत्तरी मैदान महत्वपूर्ण आर्थिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों से लगभग रहित है, जिससे एक विशाल गैर-संसाधन क्षेत्र का निर्माण होता है।

❖ लैटेराइट अपक्षय (बॉक्साइट)

- ⊙ बॉक्साइट (एल्यूमिनियम अयस्क) का निर्माण पठार और पहाड़ी सतहों पर तीव्र उष्णकटिबंधीय रासायनिक अपक्षय से जुड़ा है।
- ⊙ उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट निक्षेप ओडिशा के पूर्वी घाटों और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जिससे इसका वितरण विशिष्ट जलवायु एवं स्थलाकृतिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों तक सीमित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव

❖ बढ़ती क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएँ: खनिजविहीन राज्य (जैसे: पंजाब, केरल) कच्चे माल और ऊर्जा के लिये संसाधन-समृद्ध राज्यों से आयात पर निर्भर हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और उनकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप प्रायः राज्यों के बीच व्यापार असंतुलन उत्पन्न होता है।

❖ असमान सामाजिक और मानव विकास

🌀 'संसाधन शाप' की स्थिति: विडंबना यह है कि कई खनिज-समृद्ध क्षेत्र में, विशेष रूप से छोटानागपुर पठार में, प्रायः जनजातीय समुदाय (आदिवासी) निवास करता है, जिन्हें तीव्र खनन के कारण विस्थापन, भूमि अलगाव एवं गंभीर पर्यावरणीय क्षरण (जैसे: जल प्रदूषण, वनों की कटाई) का सामना करना पड़ता है।

🌀 सामाजिक असमानताएँ: खनिजों से उत्पन्न समृद्धि प्रायः स्थानीय समुदायों तक पहुँचने में असफल रहती है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, अपर्याप्त सामाजिक अवसरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य) और सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष:

भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण एक स्थायी भौगोलिक बाधा है, जो क्षेत्रीय विकास में असमानताओं को गहराई से प्रभावित करता है। सतत और समावेशी क्षेत्रीय विकास के लिये यह आवश्यक है कि नीतिगत दृष्टिकोण केवल संसाधनों के उत्खनन तक सीमित न रहे, बल्कि उनके मूल्य संवर्द्धन पर केंद्रित हो, साथ ही संसाधन से प्राप्त आय का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जाए (जैसे: 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन')। इसके अतिरिक्त, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक प्रचार-प्रसार और संसाधनहीन क्षेत्रों में मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना में लक्षित निवेश भी अपरिहार्य है।

प्रश्न : विश्व के अपतटीय पेट्रोलियम बेसिनों के स्थानिक वितरण का अभिनिर्धारण कीजिये तथा उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ अपतटीय पेट्रोलियम बेसिनों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ विश्व के अपतटीय पेट्रोलियम बेसिनों के स्थानिक वितरण का पता लगाइये।
- ❖ उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की व्याख्या कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अपतटीय पेट्रोलियम बेसिन जलमग्न अवसादी क्षेत्र हैं जहाँ हाइड्रोकार्बन समुद्र तल के नीचे संरंध्र शैल के भीतर जमा होते हैं। ये वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 30% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 27% हिस्सा हैं। इनकी संरचना महाद्वीपीय सीमांतों, विभक्त शैलों और अवसादी गर्तों से निकटता से जुड़ी हुई हैं, जो लाखों वर्षों से भू-वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेते रहे हैं।

मुख्य भाग:

वैश्विक स्थानिक वितरण:

❖ अपतटीय पेट्रोलियम बेसिन विश्व भर में असमान रूप से वितरित हैं, मुख्यतः निष्क्रिय महाद्वीपीय सीमांतों और उथले महाद्वीपीय शैलों पर जहाँ सघन अवसादी श्रृंखलाएँ विद्यमान हैं।

🌀 अटलांटिक महासागरीय सीमांत:

- 🔍 उत्तरी सागर बेसिन (यूके-नॉर्वे) — सबसे प्राचीन और सबसे अधिक उत्पादक अपतटीय क्षेत्रों में से एक।
- 🔍 पश्चिमी अफ्रीकी शेल्फ (नाइजीरिया, अंगोला) और ब्राजीलियाई बेसिन (कैंपोस, सैंटोस) दक्षिण अटलांटिक के विभक्त किनारों पर गहन जल वाले तेल क्षेत्र हैं।

🌀 मेक्सिको की खाड़ी बेसिन:

- 🔍 संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको द्वारा साझा, इसमें प्रचुर मात्रा में गहन जल के क्षेत्र हैं जो वैश्विक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मध्य पूर्व और हिंद महासागर क्षेत्र:


- फारस की खाड़ी (विश्व का सबसे समृद्ध पेट्रोलियम बेसिन) और अरब सागर शेल्व (मुंबई हाई, केजी बेसिन) एशिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण हैं।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र:

- दक्षिण चीन सागर, तिमोर सागर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी शेल्व में विशाल गैस भंडार हैं।

ध्रुवीय और आर्कटिक बेसिन:

- बैरेंट्स सागर और ब्यूफोर्ट सागर अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्षमता वाले उभरते हुए क्षेत्र हैं।



निर्माण को प्रभावित करने वाले भू-वैज्ञानिक कारक

- विवर्तनिक विन्यास:** अधिकांश बेसिन रिफ्ट-प्रेरित अवतलन द्वारा निर्मित निष्क्रिय महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अटलांटिक तट।
- अवसादन:** निरंतर समुद्री अपरदनात्मक निक्षेपण (5-10 किमी मोटा) ने उपयुक्त स्रोत शैल और भंडार शैल के निर्माण को संभव बनाया है।
- स्रोत और भंडार शैलें:** कार्बनिक पदार्थों से भरपूर समुद्री शैल (shale) हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करती हैं, जबकि बलुआ पत्थर (Sandstone) या चूना पत्थर (Limestone) की परतें भंडार के रूप में कार्य करती हैं।
- संरचनात्मक जाल:** अभिनति, भ्रंश जाल और लवणीय डोम (जैसे: मेक्सिको की खाड़ी) हाइड्रोकार्बन को संचित करने में सहायक होते हैं।
- तापीय परिपक्वता:** उपयुक्त ताप और दाब की स्थितियों में, गहराई में दबी हुई कार्बनिक वस्तु तेल एवं गैस में रूपांतरित हो जाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पर्यावरणीय कारक

- ❖ **समुद्री उत्पादकता:** गर्म, उथले तथा कम-ऑक्सीजन वाले समुद्र जैविक पदार्थ के संचयन को प्रोत्साहित करते हैं।
- ❖ **समुद्र-स्तर में परिवर्तन:** समुद्र-स्तर के उतार-चढ़ाव अवसादन की दर तथा भंडार (reservoir) के निर्माण को प्रभावित करते हैं।
- ❖ **तटीय भू-आकृति विज्ञान:** यह बेसिन की संरचना और अवसाद (sediment) की आवक को निर्धारित करता है।
- ❖ **जलवायु परिस्थितियाँ:** ये अपरदन तथा जैविक निक्षेपण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष:

समुद्री तटों के किनारों पर स्थित 'ऑफशोर पेट्रोलियम बेसिन' जटिल भूवैज्ञानिक विकास-क्रम और अनुकूल समुद्री परिस्थितियों के परिणाम हैं। जैसे-जैसे स्थलीय भंडार घटते जा रहे हैं, अन्वेषण अब गुयाना-सूरीनाम बेसिन तथा मोज़ाम्बिक चैनल जैसी गहन समुद्री सीमाओं तक विस्तृत हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री पर्यावरणीय संधारणीयता के मध्य संतुलन बनाना वैश्विक ऑफशोर पेट्रोलियम विकास के अगले चरण की दिशा तय करेगा।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : "पाल स्थापत्य कला धार्मिक भक्ति, राजकीय संरक्षण और क्षेत्रीय सौंदर्यबोध के समन्वय को दर्शाती है। उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिये।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ पाल वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ पाल वंश की स्थापत्य कला किस प्रकार धार्मिक आस्था, राजकीय संरक्षण और क्षेत्रीय सौंदर्यबोध के समन्वय को प्रतिबिंबित करती है। विवेचना कीजिये।
- ❖ उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस समन्वय की व्याख्या कीजिये।
- ❖ अंत में, पाल स्थापत्य कला की स्थायी विरासत पर निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पाल वंश (8वीं-12वीं शताब्दी ई.), जिसने बंगाल और बिहार पर शासन किया, अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला के लिये प्रसिद्ध है। इस वंश की स्थापत्य परंपरा धार्मिक आस्था, राजकीय संरक्षण और क्षेत्रीय सौंदर्यबोध का उत्कृष्ट संगम प्रस्तुत करती है, जिसमें उपयोगिता के साथ कलात्मक परिष्कार भी निहित है। पाल स्थापत्य कला ने न केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की, बल्कि यह राजनीतिक अधिकार की अभिव्यक्ति तथा स्थानीय शिल्प कौशल के सम्मान का भी माध्यम थी।

मुख्य भाग:**धार्मिक आस्था:**

- ❖ **विहार-परिसर:** विक्रमशिला, नालंदा तथा सोमपुर महाविहार जैसे प्रमुख बौद्ध विहार शिक्षा, साधना तथा भक्ति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
- ❖ **स्तूप एवं मंदिर:** पाल काल के स्तूप और मंदिर, जैसे कि क्रूसीफॉर्म (क्रॉस-आकार) योजना पर आधारित सोमपुर महाविहार, बौद्ध ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतीक थे तथा इनमें बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए थे।
- ❖ **मूर्तिकला आख्यान:** शैलकृत एवं कांस्य मूर्तियों में बुद्ध, बोधिसत्व तथा जातक कथाओं का अंकन न केवल धार्मिक शिक्षाओं का संप्रेषण करता था बल्कि कला एवं अध्यात्म का समन्वय भी दर्शाता था।

राजकीय संरक्षण:

- ❖ **राज्य-प्रायोजित निर्माण:** धर्मपाल और देवपाल जैसे पाल शासक बौद्ध धर्म के निष्ठावान संरक्षक थे। उन्होंने व्यापक स्तर पर विहारों एवं मंदिरों के निर्माण का वित्तपोषण किया, जो उनके राजनीतिक वैधता और दैवीय समर्थन को दर्शाता है।
- ❖ **स्थापत्य कला नवाचार:** टेराकोटा पैनल, जटिल शैल की नक्काशी और बहुमंजिला विहार कलात्मक उत्कृष्टता के लिये शाही समर्थन को प्रदर्शित करते हैं। टेराकोटा पट्टिकाओं, सूक्ष्म शैल नक्काशी और बहु-मंजिली विहारों के निर्माण से राजकीय संरक्षण में कलात्मक उत्कृष्टता का विकास हुआ।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **शिलालेख और समर्पण:** कई स्थापत्य स्थलों पर प्राप्त राजकीय शिलालेखों में राजाओं की दैवी सत्ता और धार्मिक समर्पण का उल्लेख मिलता है, जैसे: धर्मपाल द्वारा सोमपुर महाविहार का संरक्षण तथा देवपाल द्वारा नालंदा के विस्तार हेतु समर्थन।

क्षेत्रीय सौंदर्यबोध:

- ❖ **स्थानीय सामग्री एवं शिल्प कौशल:** ईट, टेराकोटा तथा शैल जैसी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग क्षेत्रीय संसाधनों और शिल्पकला की दक्षता को प्रदर्शित करता है।
- ❖ **विशिष्ट स्थापत्य तत्त्व:** वक्ररेखीय मीनारें (शिखर), अलंकृत द्वार और सजावटी अग्रभाग इस युग की विशिष्ट कलात्मक संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं।
- ❖ **अंतर-सांस्कृतिक प्रभाव:** स्थापत्य रूपों में नेपाल, उत्तर भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की शैलियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जैसे: सोमपुर महाविहार की सीढ़ीनुमा संरचना, जो कंबोडिया के मंदिरों से साम्य रखती है।

प्रमुख स्थलों के उदाहरण:

- ❖ **सोमपुर महाविहार (पाहारपुर):** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल; जो अपने विशाल विन्यास, सीढ़ीनुमा संरचनाओं और समृद्ध मूर्तिशिल्प सजा के लिये प्रसिद्ध है।
- ❖ **विक्रमशिला:** ध्यान और विद्या के लिये नियोजित यह विहार सममिति और कार्यात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ❖ **नालंदा:** इस परिसर ने आवासीय, शैक्षणिक एवं धार्मिक गतिविधियों का समन्वय किया तथा अपनी उत्कृष्ट टेराकोटा और शैल कला के लिये प्रसिद्ध हुआ।

निष्कर्ष:

पाल वंश की स्थापत्य कला धार्मिक समर्पण, राजकीय दृष्टि और क्षेत्रीय कलात्मकता का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती है। इसने न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार को बल दिया, बल्कि सांस्कृतिक संश्लेषण और कलात्मक नवाचार को भी प्रोत्साहित किया। इसकी स्थायी विरासत ने बंगाल, नेपाल तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की पश्चातवर्ती स्थापत्य परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया, जिससे पाल वंश मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य उत्कर्ष के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

भारतीय समाज

प्रश्न : प्रस्तावित जनांकिकीय मिशन का उद्देश्य जनसंख्या-नियंत्रण के परंपरागत मॉडल से हटकर जनसंख्या के 'सदुपयोग' और दीर्घकालिक 'समायोजन' पर केंद्रित नीति बनाना है। इसकी संभावनाओं तथा नीतिगत अनिवार्यताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ प्रस्तावित जनांकिकीय मिशन का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ इसकी संभावनाओं और नीतिगत अनिवार्यताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'जनांकिकीय मिशन' एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत की बदलती जनसंख्या प्रवृत्तियों की सर्वेक्षण, प्रबंधन और विश्लेषण करना है। यह पारंपरिक 'जनसंख्या नियंत्रण' दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए जनांकिक क्षमता के 'संतुलित उपयोग' पर बल देता है। इसका प्रमुख लक्ष्य अवैध प्रवासन को रोकना, जनांकिकीय असंतुलन से बचाव करना, असुरक्षित एवं जनजातीय समुदायों की रक्षा करना तथा प्रवासन से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करना है ताकि राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में संतुलन बना रहे।

मुख्य भाग:

जनांकिकीय मिशन की आवश्यकता और संभावनाएँ

- ❖ **अनियंत्रित आप्रवासन पर अंकुश लगाना और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना:** अनियंत्रित अवैध आप्रवासन के कारण विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार से, असम, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनांकिकीय व सांस्कृतिक बदलावों में वृद्धि हो रही है।

🌀 ये अंतर्वाह स्थानीय संसाधनों पर दबाव डालते हैं, जातीय तनाव बढ़ाते हैं और आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 मिशन का उद्देश्य मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखते हुए **प्रभावी सीमा प्रबंधन** सुनिश्चित करना है।

- ❖ **आंतरिक प्रवासन को संतुलित करना:** 45 करोड़ से अधिक आंतरिक प्रवासियों के साथ, भारत मताधिकार से वंचित होने, कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होने और सामाजिक हाशिये पर होने की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

🌀 इस मिशन का उद्देश्य समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देना और **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड** कार्यवाही के तहत राशन कार्ड एवं स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

- ❖ **मानव पूंजी विकास:** भारत की औसत आयु 29 वर्ष है — यह जनसांख्यिकीय लाभांश का अल्पकालिक अवसर है।

🌀 यह मिशन शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को उत्पादक शक्ति में रूपांतरित करने पर केंद्रित है।

- ❖ **सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था की तैयारी:** जहाँ वर्ष 2000 में औसत जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष थी, वहीं वर्ष 2025 में यह 72 वर्ष हो गई है। वर्ष 2050 तक 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या 15.4 करोड़ (2025) से बढ़कर 32 करोड़ होने का अनुमान है।

🌀 मिशन का उद्देश्य **बहु-स्तरीय पेंशन प्रणाली**, 'सक्रिय वृद्धावस्था' की अवधारणा और सेवानिवृत्ति मानकों के पुनर्विचार पर बल देना है।

- ❖ **नीति में जनांकिकीय संवेदनशीलता:** केवल संख्याओं से परे यह मिशन **जनसंख्या की गुणवत्ता और संरचना**— आयु संरचना, लैंगिक संतुलन और कौशल पर बल देता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण एवं कल्याण संबंधी नीतियों में जनांकिकीय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है।

- ❖ **तकनीकी एकीकरण:** यह मिशन वास्तविक काल की निगरानी के लिये बड़े डेटा, उपग्रह मानचित्रण और बायोमेट्रिक्स का लाभ उठाते हुए **AI-आधारित जनांकिकीय शासन का प्रस्ताव** करता है।

🌀 **डिजिटल जनगणना- 2027 और राष्ट्रीय शरणार्थी कानून** डेटा-संचालित और क्षेत्र-विशिष्ट नियोजन की ओर बदलाव को दर्शाते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- ❖ **सीमा प्रबंधन की कमियाँ:** भारत की बांग्लादेश (4,096 किमी) और म्यांमार (1,643 किमी) से लगी सीमाएँ अत्यधिक भेद्य हैं, जिससे अवैध आब्रजन, तस्करी और उग्रवाद जैसी गतिविधियों में वृद्धि होती है।
- ❖ **राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलताएँ:** प्रवासन के मुद्दे (विशेष रूप से बांग्लादेश से) राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं, जिससे सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय अशांति उत्पन्न होती है। ऐसे में सुरक्षा और समावेशन के बीच संतुलन बनाना चुनौती है।
- ❖ **क्षेत्रीय प्रजनन असमानताएँ:** बिहार में प्रजनन दर (2.8–3.0) प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से अधिक है जबकि केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में यह 1.5 से भी कम है। यह नीतिगत संतुलन और संसाधन वितरण को जटिल बनाता है।
- ❖ **युवा बेरोज़गारी और कौशल असंगतता:** वर्ष 2022 में भारत के 83% युवा बेरोज़गार थे, जो प्रशिक्षण और रोज़गार सृजन के बीच संरचनात्मक अंतर को दर्शाता है।
- ❖ **लैंगिक असमानताएँ:** महिलाओं की श्रम भागीदारी दर केवल 41.7% है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में यह और कम है, जिससे जनांकिक उत्पादकता सीमित होती है।
- ❖ **संसाधन और पर्यावरणीय दबाव:** भारत विश्व की 2.4% भूमि पर वैश्विक जनसंख्या के 18% का भरण-पोषण करता है, जिससे जल, भूमि और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर दबाव पड़ रहा है। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने स्थिरता की चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

नीतिगत अनिवार्यताएँ और आगे की राह

- ❖ **राष्ट्रीय जनांकिकीय सूचना ढाँचा:** लक्षित, डेटा-संचालित नीतियों को सक्षम बनाने के लिये एक एकीकृत जनांकिकीय प्लेटफॉर्म हेतु जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), श्रम ब्यूरो एवं आधार से डेटा को एकीकृत किया जाना आवश्यक है।
- ❖ **सीमा और प्रवासन प्रबंधन:** ड्रोन, नाइट-विज़न कैमरे, मोशन सेंसर एवं AI-आधारित निगरानी के साथ एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- 🌀 समानांतर रूप से विधिक और कल्याणकारी सुरक्षा उपायों के साथ मानवीय प्रवासन नीतियों को अपनाया जाना आवश्यक है।
- ❖ **कौशल और रोज़गार सृजन:** पिछड़े क्षेत्रों में कौशल भारत का विस्तार किया जाना चाहिये, प्रशिक्षण को उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिये और प्रशिक्षुता का विस्तार किया जाना चाहिये।
- 🌀 वर्ष 2018-2024 के दौरान, भारत में 17 करोड़ औपचारिक नौकरियों का सृजन हुआ, यह एक ऐसा रुझान है जिसे युवा-केंद्रित आर्थिक नियोजन के माध्यम से जारी रखना आवश्यक है।
- ❖ **क्षेत्रीय समता:** पिछड़े राज्यों में निवेश को दिशा देने के लिये मानव क्षमता सूचकांक विकसित किया जाना चाहिये।
- 🌀 समावेशी विकास के लिये स्वास्थ्य और साक्षरता के क्षेत्र में केरल की सफलता का अनुकरण किया जाना चाहिये।
- ❖ **वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा:** वृद्धावस्था की चुनौती से निपटने के लिये बहु-स्तरीय पेंशन प्रणालियों का गठन किया जाना चाहिये, आजीवन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत बनाया जाना चाहिये।

- ❖ **संस्थागत समन्वय:** केंद्र और राज्य के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने और सभी क्षेत्रों में जनांकिकीय विचारों को एकीकृत करने के लिये एक राष्ट्रीय जनांकिकी एवं प्रवासन आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।
- ❖ **पर्यावरणीय एकीकरण:** सतत शहरी और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिये जनांकिकीय नियोजन को स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT एवं स्वच्छ गंगा मिशन के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का 'जनांकिक मिशन' जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़कर 'जनांकिक अनुकूलन' की दिशा में एक रूपांतरणकारी पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं की क्षमता का सदुपयोग करना, प्रवासन का संतुलित प्रबंधन करना और वृद्धावस्था की तैयारी को सुदृढ़ करना है। जैसा ऑगस्ट कॉम्पे ने कहा था, "जनांकिकी ही नियति है।" संस्थागत सुधार, तकनीकी नवाचार और सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से भारत अपनी जनांकिक विविधता को एक 'सुदृढ़, न्यायसंगत एवं भविष्य-दृष्टि संपन्न' शक्ति में बदल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : भारत में आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) प्रायः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से असंगत होती है। मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता (Decriminalize) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सुधारों को प्रस्तावित कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ आपराधिक मानहानि की संक्षिप्त परिभाषा दीजिये तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ इसकी संगतता की पुष्टि कीजिये।
- ❖ मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।
- ❖ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिये सुधारों को प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के अनुसार, 'मानहानि' का अर्थ है— किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से उस पर कोई आरोप लगाना, उसके खिलाफ बोलना, लिखना, प्रकाशित करना या संकेत देना। न्यायालयों ने प्रतिष्ठा को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' का अंग माना है, तथापि मानहानि को अपराध घोषित किये जाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक असहमति पर 'प्रतिरोधक प्रभाव' (Chilling effect) पड़ने की गंभीर आशंका उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग:

भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता

- ❖ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा:** आपराधिक मानहानि विधि का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'प्रतिरोधक प्रभाव' पड़ता है, जो पत्रकारों, व्हिसल ब्लोअर और नागरिकों को वैध आलोचना या असहमति व्यक्त करने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप सेल्फ-सेंसरशिप होती है।
 - 🌀 सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं यह टिप्पणी की कि आपराधिक अभियोजन के भय के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता {अनुच्छेद 19(1)(a)} के अधिकार का प्रयोग सीमित हो जाता है, जबकि प्रतिष्ठा से संबंधित हानि की भरपाई के लिये दीवानी उपाय पर्याप्त होते हैं।
 - 🌀 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मानहानि (IT अधिनियम की धारा 66A) की आपराधिक धारा को इसलिये रद्द कर दिया क्योंकि यह अस्पष्ट थी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालती थी।
- ❖ **दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की रोकथाम:** आपराधिक मानहानि राजनेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिये जनभागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमे (SLAPP) दायर करने का एक हथियार बन गई है।
- ❖ **न्यायिक लंबित मामलों और विलंब को कम करना:** मानहानि के मुकदमे निचली अदालतों को अवरुद्ध कर देते हैं और निजी विवादों के लिये विशाल न्यायिक संसाधनों का उपभोग करते हैं।
 - 🌀 सितंबर 2025 में वायर-JNU मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हजारों आपराधिक मानहानि मामलों में लंबी मुकदमेबाजी और विलंब का अवलोकन किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा:** कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि आपराधिक मानहानि मीडिया की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक बहस को दबाने का जोखिम उत्पन्न करती है।
- 🌀 **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (2025) में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है,** जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के लिये गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है।
- ❖ **लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी हालिया टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिये, लेकिन लोकतांत्रिक बहुलवाद और समालोचनात्मक विमर्श की कीमत पर नहीं।
- ❖ **वैश्विक मानकों से अनुरूपता:** पत्रकारों की सुरक्षा समिति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भारत से आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह करते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन के लिये सुधार

- ❖ **निजी मानहानि को अपराधमुक्त करना, जनहित के लिये आपराधिक मानहानि को बरकरार रखना:** कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि आपराधिक मानहानि को केवल जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिये, जबकि निजी प्रतिष्ठा के विवादों को पूरी तरह से दीवानी अदालतों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये।
- ❖ **दीवानी मानहानि की कार्यवाही को सुदृढ़ और तीव्र करना:** भारत में दीवानी मानहानि के मामलों को स्पष्ट समय-सीमा और उचित मुआवजे की सीमा के साथ निपटाने के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट या समर्पित पीठें स्थापित की जानी चाहिये, जिससे भाषण को आपराधिक बनाए बिना प्रभावी और समय पर समाधान मिल सके।

- ❖ **Anti-SLAPP (जनभागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमा) कानून लागू करना:** SLAPP मुकदमों का इस्तेमाल शक्तिशाली व्यक्ति और निगम आलोचकों को महंगे मुकदमे से डराने के लिये करते हैं।
- ❖ **निष्पक्ष आलोचना और जनहित पर विशिष्ट न्यायिक दिशानिर्देश प्रदान करना:** सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए निष्पक्ष आलोचना, व्यंग्य एवं राय को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से अलग करने के लिये स्पष्ट न्यायिक सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिये।
- ❖ **ज़िम्मेदार भाषण पर मीडिया साक्षरता और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना:** ज़िम्मेदार भाषण को प्रोत्साहित करने और आलोचना एवं मानहानि के बीच अंतर के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से तुच्छ मामलों में कमी आ सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में मानहानि कानूनों में सुधार करने के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने 'ऑन लिबर्टी' में कहा था, "किसी मत को दबा देना मानवता को उस अवसर से वंचित कर देता है, जिसके माध्यम से वह भ्रांति को सत्य से बदल सकती है; इससे समालोचनात्मक विचार और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व दोनों बाधित होते हैं।"

अतः निजी मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, सिविल उपायों को सशक्त करना और 'एंटी-स्लैप' (Anti-SLAPP) प्रावधानों को लागू करना पत्रकारों एवं नागरिकों दोनों की सुरक्षा करेगा, उत्तरदायी संवाद को प्रोत्साहित करेगा तथा संवैधानिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय, दोनों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रश्न : पारदर्शिता लोकतंत्र की आधारशिला है, परंतु यदि जवाबदेही न हो तो यह मात्र औपचारिक बनकर रह जाती है। भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोकतंत्र के संदर्भ में पारदर्शिता और जवाबदेही पर चर्चा कीजिये तथा सूचना का अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।
- व्याख्या कीजिये कि सूचना का अधिकार भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को किस प्रकार बढ़ावा देता है।
- कार्यान्वयन में आने वाली सीमाओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- निष्कर्ष में आगे की राह का उपर्युक्त उचित निष्कर्ष बताइये।

परिचय:

पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्यवाही जनता की निगरानी के लिये खुली रहे, जबकि जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारी अपने आचरण के लिये उत्तरदायी हों। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार देकर इन सिद्धांतों को व्यवहार में शामिल किया है। इसने शासन प्रणाली को गोपनीयता से पारदर्शिता की दिशा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य भाग:

पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन के लिये एक उपकरण के रूप में RTI

- नागरिक सशक्तीकरण का संस्थानीकरण: सूचना का अधिकार (RTI) प्रत्येक नागरिक को सरकारी अभिलेखों, निर्णयों और नीतियों तक कानूनी पहुँच प्रदान करता

है, जिससे राज्य और नागरिकों के बीच सूचना असमानता में कमी आती है।

- भ्रष्टाचार पर अंकुश: RTI ने आदर्श हाउसिंग घोडाला, मनरेगा निधि दुरुपयोग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार जैसे बड़े अनियमितताओं का खुलासा किया है, जिससे यह एक प्रभावी भ्रष्टाचार-विरोधी उपकरण के रूप में स्थापित हुआ है।
- प्रशासनिक जवाबदेही में वृद्धि: सूचना उजागर होने के भय से अधिकारी सावधानीपूर्वक निर्णय लेने और उन्हें सटीक रूप से दर्ज करने के लिये प्रेरित होते हैं, जिससे नौकरशाही तंत्र के भीतर आंतरिक जवाबदेही मजबूत होती है।
- न्यायिक और मीडिया सक्रियता को प्रोत्साहन: RTI ने जाँचपरक पत्रकारिता और न्यायिक निगरानी को सशक्त बनाया है, क्योंकि यह कदाचार तथा अनियमितताओं को उजागर करने के लिये आवश्यक तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराता है।
- नागरिक-केंद्रित निर्णय प्रक्रिया: RTI नागरिकों को विकास प्राथमिकताओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और सार्वजनिक व्यय पर प्रश्न उठाने का अवसर देकर समावेशी शासन को प्रोत्साहित करता है।
- स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना: ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाओं में RTI के उपयोग से वित्तीय संसाधनों के उपयोग तथा स्थानीय विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।
- सामाजिक अंकेक्षण के उत्प्रेरक के रूप में: मनरेगा (MGNREGA) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी योजनाओं में RTI आधारित सामाजिक अंकेक्षण शामिल किये गए हैं, जिससे नीचे से ऊपर तक जवाबदेही तथा सहभागी योजना की संस्कृति विकसित हुई है।

RTI अधिनियम, 2005 के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- अधिक समय: अधिकांश सूचना आयोग को मामलों का निपटारा करने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है। कुछ राज्यों

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



में यह देरी अत्यधिक है, जैसे- तेलंगाना (29 वर्ष 2 महीने) और त्रिपुरा (23 वर्ष) तक।

- ❖ रिक्त पदों की समस्या: वर्ष 2023-24 के दौरान छह सूचना आयोग पूरी तरह निष्क्रिय रहे क्योंकि उनके पद रिक्त थे। वर्तमान में झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है।

- ❖ विधायी संशोधनों से स्वायत्तता में ह्रास: सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता को कम कर दिया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार को कार्यकाल और वेतन तय करने का अधिकार मिल गया है।

🌀 साथ ही, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 ने धारा 8(1) में संशोधन कर सभी व्यक्तिगत सूचनाओं, यहाँ तक कि लोक अधिकारियों से संबंधित जानकारी, को भी खुलासे से मुक्त कर दिया है।

- ❖ अपवादों का विस्तार: कई विभाग आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार करते हैं।

🌀 RAW, IB और CERT-In जैसी संस्थाएँ RTI अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत पूर्ण अपवाद के रूप में सूचीबद्ध हैं।

- ❖ RTI कार्यकर्ताओं के लिये खतरे: RTI कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न, हमले और हिंसा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा कई मामलों में उनकी हत्या भी की जा चुकी है। व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के क्रियान्वयन में कमी के कारण यह जोखिम और भी बढ़ गया है।

RTI ढाँचे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधार

- ❖ सूचना आयोगों को सशक्त बनाना: समयबद्ध और पारदर्शी नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जाएँ, साथ ही पर्याप्त मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए।

- ❖ प्रौद्योगिकी का एकीकरण: AI चैटबॉट्स और स्वचालित सहायक उपकरणों से आवेदन प्रक्रिया सरल की जाए, ब्लॉकचेन तकनीक से डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए, RTI पोर्टलों को DigiLocker तथा रीयल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि जानकारी की पहुँच एवं निगरानी बेहतर हो सके।

- ❖ कानून का कठोर अनुपालन: धारा 4 के अंतर्गत अनिवार्य स्वैच्छिक खुलासे को सख्ती से लागू किया जाए, सूचना अधिकारियों (PIOs) पर जानबूझकर इनकार या देरी के लिये दंड लगाया जाए।

- ❖ RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए — जिसमें गोपनीय शिकायतें, आपात सुरक्षा उपाय और त्वरित न्यायालय शामिल हों।

- ❖ आंशिक स्वायत्तता की पुनर्स्थापना: नियुक्ति प्रक्रिया में संसदीय निगरानी लाई जाए, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि सूचना आयोगों की स्वतंत्रता तथा जवाबदेही दोनों मजबूत हों।

निष्कर्ष:

सूचना का अधिकार अधिनियम ने पारदर्शिता और जवाबदेही को संस्थागत ढाँचे में स्थापित कर भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। फिर भी, इसके परिवर्तनकारी लक्ष्यों को मजबूत ढंग से लागू किये बिना और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। पारदर्शिता को केवल दिखावे तक सीमित न रखने के लिये इसे सक्रिय जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र न केवल शब्दों में बल्कि अनुभव और व्यवहार दोनों में सहभागी तथा सशक्त बना रहे।

प्रश्न : क्या कार्यपालिका द्वारा बार-बार अध्यादेशों का सहारा लिया जाना भारत में 'शक्तियों के पृथक्करण' तथा 'संसदीय उत्तरदायित्व' के सिद्धांतों को कमजोर करता है ? विवेचना कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ अध्यादेश बनाने की शक्ति के संवैधानिक आधार और उद्देश्य का परिचय दीजिये।
- ❖ शक्तियों के पृथक्करण और संसदीय उत्तरदायित्व को कमजोर करने वाले अध्यादेशों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ अध्यादेशों ने रचनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की है, विवेचना कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति (और अनुच्छेद 213 राज्यपाल) को विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य अत्यावश्यक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

- ❖ हालाँकि अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तों) अध्यादेश, 2021 जैसे बार-बार और राजनीतिक रूप से प्रेरित उपायों ने कार्यपालिका के अतिक्रमण तथा उसके संसदीय संप्रभुता एवं शक्तियों के पृथक्करण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गहन बहस को जन्म दिया है।

मुख्य भाग:

शक्तियों के पृथक्करण और संसदीय उत्तरदायित्व को कमजोर करने वाले अध्यादेश:

- ❖ विधायी जाँच की अनदेखी: अध्यादेश प्रायः संसदीय वाद-विवाद का स्थान ले लेते हैं, जिससे विधायी निगरानी और विचार-विमर्श कम हो जाता है।
- ❖ नियंत्रण और संतुलन का विरूपण: डी.सी. वाधवा (वर्ष 1987) में निरस्त तथा कृष्ण कुमार सिंह (वर्ष 2017) में पुनः पुष्टि के प्रकरणों में दोबारा अध्यादेश जारी करने की प्रथा को असंवैधानिक ठहराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अध्यादेश कभी-कभी समानांतर विधि-निर्माण तंत्र का रूप ले लेते हैं।
- ❖ संसदीय उत्तरदायित्व में कमी: अध्यादेश तुरंत प्रभावी हो जाते हैं, जिससे मंत्रियों से सवाल पूछने या नीतिगत प्रभावों पर वाद-विवाद करने के अवसर सीमित हो जाते हैं।

- ❖ लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण: अध्यादेशों का अत्यधिक उपयोग कार्यपालिका में शक्ति को केंद्रित करता है, जिससे संविधान में परिकल्पित संस्थागत संतुलन कमजोर होता है।

हालाँकि अध्यादेशों ने रचनात्मक उद्देश्य भी पूरे किये हैं:

- ❖ शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना: संसदीय अवकाश, आर्थिक संकट या आपात स्थितियों के दौरान समय पर कार्रवाई को सक्षम बनाना।
- ❖ विधायी कमियों को पूरा करना: बैंकिंग विनियमन और तीन तलाक उन्मूलन जैसे तत्काल सुधारों को विधायी अनुमोदन के अधीन लागू करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।
- ❖ संवैधानिक वैधता: ए.के. रॉय (1982) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश बनाने को एक वैध विधायी साधन माना, बशर्ते इसका ज़िम्मेदारी से प्रयोग किया जाए।

निष्कर्ष:

यद्यपि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपात परिस्थितियों के लिये एक संवैधानिक आवश्यकता है, परंतु इसका बार-बार तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रयोग 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत और कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को कमजोर करता है। इसलिये अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता लोकतांत्रिक ढाँचे को कमजोर करती है और इसे संस्थागत नियंत्रणों तथा प्रक्रियात्मक अनुशासन के माध्यम से सीमित किया जाना चाहिये।

प्रश्न : “‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’ होने के बावजूद, भारत में बाल-औषधियों के लिये एक सशक्त औषधि नियामक ढाँचा नहीं है।” भारत में बच्चों के लिये बनाई जाने वाली औषधियों की सुरक्षा, गुणवत्ता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में बाल चिकित्सा औषधि नियामक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ भारत में बाल चिकित्सा औषधि विनियमन की चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

भारत को विश्व स्तर पर 'विश्व की फार्मसी' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो वैश्विक जेनेरिक दवाओं का 20% से अधिक और टीकों का 60% आपूर्ति करता है। हालाँकि, यह औषधीय शक्ति बाल चिकित्सा औषधियों के लिये इसके कमजोर नियामक ढाँचे के विपरीत है। भारत की कुल जनसंख्या का 40% से अधिक भाग बच्चों का होने के बावजूद, बाल-औषधि विकास, नैदानिक पर्यवेक्षण तथा उनके उपयोग से संबद्ध नैतिक मानदंड अभी भी बिखरे हुए, अपर्याप्त रूप से विनियमित तथा अस्पष्ट रूप में परिभाषित हैं।

मुख्य भाग:**भारत में बाल चिकित्सा औषधियों के विनियमन में चुनौतियाँ**

- ❖ असंगत और कमजोर नियामक निगरानी: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और विभिन्न राज्य औषधि नियंत्रकों के बीच भारत का नियामक विखंडन प्रवर्तन अंतराल का कारण बन रहा है।
- 🌀 वर्ष 2025 के मध्य प्रदेश कफ सिरप संकट के दौरान, नियामकों ने कोल्ड्रूफ बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स में 364 उल्लंघन पाए, जिसमें डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) शामिल था, जो औद्योगिक सॉल्वेंट्स में पाया जाने वाला एक विषैला पदार्थ है।
- ❖ बाल-विशिष्ट औषधि सतर्कता का अभाव: वर्तमान विधियों, जैसे गर्भाधान पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम तथा राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में बच्चों के लिये औषधियों की सुरक्षा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39(f) के अंतर्गत राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है, परंतु औषधि सतर्कता के क्षेत्र में इस प्रावधान का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
- 🌀 दवाओं का परीक्षण प्रायः केवल वयस्कों में उपयोग के लिये किया जाता है, जिसमें बाल चिकित्सा खुराक वयस्कों के आँकड़ों से निकाली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के लिये असुरक्षित और गैर-अनुकूलित उपचार होते हैं।
- ❖ भ्रष्टाचार, लापरवाही और अकुशल गुणवत्ता नियंत्रण: विषाक्त संदूषण का एक आवर्ती पैटर्न दर्शाता है कि समस्या प्रणालीगत है, आकस्मिक नहीं।

🌀 सत्र 2022-2023 में, गाम्बिया में लगभग 70 और उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु का कारण भारत में निर्मित सिरप पाए गए।

- ❖ ओवर-द-काउंटर (OTC) दुरुपयोग और माता-पिता की अनभिज्ञता: अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में अधिकांश बाल चिकित्सा दवाओं की खरीद बिना डॉक्टर के पर्चे के होती है, विशेषकर शहरी झुग्गी-झोंपड़ियों और टियर-2 शहरों में।
- ❖ व्यापक बाल चिकित्सा दवा नीति का अभाव: विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद, भारत में अभी भी बाल चिकित्सा दवा विनियमन प्राधिकरण या समर्पित बाल-विशिष्ट औषधि संहिता का अभाव है।
- 🌀 विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के बाद वर्ष 2023 में DEG और EG जैसे विषाक्त पदार्थों का परीक्षण केवल निर्यात सिरप के लिये अनिवार्य हो गया, घरेलू बिक्री के लिये नहीं।

भारत में बाल चिकित्सा दवाओं के नियामक कार्यवाहों को सुदृढ़ करने के उपाय

- ❖ राष्ट्रीय बाल चिकित्सा औषधि सुरक्षा एवं नैतिकता प्राधिकरण (NPSEA) की स्थापना: भारत को बाल चिकित्सा दवाओं के लाइसेंसिंग, निर्माण अनुमोदन और नैतिक परीक्षणों की निगरानी के लिये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के अंतर्गत NPSEA का गठन करना चाहिये।
- 🌀 माशेलकर समिति की रिपोर्ट (2003) ने भारत के औषधि नियामक कार्यवाहों की अपर्याप्तता को उजागर किया और एक सुदृढ़, 'विश्व स्तरीय' औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना के लिये अधिक बजटीय आवंटन का आह्वान किया।
- ❖ शून्य सहिष्णुता व्यवस्था और आपराधिक जवाबदेही: निम्नस्तरीय बाल चिकित्सा दवाओं से होने वाली मौतों के लिये गैर-जमानती अपराधों को शामिल करने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) में संशोधन किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 सार्वजनिक स्वास्थ्य पोर्टलों पर रीयल-टाइम अपडेट के साथ अनिवार्य रिकॉल और प्रकटीकरण नीति लागू की जानी चाहिये।

❖ राष्ट्रीय बाल चिकित्सा नैदानिक अनुसंधान और डेटा इको-सिस्टम का निर्माण: फार्माकोडायनामिक और सुरक्षा डेटा एकत्र करने के लिये बाल चिकित्सा नैदानिक परीक्षणों (PCT-इंडिया) के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जानी चाहिये।

🌀 नैतिक, भारत-विशिष्ट बाल चिकित्सा अनुसंधान एवं विकास (R&D) करने वाली फार्मा कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

❖ फार्मासिस्ट और देखभालकर्ता प्रशिक्षण तंत्र का सुदृढीकरण: भारतीय फार्मसी परिषद के तहत फार्मासिस्टों के लिये बाल चिकित्सा वितरण प्रोटोकॉल में अनिवार्य प्रमाणन लागू किया जाना चाहिये।

🌀 स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से खुराक तथा लेबल रीडिंग पर देशव्यापी देखभालकर्ता जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये।

🌀 विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'मेक मेडिसिन चाइल्ड साइज' अभियान (2007) ने 40 से अधिक विकासशील देशों में दवा साक्षरता और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण में सुधार किया।

❖ अनिवार्य बैच परीक्षण और आपूर्ति शृंखला अनुरेखण: अनुमोदन एजेंसियों को रिलीज से पहले सभी बाल चिकित्सा फॉर्मूलेशन के लिये अनिवार्य बहु-प्रयोगशाला विष विज्ञान परीक्षण (CDSO + NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ) सुनिश्चित करना चाहिये।

🌀 सरकार को उत्पाद की उत्पत्ति का पता कच्चे रासायनिक चरण तक लगाने के लिये QRआधारित बैच ट्रैकिंग लागू करनी चाहिये।

❖ अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग और नैतिक पारदर्शिता: भारत की वैश्विक फार्मास्युटिकल भूमिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों और UNCRC (अनुच्छेद 24) के अनुरूप पारदर्शिता की मांग करती है।

🌀 भारत को बाल चिकित्सा दवाओं के विकास के लिये OECD फार्माकोविजिलेंस मानकों और ICH E11(R1) दिशानिर्देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा ढाँचों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बल दिया है, "हर बच्चे को जन्म से ही सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिये।"

इस दृष्टि को साकार करने के लिये भारत की औषधि प्रशासन-व्यवस्था को नैतिक नियमन, कठोर परीक्षण, प्रभावी संचयी समन्वय तथा पारदर्शी जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को अपनाकर, औषधि सतर्कता प्रणालियों को सुदृढ करके और बाल चिकित्सा-केंद्रित औषधि नीतियों को तैयार करके, भारत एक प्रतिक्रियात्मक कार्यढाँचे से आगे बढ़कर बाल स्वास्थ्य अधिकारों के एक सक्रिय संरक्षक के रूप में विकसित हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : साउथ-साउथ एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) का उद्देश्य विकासशील देशों के मध्य ज्ञान-साझाकरण और सतत् विकास को प्रोत्साहित करना है। SSTC में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिये तथा वैश्विक विकास साझेदारियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- ❖ वैश्विक विकास साझेदारियों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स




दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) एक सहयोगात्मक विकास ढाँचा है जिसके अंतर्गत दो या अधिक विकासशील (ग्लोबल साउथ) देश पारस्परिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये ज्ञान, कौशल, संसाधन तथा प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करते हैं। यह सहयोग प्रायः किसी विकसित देश या बहुपक्षीय संस्था के समर्थन से संपन्न होता है। यह समानता, एकजुटता, संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है तथा इसका उद्देश्य साझा अनुभव एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से देशों को सशक्त बनाना है, जो पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता का पूरक है।

**मुख्य भाग:**

साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका

- ❖ **क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण में नेतृत्व:** भारत द्वारा 'भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता-निर्माण पहल' की शुरुआत की गई है ताकि अन्य 'ग्लोबल साउथ' देशों के साथ भारतीय श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सके।
- 🌀 यह सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को गति देने के लिये कौशल प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान, पायलट परियोजनाओं और संस्थागत सहयोग को सुगम बनाता है।
- ❖ **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के माध्यम से योगदान:** 150 मिलियन डॉलर के योगदान के साथ वर्ष 2017 में स्थापित यह कोष ग्लोबल-साउथ में मांग-संचालित परिवर्तनकारी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ समतामूलक विकास के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा: भारत भागीदार देशों में डिजिटल वित्त का समर्थन करने के लिये Aadhaar और UPI जैसे स्केलेबल डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाता है।

❖ क्षेत्रीय नेटवर्कों का संस्थागतकरण और सुदृढीकरण: भारत वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करता है।

🌀 अपने G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता हासिल की, जिससे अफ्रीका एवं अन्य दक्षिणी देशों का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा।

❖ नवोन्मेषी कृषि और खाद्य सुरक्षा पहल: ICRISAT और DAKSHIN (विकास और ज्ञान साझाकरण पहल) के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत कृषि नवाचार एवं जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है।

❖ बहुपक्षीय मंचों में ग्लोबल-साउथ की प्राथमिकताओं की अनुशंसा: भारत संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग दिवस (SSTC) जैसी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिसमें नवीन सहयोग, जलवायु-अनुकूलन एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है।

वैश्विक विकास साझेदारियों पर प्रभाव

❖ एकजुटता और समानता के माध्यम से सशक्तीकरण: SSTC विकासशील देशों के बीच पारस्परिक सम्मान, एकजुटता, समानता और साझा शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है।

🌀 यह दृष्टिकोण ग्लोबल-साउथ में राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का निर्माण करता है, जो वर्ष 1978 की ब्यूनास आयर्स कार्ययोजना के बाद से एक प्रमुख सिद्धांत रहा है।

❖ वैश्विक आर्थिक विकास को गति देना: ग्लोबल-साउथ के देशों ने हाल के वैश्विक आर्थिक विकास में आधे से अधिक का योगदान दिया है।

🌀 अंतर-दक्षिण व्यापार (Intra-South trade) अब विश्व व्यापार के एक-चौथाई से अधिक के लिये जिम्मेदार है

तथा दक्षिण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का बहिर्वाह वैश्विक प्रवाह का एक-तिहाई है।

🌀 SSTC साझा विकास परिणामों के लिये इस गतिशीलता का उपयोग करता है।

❖ लागत-प्रभावी, मापनीय और संदर्भ-विशिष्ट विकास समाधान: SSTC जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और डिजिटल वित्त जैसी गंभीर चुनौतियों के लिये स्थानीय रूप से अनुकूलित समाधान प्रदान करता है।

🌀 यह सहयोग भारत की आधार डिजिटल ID प्रणाली और UPI भुगतान मॉडल जैसे लागत-प्रभावी नवाचारों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है।

❖ संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि: साउथ-साउथ साझेदारी संस्थागत क्षमताओं, तकनीकी ज्ञान और संसाधन जुटाने को मजबूत करती है।

🌀 कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य और जर्मनी कैरिबियन क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों की समुत्थानशीलता एवं समुद्री जैवविविधता को बढ़ावा देने के लिये वित्त, तकनीकी विशेषज्ञता एवं सामुदायिक प्रथाओं को मिलाकर प्रवाल भित्तियों के जीर्णोद्धार पर एक त्रिकोणीय साझेदारी के माध्यम से सहयोग करते हैं।

❖ वैश्विक विकास एजेंडा के भीतर SSTC को मुख्यधारा में लाना: SSTC को संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और विकास ढाँचों में तेजी से संस्थागत रूप दिया जा रहा है, जिसमें 60 से अधिक प्रस्तावों एवं परिणाम दस्तावेजों में इसके महत्त्व को मान्यता दी गई है।

🌀 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएँ स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों का समर्थन करने के लिये वैश्विक स्तर पर SSTC रणनीतियों को एकीकृत कर रही हैं, जो विकासशील देशों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) विकासशील देशों के बीच एकजुटता और साझा नवाचार का प्रतीक है, लेकिन इसकी

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पूर्ण क्षमता के लिये वित्तपोषण, क्षमता एवं समन्वय संबंधी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप सतत् और समुत्थानशील विकास को आगे बढ़ाने के लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना, प्रकृति-सकारात्मक समाधानों का विस्तार करना और समावेशी साझेदारियों को बढ़ावा देना एक हरित एवं समतापूर्ण भविष्य के लिए SSTC की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग करने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न : भारत की विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग और रूस व चीन के साथ स्वायत्त संबंधों की नीति के मध्य एक सूक्ष्म संतुलन को प्रतिबिंबित करती है। टिप्पणी कीजिये।

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा का परिचय दीजिये।
- ❖ परीक्षण कीजिये कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार संतुलित करता है।
- ❖ संतुलन के औचित्य पर प्रकाश डालिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की विदेश नीति शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता से विकसित होकर समकालीन बहुध्रुवीय व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण की ओर अग्रसर हुई है। यह सिद्धांत भारत को राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये प्रमुख शक्तियों के साथ सहयोग करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति विकल्पों को अपनाने में सहायक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक साथ सहयोग और रूस के साथ साझेदारी के साथ-साथ चीन के साथ जटिल संबंधों का प्रबंधन इस संतुलित संतुलन को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

❖ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग:

- ④ रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।
- ④ LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020) जैसे आधारभूत समझौते रक्षा सहयोग को संस्थागत बनाते हैं।

④ QUAD और इंडो-पसिफिक फ्रेमवर्क में भागीदारी भारत के समुद्री एवं सुरक्षा हितों के अनुरूप है।

④ महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET, 2023) AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, अर्द्धचालकों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग को सुदृढ़ करती है।

④ अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब अमेरिकी डॉलर (2023-24) को पार कर गया है; इस सहयोग का विस्तार स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु पहलों तक भी है।

④ अमेरिका में 48 लाख प्रवासी भारतीय सामाजिक-आर्थिक और रणनीतिक संवाद को बढ़ाने वाले एक सेतु का काम करते हैं।

❖ रूस के साथ साझेदारी कायम रखना:

④ रूस एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता (S-400 प्रणाली, ब्रह्मोस, परमाणु सहयोग) के साथ-साथ ऊर्जा एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में एक विश्वसनीय साझेदार बना हुआ है।

④ अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद, भारत BRICS, SCO और यूरोशियन मंचों के माध्यम से संवाद जारी रखे हुए है।

④ यूक्रेन संकट के बाद भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जिससे सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित हुई है और आपूर्ति स्रोतों में विविधता आई है।

④ वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन और 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता उच्च-स्तरीय जुड़ाव को बनाए रखते हैं तथा आपसी विश्वास की पुष्टि करते हैं।

④ असैन्य परमाणु परियोजनाओं (कुडनकुलम) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (गगनयान सहायता) में सहयोग स्थायी रणनीतिक संरक्षण को दर्शाता है।

❖ चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन:

④ भारत SCO और BRICS के माध्यम से चीन के साथ संवाद बनाए रखता है, साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करता है।

④ यह दृष्टिकोण प्रतिरोध और कूटनीति, दोनों का संयोजन है, जो किसी भी गुटीय संरक्षण से दूर रहता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मतभेदों के बावजूद, चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 118 अरब अमेरिकी डॉलर (2023-24) से अधिक है।

🔍 हालाँकि भारत को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी में चीनी आयात पर निर्भरता है; यह एक प्रमुख रणनीतिक कमजोरी बनी हुई है।

संतुलन का तर्क:

- ❖ रणनीतिक नम्यता को बनाए रखना: वैश्विक मामलों में विकल्पों का विस्तार करते हुए किसी भी गुट पर निर्भरता को रोकता है।
- ❖ संधि से ऊपर स्वायत्तता: भारत 'कैंप राजनीति' के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर सहयोग का चयन करते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदर्शित करता है।
- ❖ समदूरस्थ कूटनीति: रणनीतिक स्थान को अधिकतम करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी शक्तियों के साथ संतुलित संवाद बनाए रखना।
- ❖ सिद्धांत-आधारित व्यावहारिकता: नैतिक प्रतिबद्धताओं (नियम-आधारित व्यवस्था) को सुरक्षा और विकास आवश्यकताओं में निहित व्यावहारिक विकल्पों के साथ संतुलित करना।

निष्कर्ष:

भारत की विदेश नीति बहु-संरक्षण का उदाहरण है जो किसी एक गुट पर निर्भरता से बचते हुए विविध शक्तियों के साथ सहयोग करती है। जैसा कि डॉ. एस. जयशंकर ने 'The India Way' में उल्लेख किया है, "भारत की कूटनीति पक्ष चुनने के बजाय मतभेदों को प्रबंधित करने की आवश्यकता से निर्देशित होती है, जो व्यावहारिक संवाद और संतुलित साझेदारी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती है।"

प्रश्न : "औपचारिक मान्यता के बिना संवाद" अफगानिस्तान में तालिबान-नेतृत्व वाले शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। भारत की इस नीति का उसके सुरक्षा, आर्थिक तथा नैतिक हितों के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति भारत के दृष्टिकोण का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ इस नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

औपचारिक मान्यता के बिना संवाद/सहभागिता, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति भारत के संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को सटीक रूप से दर्शाती है। भारत ने यद्यपि तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने से परहेज किया है, फिर भी वह अपनी सुरक्षा, आर्थिक और नैतिक हितों की रक्षा के लिये सीमित राजनयिक एवं मानवीय संवाद/सहभागिता जारी रखे हुए है। यह नीति रणनीतिक आवश्यकता और नैतिक संयम के बीच संतुलन को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

भारत के सुरक्षा हित

- ❖ रणनीतिक भू-राजनीतिक साझेदारी: भारत अफगानिस्तान को क्षेत्रीय सुरक्षा और विरोधी प्रभावों (विशेष रूप से पाकिस्तान के) का मुकाबला करने के लिये महत्वपूर्ण मानता है।
- 🌀 अफगान-पाकिस्तान संबंधों में गिरावट ने पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव के प्रतिकार के रूप में तालिबान के साथ संवाद हेतु भारत की रणनीतिक गणना को प्रभावित किया।
- 🌀 1990 के दशक में उत्तरी गठबंधन को भारत का समर्थन और अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय विकास भागीदारों में से एक के रूप में इसकी भूमिका एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ आतंकवाद-रोधी सहयोग: वर्ष 2001 के बाद, भारत ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकने के लिये अफगान सुरक्षा बलों के क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- 🌀 तालिबान-नेतृत्व वाली अफगान सरकार द्वारा हाल ही में भारत के विरुद्ध अफगान भूमि के उपयोग की अनुमति न देने का संकल्प बदलती वास्तविकताओं के बीच विकसित हो रहे आतंकवाद-रोधी सहयोग का संकेत देती है।
- ❖ राजनीतिक बदलावों के बीच कूटनीतिक जुड़ाव: तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ भारत की हालिया कूटनीतिक पहल, जिसमें उसके काबुल मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देना और तालिबान राजनयिकों की मेज़बानी करना शामिल है, उस व्यावहारिक कूटनीति को दर्शाती है जो ज़मीनी वास्तविकताओं के साथ मान्यता संबंधी हिचकिचाहट को संतुलित करती है।
- 🌀 भारत-अफगानिस्तान संबंध चीन के बढ़ते मध्य एशियाई प्रभाव और पाकिस्तान की अस्थिरकारी गतिविधियों का प्रतिकार करते हैं।
- 🌀 हार्ट ऑफ़ एशिया— इस्तांबुल प्रक्रिया जैसे क्षेत्रीय मंचों में भारत की भागीदारी राजनीतिक सहयोग एवं क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को और मज़बूत करती है।
- ❖ सुरक्षा चिंताएँ: कूटनीतिक जुड़ाव के बावजूद, आतंकवाद एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।
- 🌀 लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के साथ तालिबान के ऐतिहासिक संबंध, अफगानिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवादियों के लिये एक सुरक्षित पनाहगाह बनने की आशंकाएँ बढ़ाते हैं।
- 🌀 विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक के रूप में अफगानिस्तान की स्थिति, जो गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) का केंद्र है, क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देती है।

भारत के आर्थिक हित

- ❖ आर्थिक और व्यापारिक संपर्क: अफगानिस्तान की खनिज संपदा का मूल्य 1-3 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, इसलिये भारत के लिये खनन और व्यापार में आर्थिक अवसर हैं।
- 🌀 यह भारत को क्षेत्रीय मंचों और चाबहार बंदरगाह (ईरान-अफगानिस्तान-भारत गलियारा) जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है ताकि पाकिस्तान को दरकिनार करके व्यापार को सुगम बनाया जा सके।
- ❖ विकास और पुनर्निर्माण में योगदान की सुरक्षा: भारत ने बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में भारी निवेश किया है: सलमा बाँध, ज़रंज-डेलाराम राजमार्ग (पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए रणनीतिक व्यापार मार्ग), काबुल का संसद भवन, अस्पताल और बिजली सब-स्टेशन, जो अफगान विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को एक सॉफ्ट पावर के रूप में दर्शाता है।
- ❖ भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति, चाबहार बंदरगाह परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) के लिये एक स्थिर अफगानिस्तान आवश्यक है।
- ❖ आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ: अफगानिस्तान विश्व के सबसे अविकसित देशों में से एक बना हुआ है।
- 🌀 सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भारत की कई निवेश परियोजनाओं (जैसे: सलमा बाँध और काबुल संसद) में बाधा डालती हैं।
- 🌀 साथ ही अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती भूमिका, जिसमें तालिबान के साथ वार्ता और बुनियादी अवसंरचना में निवेश शामिल हैं, भारत के लिये एक रणनीतिक चुनौती पेश करती है।

नैतिक और मानवीय आयाम

- ❖ मूल्यों और यथार्थवाद में संतुलन: भारत अफगान लोगों के लिये मानवीय सहायता सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक और मानवाधिकार सिद्धांतों को बनाए रखने की दुविधा का सामना कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 तालिबान को मान्यता देना लैंगिक समानता और समावेशी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के विपरीत होगा।

❖ अफगान महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिये समर्थन: हालाँकि भारत महिलाओं के लिये शिक्षा और अधिकारों की अनुशंसा करता रहता है, लेकिन औपचारिक मान्यता का अभाव अफगानिस्तान में मानवाधिकार सुधारों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता को सीमित करता है।

🌀 वर्ष 2025 में तालिबान की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को शामिल न करने की आलोचना हुई, लेकिन इसने कूटनीति के साथ नैतिक चिंताओं को संतुलित करने की भारत की चुनौती को भी रेखांकित किया।

❖ नैतिक नेतृत्व: भारत का सतर्क रुख एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में उसकी वैश्विक छवि के अनुरूप है, जो एक दमनकारी शासन को वैध ठहराए बिना सहानुभूति दिखाता है।

अफगानिस्तान के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये भारत के रणनीतिक कदम

❖ पूर्ण मान्यता को बरकरार रखते हुए राजनयिक जुड़ाव: भारत को तत्काल राजनीतिक मान्यता दिये बिना आधिकारिक चैनलों (पूर्ण दूतावास, नियमित राजनयिक आदान-प्रदान) को बनाए रखना और गहरा करना जारी रखना चाहिये।

❖ लक्षित विकास और मानवीय कूटनीति का विस्तार: भारत को क्षमता निर्माण सहायता, बुनियादी अवसंरचना में सहयोग और राजनयिक जुड़ाव का विस्तार करके बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करना जारी रखना चाहिये, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिये। यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों, जैसे 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' में रेखांकित है।

❖ आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करना: वर्ष 2011 के रणनीतिक साझेदारी समझौते से प्रेरणा लेते हुए, भारत को अफगान सुरक्षा क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन जारी रखना चाहिये, जो आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाते हों।

❖ सुरक्षित आर्थिक संपर्क और भू-आर्थिक विकल्प: वैकल्पिक मार्गों एवं परियोजनाओं के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करना चाहिये जो शत्रुतापूर्ण पारगमन को दरकिनार करते हैं तथा स्पष्ट सुरक्षा उपायों के साथ संसाधन-क्षेत्र साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं।

🌀 उदाहरण के लिये, चाबहार बंदरगाह के उपयोग के माध्यम से आर्थिक जुड़ाव, भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर (2025) का पुनः आरंभ, आदि।

❖ बोझ एवं वैधता साझा करने के लिये बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग: समन्वित सहायता, आतंकवाद-रोधी और पुनर्निर्माण योजनाओं के लिये हार्ट ऑफ एशिया, SCO, मास्को फॉर्मेट, संयुक्त राष्ट्र एवं साझेदार देशों (ईरान, मध्य एशियाई राज्य) के माध्यम से कार्य करना चाहिये।

❖ सामाजिक, लैंगिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं की अनुशंसा: भारत की सहभागिता रणनीति उन देशों के प्रति यूरोपीय संघ (EU) की सतर्क कूटनीति के समान हो सकती है जो अधिनायकवादी शासन के अंतर्गत हैं, जहाँ सहायता सुधारात्मक नीतियों पर आधारित होती है।

🌀 साथ ही भारत को छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मीडिया/संचार अभिगम्यता का विस्तार जारी रखना चाहिये जो आम अफगानों तक पहुँचे।

निष्कर्ष:

भारत-अफगानिस्तान संबंध आज रणनीतिक व्यावहारिकता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों के समन्वय को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसा कि विदेश नीति विशेषज्ञ हर्ष पंत ने कहा है, "सहभागिता का अर्थ समर्थन नहीं होता", जो भारत की उस सूक्ष्म संतुलन-स्थिति को रेखांकित करता है, जिसमें वह अपने नैतिक सरोकारों और यथार्थवादी राजनीति (रियलपॉलिटिक) के बीच संतुलन बनाए रखता है। आगे का मार्ग धैर्यपूर्ण तथा सिद्धांतनिष्ठ सहभागिता, सुदृढ़ मानवीय सहायता और बहुपक्षीय सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए अफगानिस्तान की शांति एवं प्रगति में योगदान दे सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिये तथा उन प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण कीजिये, जो इसके पूर्ण रूप से साकार होने में अब भी अवरोध उत्पन्न करती हैं। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ महिलाओं के सशक्तीकरण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिये।
- ❖ उन प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण कीजिये, जो महिलाओं के सशक्तीकरण की पूर्ण प्राप्ति में अवरोध बन रही हैं।
- ❖ उपयुक्त मार्गदर्शन या निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये।

परिचय:

महिलाओं का सशक्तीकरण उस प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसके माध्यम से उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान और सक्रिय भागीदारी की शक्ति प्रदान की जाती है। भारत में यह न केवल एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है, बल्कि समान और समावेशी विकास के लिये आवश्यक शर्त भी है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फिर भी, गहरी सामाजिक संरचनाएँ और पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताएँ आज भी उनके सशक्तीकरण की पूर्ण प्राप्ति में प्रमुख बाधा बनी हुई हैं।

मुख्य भाग:

भारत में महिला सशक्तीकरण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक

- ❖ **महिला साक्षरता में वृद्धि:** भारत में महिला साक्षरता दर वर्ष 2025 में लगभग 70.3% रहने का अनुमान है, जो सरकार की योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कारण निरंतर वृद्धि को दर्शाती है।
- ❖ **कार्यबल में बढ़ती भागीदारी:** महिला श्रमबल भागीदारी दर में उत्साहजनक वृद्धि हुई है — वर्ष 2023-24 में यह 41.7% तक पहुँच गई, जबकि एक दशक पहले यह 30% से भी कम थी।

- ❖ **उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन:** महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की संख्या पिछले दशक में लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2023-24 में 1.92 करोड़ इकाइयों तक पहुँच गई है।
 - ❖ **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्त बना हुआ है — पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, जबकि कई राज्यों में 50% तक आरक्षण का प्रावधान है।
 - ❖ **महत्वपूर्ण "नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)"** संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका क्रियान्वयन परिसीमन के बाद अपेक्षित है।
 - ❖ **स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार:** महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार देखा गया है, मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति एक लाख जन्म पर 97 रह गई है तथा संस्थानिक प्रसव की दर 88% से अधिक पहुँच चुकी है।
 - ❖ **कानूनी और सामाजिक सुधार:** घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, निर्भया अधिनियम तथा यौन उत्पीड़न कानूनों में संशोधन जैसे प्रावधान महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और निवारक तंत्र प्रदान करते हैं, यद्यपि कार्यान्वयन में कुछ कमी अब भी बनी हुई है।
 - ❖ **सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन:** लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर केंद्रित अभियानों ने धीरे-धीरे सांस्कृतिक मान्यताओं को पुनर्परिभाषित करना शुरू कर दिया है तथा महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया है।
- प्रमुख बाधाएँ जो इसके पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं:**
- ❖ **श्रमबल से बहिष्करण और अनौपचारिकता:** भारत में कार्यशील महिलाओं में से 90% से अधिक महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा तथा कैरियर विकास के अवसरों का अभाव है। भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में लगभग आधी है तथा वैश्विक औसत 48.7% से भी कम बनी हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ राजनीतिक अल्प-प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मकता: 18वीं लोकसभा में महिलाओं के पास केवल लगभग 14% सीटें हैं और राज्य विधानसभाओं में यह अनुपात इससे भी कम है। महिलाओं की राजनीतिक शक्ति को “सरपंच-पति” प्रणाली जैसी प्रथाएँ और कमजोर करती हैं, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पुरुष परिजन निर्णय लेते हैं।
- ❖ स्वास्थ्य असमानता और लैंगिक उपेक्षा: सुधारों के बावजूद महिलाओं की स्वास्थ्य-संबंधी प्रणालीगत बाधाएँ बनी हुई हैं। NFHS-5 के अनुसार 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 57% महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित हैं, जिससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ❖ शैक्षिक असमानताएँ और कौशल असंतुलन: यद्यपि महिलाओं का नामांकन बढ़ा है, लेकिन शैक्षिक गुणवत्ता में कमी, उच्च ड्रॉपआउट दर और STEM क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।
- ❖ डिजिटल और अवसंरचनात्मक बहिष्करण: NSO सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु

की 51.6% महिलाओं के पास मोबाइल फोन का अभाव है, जो डिजिटल लैंगिक विभाजन को उजागर करता है।

- ❖ सामाजिक-सांस्कृतिक पितृसत्ता और रूढ़िवादिता: पितृसत्तात्मक मान्यताएँ और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ महिलाओं के शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े विकल्पों को सीमित करती हैं।
- ❖ लैंगिक आधारित हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: वर्ष 2022 में 4,45,000 से अधिक अपराधों की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा दहेज मृत्यु जैसे अपराध शामिल हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की व्यापक एवं गहराई तक फैली समस्या को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

सच्ची समानता (SDG 5) हासिल करने के लिये, लैंगिक बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा और मजबूत बुनियादी ढाँचे जैसी समग्र नीतियों के जरिये लगातार आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “लोगों को जागृत करने के लिये, महिलाओं को जागृत करना होगा। एक बार जब वह आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है।”

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत का विनिर्माण क्षेत्र गति दिखा रहा है, लेकिन इसे लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में चुनौतियों की गंभीर समीक्षा कीजिये और हाल की पहलों के संदर्भ में सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में विनिर्माण क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ❖ भारत के विनिर्माण क्षेत्र में लगातार आ रही चुनौतियों और बाधाओं को रेखांकित कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आर्थिक विकास की रीढ़, विनिर्माण क्षेत्र, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.26% की वृद्धि दर्शाई, जिसमें विनिर्माण निर्यात 2.52% वार्षिक वृद्धि के साथ 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष-दर-वर्ष 14% वृद्धि) तक पहुँच गया। इन लाभों के बावजूद, इस क्षेत्र को संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी पूरी क्षमता को सीमित कर देती हैं।

मुख्य भाग:

भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- ❖ **बुनियादी अवसंरचना की कमियाँ:** यद्यपि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 7.97% रह गई है, जो उल्लेखनीय दक्षता सुधार दर्शाती है।
 - ⦿ फिर भी, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में कमियाँ सड़क, रेल और बंदरगाहों के निर्बाध एकीकरण में बाधा बन रही हैं।
 - ⦿ बार-बार बिजली की निरंतर आपूर्ति न होना, अपर्याप्त जलापूर्ति और अकुशल परिवहन नेटवर्क विनिर्माण दक्षता को बाधित करते हैं।

- ❖ **नियामक और नीतिगत अड़चनें:** जटिल नियम और कई मंजूरीयें लेन-देन की लागत बढ़ाती हैं।
 - ⦿ भारत के विनिर्माण MSME को श्रम, पर्यावरण, कराधान और कॉर्पोरेट कानूनों से संबंधित 1,450 से अधिक नियामक दायित्वों का सामना करना पड़ता है, जिससे अनुपालन जटिल एवं समय लेने वाला हो जाता है।
- ❖ **कौशल अंतर:** भारत के केवल 4.7% कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96% है।
 - ⦿ प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण और उन्नत तकनीकों के अंगीकरण में बाधा डालती है।
- ❖ **वित्त तक अभिगम्यता:** MSME किरायायती ऋण तक सीमित अभिगम्यता से जूझ रहे हैं तथा कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर रहे हैं।
 - ⦿ यद्यपि मार्च 2025 तक, भारत में MSME को दिया गया कुल वाणिज्यिक ऋण ₹35.2 लाख करोड़ (4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 13% की दर से बढ़ रहा है। फिर भी, एक महत्वपूर्ण ऋण अंतर बना हुआ है, जो कई MSME के विकास और आधुनिकीकरण को सीमित कर रहा है।
- ❖ **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार की कमी:** भारतीय निर्माताओं को चीन और वियतनाम जैसे कम लागत वाले उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
 - ⦿ अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश, कमजोर डिज़ाइन क्षमताएँ और आयातित तकनीक पर निर्भरता प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम करती है।
- ❖ **पर्यावरणीय और सतत् विकास दबाव:** विनिर्माण संसाधन-प्रधान है, जिससे जल, भूमि और ऊर्जा पर दबाव पड़ता है।
 - ⦿ कार्बन-मुक्ति और वर्ष 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव अनुपालन लागत को बढ़ाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **व्यापार और बाज़ार अभिगम्यता संबंधी बाधाएँ:** विकसित देशों में गैर-शुल्क बाधाएँ निर्यात को सीमित करती हैं।
- 🌀 **विकसित देश कड़े उत्पाद मानक, कार्बन कर, वनों की कटाई के नियम और प्रमाणन आवश्यकताएँ** जैसे गैर-शुल्कीय प्रतिबंध लगाते हैं जो भारतीय निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं।
 - 🔍 उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन कर और वानिकी नियम भारतीय वस्तुओं के लिये बाधा बन गए हैं।
- ❖ **तकनीकी का मंद अंगीकरण:** भारत के उद्योग 4.0 बाज़ार का आकार वर्ष 2024 में लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकलन किया गया था तथा 19.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वर्ष 2033 तक लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।
- 🌀 इस तीव्र वृद्धि के बावजूद, MSME और पारंपरिक निर्माताओं के बीच इसका अंगीकरण असमान व तुलनात्मक रूप से धीमा बना हुआ है।

भारत में विनिर्माण गति को त्वरित करने के उपाय

- ❖ **नियामक ढाँचे को सरल बनाना:** उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण में तेज़ी लाने तथा करों को युक्तिसंगत बनाने और अनुबंध प्रवर्तन में सुधार करने की आवश्यकता है।
- ❖ **अनुसंधान एवं विकास निवेश बढ़ाना:** कोरियाई और जर्मन नवाचार समूहों का अनुसरण करते हुए, उभरते क्षेत्रों में नवाचार के लिये अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिये तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ❖ **MSME को ऋण का विस्तार करना:** MSME और स्टार्टअप के लिये विशेष वित्तपोषण योजनाओं एवं ऋण गारंटी निधि को लागू किया जाना चाहिये।
- ❖ **बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में तेज़ी लाना:** लंबित औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को पूरा करके तथा समर्पित माल दुलाई गलियारों का विस्तार करके विश्वसनीय बिजली, परिवहन, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- ❖ **निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:** रसद लागत कम किया जाना चाहिये, बेहतर बाज़ार अभिगम्यता के लिये व्यापार समझौतों पर वार्ता की जानी चाहिये तथा वैश्विक बाज़ारों के लिये मानक प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- ❖ **स्थिरता को एकीकृत करना:** सतत विकास लक्ष्यों और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हरित विनिर्माण मिशन शुरू किया जाना चाहिये तथा ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

नीतिगत प्रोत्साहनों, वैश्विक मांग में बदलाव और प्रौद्योगिकी अंगीकरण के माध्यम से भारत का विनिर्माण क्षेत्र तीव्र गति से विस्तार के लिये तैयार है। विनिर्माण में 25% सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की हिस्सेदारी और वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिये दूरदर्शी सुधार, निरंतर निवेश तथा सभी हितधारकों एवं क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

प्रश्न : “प्रस्तावित GST 2.0 भारत के अप्रत्यक्ष कर ढाँचे की संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर करने का प्रयास करता है।” भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परिवर्तन हेतु इसके औचित्य और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ GST 2.0 सुधारों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ भारत में हाल ही में लागू किये गए GST सुधारों के पीछे के तर्क की विवेचना कीजिये।
- ❖ GST सुधारों के दौरान उभरी चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 के माध्यम से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। समय के साथ GST को कई दरों, प्रतिशुल्क ढाँचों और उच्च अनुपालन लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ GST 2.0 आवश्यक वस्तुओं के लिये 5 प्रतिशत, मानक वस्तुओं के लिये 18 प्रतिशत और विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं के लिये 40 प्रतिशत गुण-दोष दर वाली द्वि-स्तरीय संरचना को अपनाकर प्रणाली को सरल बनाता है, जिससे कर व्यवस्था अधिक कुशल, पारदर्शी एवं विकासोन्मुखी बनती है।

मुख्य भाग:

भारत में हाल के GST सुधारों के पीछे तर्क:

- ❖ **कम कीमतें, अधिक मांग:** कम GST दरें वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाती हैं, घरेलू बचत बढ़ाती हैं तथा उपभोग को बढ़ावा देती हैं, विशेष रूप से आवश्यक एवं रोजगार-प्रधान क्षेत्रों में।
 - 🌀 इन सुधारों से घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने, अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थायित्व में योगदान मिलने की उम्मीद है।
- ❖ **MSME को समर्थन:** सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और हस्तशिल्प जैसी वस्तुओं की कम इनपुट लागत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है तथा उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- ❖ **अनुपालन में सुगमता:** सरलीकृत दो-दर संरचना कर विवादों को कम करती है, निर्णय लेने में तीव्रता लाती है और व्यवसायों के लिये अनुपालन लागत कम करती है।
 - 🌀 पिछले सुधारों के साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर अनुपालन के साथ कम दरें मध्यम अवधि में GST संग्रह बढ़ा सकती हैं।
- ❖ **व्यापक कर आधार:** सरल दरें स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, कर दायरे को व्यापक बनाती हैं तथा समय के साथ सरकारी राजस्व में संभावित रूप से सुधार करती हैं।
- ❖ **विनिर्माण को समर्थन:** प्रतिशुल्क ढाँचे को ठीक करने से घरेलू मूल्य संवर्द्धन बढ़ता है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ होती है तथा मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ **सामाजिक सुरक्षा:** बीमा और आवश्यक दवाओं पर छूट घरेलू सुरक्षा को सुदृढ़ करती है तथा स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम्यता में सुधार करती है, जिससे समानता संबंधी चिंताएँ दूर होती हैं।

- ❖ **उपभोग और उत्पादन दक्षता:** व्यापक करों को समाप्त करके तथा दरों को युक्तिसंगत बनाकर GST 2.0 विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन आवंटन दक्षता को बढ़ावा देता है।

GST सुधारों के दौरान उभरे मुद्दे

- ❖ **राजकोषीय राजस्व में कमी:** इन सुधारों से राजस्व में भारी कमी आ रही है, जिसका अनुमान लगभग ₹48,000 करोड़ प्रतिवर्ष है, जिसका मुख्य कारण कम दरें और कई वस्तुओं की शून्य-रेटिंग है।
 - 🌀 इससे केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों पर राजकोषीय दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें या तो व्यय में कटौती करनी पड़ती है या उधारी बढ़ानी पड़ती है।
- ❖ **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और व्यापक कर संबंधी मुद्दे:** छूट और शून्य-रेट वाली आपूर्तियाँ ITC के लिये पात्रता को सीमित करती हैं, जिससे इनपुट पर व्यापक कर लगते हैं।
- ❖ **दर संरचना और वर्गीकरण संबंधी अस्पष्टताएँ:** कम स्लैब का सरलीकरण सहायक है, लेकिन वर्गीकरण संबंधी विवाद इस बात पर बने रहते हैं कि कौन-सी वस्तुएँ दी गई श्रेणियों में आती हैं।
 - 🌀 विशेष दरें और हानिकारक वस्तुओं के लिये नया 40% स्लैब विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं पर कराधान जैसे क्षेत्रों में जटिलताएँ बढ़ाता है।
- ❖ **अनुपालन जटिलता और तकनीकी एकीकरण:** हालाँकि स्लैब को युक्तिसंगत बनाया गया है, फिर भी व्यवसायों को संक्रमणकालीन अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मूल्य निर्धारण, बिलिंग प्रणालियों और ERP अपडेट का पुनर्निर्धारण शामिल है।
 - 🌀 MSME में तेजी से अनुकूलन करने की क्षमता का अभाव हो सकता है, जिससे उन्हें उच्च अनुपालन लागत और अधिगम की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
 - 🌀 अनुपालन में सुधार एवं चोरी का पता लगाने के लिये सरकार और GST नेटवर्क (GSTN) द्वारा AI एवं डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का लाभ उठाया जाता है, लेकिन नियमों में बार-बार बदलाव अभी भी अनुपालन को जटिल बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ प्रवर्तन और विवाद समाधान में विलंब: विवादों के शीघ्र समाधान के लिये आवश्यक GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) कई राज्यों में निष्क्रिय या विलंबित बना हुआ है।

GST 2.0 सुधारों को सुदृढ़ करने के उपाय

- ❖ GST प्रशासन का सुदृढ़ीकरण: अनुपालन निगरानी में सुधार और चोरी को कम करने के लिये GST नेटवर्क (GSTN) को बढ़ाना चाहिये और AI/डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिये।
- ❖ MSME का समर्थन: छोटे व्यवसायों को नए स्लैब के अनुकूल बनाने में सहायता करने के लिये क्षमता निर्माण, सरलीकृत अनुपालन और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- ❖ राजकोषीय प्रभाव की निगरानी: सामाजिक और अवसंरचना पर व्यय से समझौता किये बिना राजस्व की कमी की भरपाई के लिये लक्षित राजकोषीय उपायों या तरलता प्रबंधन का उपयोग किया जाना चाहिये।
- ❖ निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तंत्र: एक निर्बाध ITC श्रृंखला सुनिश्चित करने से व्यवसायों के लिये कार्यशील पूंजी की रुकावटें नहीं आतीं।
 - 🌀 ITC पात्रता को रीयल-टाइम इनवॉइस मिलान से जोड़ने से तरलता बनाए रखते हुए धोखाधड़ी कम हो सकती है।
- ❖ जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा: व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिये नई दरों एवं अनुपालन प्रक्रियाओं पर करदाता शिक्षा अभियान चलाए जाने चाहिये।
 - 🌀 प्रशासनिक बोझ कम करने के लिये डिजिटल इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और स्वचालन का विस्तार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

अगली पीढ़ी के GST सुधार एक सरल, न्यायसंगत और भविष्य-उन्मुख कर संरचना के निर्माण की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों पर कर का बोझ कम करके तथा किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), महिलाओं, युवाओं व मध्यमवर्गीय परिवारों को सशक्तीकरण प्रदान करके, GST 2.0 समावेशी समृद्धि, राजकोषीय दृढ़ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की नींव रखता है।

प्रश्न : किसी राज्य की राजकोषीय स्थिति उसकी विकासात्मक समुत्थानशीलता को निर्धारित करती है। भारतीय राज्यों में राजकोषीय क्षमता और राजकोषीय प्रदर्शन के बीच के अंतर को समाप्त करने में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) किस प्रकार सहायक हो सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ राजकोषीय स्वास्थ्य और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) की परिभाषा से अपने उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- ❖ इसके पश्चात् राजकोषीय क्षमता-प्रदर्शन अंतराल से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित कीजिये।
- ❖ इन अंतरालों को न्यूनतम करने में FHI की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

‘राजकोषीय स्वास्थ्य’ किसी राज्य की राजस्व संग्रहण, व्यय प्रबंधन करने तथा ऋण को स्थायी रूप से वहन करने की क्षमता अर्थात् कल्याणकारी व्यय को बनाए रखने और आर्थिक झटकों से निपटने की वह क्षमता, जो उसकी विकासात्मक दृढ़ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, को निरूपित करता है। NITI आयोग द्वारा विकसित ‘राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक’ (Fiscal Health Index - FHI) देश के 18 प्रमुख राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। इसमें राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान, जनांकिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व स्रोत एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता जैसे घटकों को सम्मिलित किया गया है।

मुख्य भाग:

राजकोषीय क्षमता-प्रदर्शन अंतराल को न्यूनतम करने में चुनौतियाँ

- ❖ असमान राजस्व आधार: औद्योगिक राज्यों (जैसे- गुजरात) की कर-संग्रहण क्षमता कृषि-प्रधान राज्यों (जैसे- झारखंड) की तुलना में अधिक है, जिससे कमजोर राज्यों की राजकोषीय नम्य क्षमता सीमित हो जाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप




- ❖ **केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता:** बिहार जैसे राज्य वित्त आयोग के अनुदानों और GST क्षतिपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता घट जाती है।
- ❖ **अप्रभावी व्यय प्रबंधन:** उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में योजनाबद्ध व्यय के अभाव में ऋण तो बढ़ता है परंतु सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता।
- ❖ **लोकाधिकारवादी योजनाएँ:** पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अत्यधिक सब्सिडियों से वित्तीय दबाव बढ़ता है, जिससे सतत् विकास प्रभावित होता है।
- ❖ **ऋण का बोझ:** केरल में बार-बार के राजस्व व्ययों हेतु अधिक उधारी लेने से पूंजीगत निवेश (जैसे- अवसंरचना व कल्याणकारी कार्यक्रमों में) की क्षमता सीमित हो जाती है।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) की भूमिका

- ❖ FHI एक निदानात्मक और नीतिगत साधन के रूप में कार्य करके राजकोषीय क्षमता-प्रदर्शन अंतर को न्यूनतम करने में सहायता करता है।
- ❖ FHI पाँच प्रमुख उप-सूचकांकों के आधार पर राज्यों को रैंक करता है:
 - 🌀 **व्यय की गुणवत्ता:** दीर्घकालिक विकास (विकासात्मक) बनाम नियमित संचालन (गैर-विकासात्मक) पर व्यय के अनुपात का निर्धारण करता है।
 - 🔍 आर्थिक उत्पादन के हिस्से के रूप में पूंजी निवेश का आकलन करता है।
 - 🌀 **राजस्व संग्रहण:** किसी राज्य की अपनी स्वयं की राजस्व का सृजन करने और अपने व्यय को स्वतंत्र रूप से वहन करने की क्षमता को दर्शाता है।
 - 🌀 **राजकोषीय विवेक:** आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष घाटे (राजकोषीय और राजस्व) और उधारी पर नज़र रखता है, जो राजकोषीय स्वास्थ्य का संकेत देता है।

- 🌀 **ऋण सूचकांक:** राज्य के ऋण-भार का आकलन करता है, आर्थिक आकार के सापेक्ष ब्याज भुगतान और देयताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- 🌀 **ऋण स्थिरता:** सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि की तुलना ब्याज भुगतान से करता है, जिसमें सकारात्मक अंतर-राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है।



निष्कर्ष:

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) राज्यों की क्षमता और प्रदर्शन के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक सुदृढ़ रूपरेखा प्रदान करता है। यह राज्यों को तुलनात्मक मानक, पारदर्शिता और नीतिगत सुधारों के लिये प्रोत्साहित कर 'सहकारी राजकोषीय संघवाद' को सशक्त बनाता है तथा विकासात्मक दृढ़ता को बढ़ाता है।

जो राज्य FHI-आधारित सुधार अपनाते हैं, वे अधिक कुशल व्यय, सतत् ऋण प्रबंधन तथा मानव एवं भौतिक पूंजी में रणनीतिक निवेश के माध्यम से संतुलित, समावेशी और दृढ़ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रश्न : “भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम डायनामिक है लेकिन इसमें भविष्य के लिये तैयारी की कमी है।” समालोचनात्मक रूप से जाँच कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की गतिशीलता पर चर्चा कीजिये।
- ❖ इसकी भविष्य की तैयारी को लेकर चिंताओं पर प्रकाश डालिये।
- ❖ इसकी भविष्य की तैयारी को बढ़ाने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर सबसे जीवंत इकोसिस्टम के रूप में उभरा है, जो नवाचार, रोज़गार सृजन एवं डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। यद्यपि 800 से अधिक जिलों में 1.95 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (वर्ष 2025) के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। तथापि, इस सक्रियता के बावजूद इसके भविष्यगत तैयारी को लेकर अर्थात् नवाचार को सतत् बनाए रखने, तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल ढलने तथा दीर्घकाल में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने की क्षमता के विषय में चिंताएँ बनी हुई हैं।

मुख्य भाग:

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की गतिशीलता

- ❖ **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और वित्तीय समावेशन:** भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)— विशेषकर UPI एवं आधार के व्यापक प्रसार ने अभिगम्यता की लागत और लेन-देन संबंधी बाधाओं को मौलिक रूप से कम कर दिया है, जिससे **फिनटेक एवं ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।**
- ⌚ **फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है,** जिससे स्टार्टअप्स उपयोगकर्ताओं का तुरंत सत्यापन कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे भुगतानों को संसाधित कर सकते हैं।

⌚ UPI ने ₹24.90 लाख करोड़ मूल्य के 19.63 बिलियन लेन-देन (सितंबर 2025) दर्ज किये, जो **क्विक कॉमर्स जैसे मॉडलों की नींव को दर्शाता है।**

- ❖ **सहायक सरकारी नीतियाँ और नियामक कार्यवाही:** स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों और स्टार्टअप्स के लिये **फंड ऑफ फंड्स (FFS)** जैसी योजनाओं ने अनुपालन सरलीकरण एवं लक्षित वित्त पोषण के माध्यम से एक सक्षम नीतिगत परिवेश तैयार किया है।
- ⌚ कर छूट और त्वरित IPR अनुमोदन के साथ-साथ इस राज्य समर्थन ने उद्यमिता को, विशेष रूप से **टियर-2 और टियर-3 शहरों में, जोखिम मुक्त कर दिया है।**
- ❖ **परिपक्व वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी परिदृश्य:** वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, **भारत का वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम समुत्थानशील बना हुआ है** तथा सुदृढ़ यूनिट इकोनॉमिक्स और डीप-टेक निवेश की ओर बढ़ रहा है।
- ⌚ वर्ष 2024 में, वेंचर कैपिटल फंडिंग सालाना आधार पर **43% बढ़कर 13.7 बिलियन डॉलर हो गई,** जिसमें सीड-स्टेज स्टार्टअप्स में 29% की वृद्धि हुई, जो शुरुआती नवाचार में निवेशकों के विश्वास का संकेत है।
- ❖ **विशाल और तीव्रता से डिजिटल होता घरेलू बाज़ार:** भारत की विशाल जनसंख्या और इंटरनेट की बढ़ती अभिगम्यता **एक विशाल डिजिटल बाज़ार का निर्माण करती है।**
- ⌚ वर्ष 2050 तक वैश्विक खपत (PPP) में 16% की हिस्सेदारी का अनुमान है, भारत के उपभोक्ता प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने वर्ष 2024 में डिजिटल माँग के कारण 5.4 बिलियन डॉलर आकर्षित किये।
- ❖ **डीप-टेक और AI इनोवेशन पर बढ़ता ध्यान:** डीप-टेक, जनरेटिव AI, क्लीनटेक और स्पेसटेक की ओर झुकाव स्पष्ट है, जिसे राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप नीति का समर्थन प्राप्त है।
- ⌚ **निरमाई (Niramai)** जैसे स्टार्टअप, गैर-आक्रामक स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिये AI का उपयोग करते हुए, सामाजिक-प्रभाव नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। **वर्ष 2024 में डीप-टेक फंडिंग 78% बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर हो गई,** जिसमें 87% AI-आधारित उद्यमों में थी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ **प्रचुर और कुशल प्रतिभा पूल:** भारत का जनांकिकीय लाभांश और प्रतिस्पर्द्धी इंजीनियरिंग कार्यबल स्टार्टअप विकास को बनाए रखते हैं।

🌀 **स्केलर जैसे प्लेटफॉर्म डेटा विज्ञान और AI में इंजीनियरों को पुनः प्रशिक्षित करते हैं,** कौशल अंतराल को समाप्त करते हैं। वर्ष 2047 तक कार्यशील आयु वर्ग की आबादी 1 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो नवाचार के लिये मानव पूँजी को मजबूत करेगी।

❖ **वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरण और सीमा पार सहयोग:** G20 Startup20 एंजेजमेंट ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भारत वैश्विक संबंध बना रहा है, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक (FVCI) मानदंडों को सरल बना रहा है तथा एंजेल टैक्स को हटाकर इसे एशिया-प्रशांत (वर्ष 2024) में दूसरा सबसे बड़ा VC गंतव्य बना रहा है।

भविष्य की तैयारी को लेकर चिंताएँ

❖ **लंबे समय तक फंडिंग विंटर और मूल्यांकन सुधार:** चल रहे फंडिंग विंटर और मूल्यांकन सुधारों ने विकास को बाधित कर दिया है, जिससे फंडिंग घटकर 10 बिलियन डॉलर (वर्ष 2023) रह गई है। यह सतर्क बदलाव यूनिकॉर्न निर्माण को धीमा कर देता है और शुरुआती चरण के स्टार्टअप पर दबाव डालता है।

❖ **डीप-टेक में प्रतिभा की गंभीर कमी और कौशल का अंतर:** AI, ML और साइबर सुरक्षा में कौशल का गंभीर असंतुलन बना हुआ है।

🌀 **वर्ष 2024 में केवल 42.6% भारतीय स्नातक ही रोजगार योग्य थे,** जो वर्ष 2023 में 44.3% से कम है।

❖ **स्टार्टअप गतिविधि का उच्च भौगोलिक संकेंद्रण:** स्टार्टअप गतिविधि बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और मुंबई में केंद्रित है, जहाँ 83% यूनिकॉर्न स्थित हैं, जिससे टियर-2 एवं टियर-3 केंद्रों का उदय सीमित हो रहा है।

❖ **निरंतर लैंगिक असमानता और वित्त पोषण का अंतर:** केवल 18% स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले (वर्ष 2022) थे और महिलाओं के लिये VC फंडिंग घटकर 9.3% (वर्ष 2023) रह गई, जो प्रणालीगत लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

❖ **जटिल और विकसित होता नियामक परिदृश्य:** सुधारों के बावजूद, स्टार्टअप को नियामक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 जैसे नए कानूनों के कारण, जो अनुपालन का बोझ बढ़ा रहे हैं।

❖ **सीमित निकास मार्ग और निवेशक लॉक-इन:** कमजोर IPO और M&A पाइपलाइन निकास के अवसरों में बाधा डालते हैं। हालाँकि 5 बिलियन डॉलर के निकास (वर्ष 2024) हुए, असंगत सार्वजनिक बाजार प्रदर्शन बड़े पैमाने पर लिस्टिंग को रोकता है।

भविष्य की तैयारी बढ़ाने के उपाय

❖ **नियामक सरलीकरण और एकल-खिड़की मंजूरी:** व्यावसायिक पैमाने पर आधारित श्रेणीबद्ध दायित्वों वाला एक एकीकृत डिजिटल अनुपालन प्लेटफॉर्म अनिश्चितता को कम करेगा और पूर्वानुमान को बढ़ाएगा।

❖ **डीप-टेक और अनुसंधान एवं विकास नवाचार केंद्र:** विश्वविद्यालय-उद्योग संबंधों और कर प्रोत्साहनों के साथ AI, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा एवं रक्षा नवाचार समूहों का निर्माण अनुसंधान-व्यावसायीकरण के अंतराल को समाप्त कर सकता है।

❖ **पूँजी तक विकेंद्रीकृत पहुँच:** सरकारी बीज पूँजी, निजी इक्विटी और CSR वित्तपोषण को मिलाकर क्षेत्रीय स्टार्टअप फंड महानगरों से परे वित्तपोषण का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं।

❖ **ग्लोबल मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म:** विदेशों में स्टार्टअप दूतावासों और सीमा-पार ई-कॉमर्स कार्यवाहियों की स्थापना भारतीय स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में सहायता कर सकती है।

❖ **प्रतिभा गतिशीलता और उद्यमशीलता कौशल:** उद्यमशीलता अवकाश, गिग-अनुकूल श्रम कानून एवं भविष्य-कौशल कार्यक्रमों की शुरुआत, कार्यबल की तैयारी को स्टार्टअप आवश्यकताओं के साथ संरेखित कर सकती है।

❖ **उत्प्रेरक के रूप में सार्वजनिक खरीद:** GeM और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप को एकीकृत करके स्थिर माँग प्रदान की जा सकती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
माँड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **सतत और समावेशी स्टार्टअप नीतियाँ:** ESG से जुड़े प्रोत्साहनों को शामिल करना, हरित नवाचार और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देना, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र महानगर-केंद्रित विकास से एक व्यापक-आधारित नवाचार आंदोलन की ओर परिवर्तित हो रहा है। जैसा कि पेरप्लेक्सिटी के CEO अरविंद श्रीनिवास कहते हैं, **“भारतीय केवल कंपनियों का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि स्वयं उद्यमों का निर्माण भी कर सकते हैं।”**

इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिये, भारत को पूँजी एवं प्रतिभा तक समान अभिगम्यता सुनिश्चित करते हुए संधारणीयता, विविधता और अग्रणी तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इन स्तंभों को सुदृढ़ करने से भारतीय स्टार्टअप्स के लिये एक आत्मनिर्भर, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एवं समुत्थानशील भविष्य सुनिश्चित होगा।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न : खनन आर्थिक संवृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही यह पारिस्थितिक संतुलन के लिये खतरा भी उत्पन्न करता है। खनन गतिविधियाँ किस प्रकार पर्यावरणीय क्षरण में योगदान करती हैं, इसका परीक्षण कीजिये तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु स्थायी रणनीतियाँ प्रस्तावित कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ खनन क्षेत्र के महत्त्व का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- ❖ खनन गतिविधियाँ पर्यावरणीय क्षरण में किस प्रकार योगदान करती हैं, इसका परीक्षण कीजिये।
- ❖ उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु स्थायी रणनीतियों को प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खनन भारत के औद्योगिकीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है, जो ऊर्जा, अवसंरचना तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिये

आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है। किंतु अस्थिर और अव्यवस्थित खनन प्रथाओं ने गंभीर पारिस्थितिक हास को जन्म दिया है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े कोयला उत्पादक और शीर्ष दस खनिज संपन्न देशों में से एक होने के बावजूद, भारत पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की द्वैध चुनौती का सामना कर रहा है।

मुख्य भाग:

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव

- ❖ **वनों की कटाई और जैवविविधता का हास:** ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे वन-समृद्ध क्षेत्रों में खनन के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है।
 - 🌀 सत्र 2014-15 और 2023-24 के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत लगभग 1.74 लाख हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों के लिये परिवर्तित किया गया, जिसमें खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान अकेले कुल परिवर्तन का लगभग 23% (40,096 हेक्टेयर) था।
- 🌀 **आवास विखंडन** मध्य भारत में हाथियों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों के लिये खतरा है।
- ❖ **मृदा और भूमि क्षरण:** मुक्त खनन से उपजाऊ ऊपरी मृदा नष्ट हो जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है।
 - 🌀 रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कोयला खनन के कारण भारत के मध्य कोयला क्षेत्र में लगभग 35% मूल भूमि का क्षरण हुआ है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
- ❖ **जल प्रदूषण और जल की कमी:** अम्लीय खदान जल निष्कर्षण से नदियाँ आर्सेनिक और पारा जैसी भारी धातुओं से संदूषित होती हैं।
 - 🌀 झरिया और सिंगरौली में कोयला खनन ने भूजल को प्रदूषित किया है, जिससे स्थानीय समुदाय प्रभावित हुए हैं।
 - 🌀 अत्यधिक खनन से भूजल स्तर कम होता है, जिससे जल संकट और गंभीर हो जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ वायु और ध्वनि प्रदूषण: ब्लास्टिंग और परिवहन से उत्सर्जित होने वाले धूल के कण से कणिका पदार्थ (PM2.5 और PM10) स्तर में वृद्धि होती है।
- 🌀 CPCB के आँकड़ों के अनुसार, धनबाद और कोरबा जैसे खनन क्षेत्र प्रायः सुरक्षित वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हो जाते हैं।
- ❖ जलवायु परिवर्तन में योगदान: खनन, प्रसंस्करण और परिवहन सामूहिक रूप से बड़ी मात्रा में CO₂ एवं मीथेन उत्सर्जित करते हैं, जिससे भारत का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।

शमन हेतु स्थायी रणनीतियाँ

- ❖ पर्यावरण-अनुकूल खनन पद्धतियों का अंगीकरण: भूमि के असंतुलन को कम करने के लिये रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वेक्षण और ग्रीन एक्सप्लोसिव का उपयोग।
- 🌀 MMDR अधिनियम, 2015 के अंतर्गत खदान बंद करने और पुनर्ग्रहण योजनाओं (MCRP) का कार्यान्वयन।
- ❖ पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ बनाना: कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और निष्कर्षण के बाद की निगरानी लागू करना।
- 🌀 खान मंत्रालय द्वारा STAR रेटिंग प्रणाली के माध्यम से खदान संचालन की पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग।
- ❖ पुनर्वास और वनरोपण: प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के अंतर्गत खनन-उपरांत क्षेत्रों में वृक्षारोपण को अनिवार्य करना।
- 🌀 ओडिशा जैसे राज्यों में समुदाय-आधारित पुनर्वनीकरण के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।
- ❖ चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा: धातुओं के पुनर्चक्रण तथा खनन अपशिष्ट के निर्माण-सामग्री में उपयोग से नए खनिज निष्कर्षण की आवश्यकता घटती है।
- 🌀 ई-वेस्ट (e-Waste) की पुनर्प्राप्ति के लिये शहरी खनन को प्रोत्साहित करना स्थायी खनिज स्रोतों का समर्थन करता है।
- ❖ सामुदायिक भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR): खनन की योजना, निगरानी एवं पुनर्वास में स्थानीय

समुदायों की सक्रिय भागीदारी पारदर्शिता एवं साझा स्वामित्व को सुनिश्चित करती है।

- 🌀 स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वैकल्पिक आजीविका सृजन पर केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पहल आय के स्रोतों में विविधता लाने, खनन पर निर्भरता कम करने तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं।

निष्कर्ष:

वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के लिये खनन गतिविधियों को पर्यावरणीय नैतिकता एवं सतत् विकास के साथ संरेखित करना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। ग्रीन माइनिंग की नीति जो प्रौद्योगिकी, नियमन तथा सामुदायिक सहभागिता का संयोजन है, यह सुनिश्चित कर सकती है कि भारत की खनिज-संपदा पारिस्थितिक विनाश नहीं, बल्कि सतत् विकास का साधन बने।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक अन्वेषण के एक साधन से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में विकसित हुआ है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उत्तर-लेखन आरंभ कीजिये।
- ❖ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सामाजिक-आर्थिक योगदान पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की अंतरिक्ष यात्रा वर्ष 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई, जिसने देश के उपग्रह प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रवेश को चिह्नित किया। प्रारंभ में वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से ISRO के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम धीरे-धीरे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने कृषि, शिक्षा,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन और शासन को समर्थन प्रदान किया है। यह विकास इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस प्रकार अनुसंधान प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर लाखों भारतीयों के जीवन को सीधे प्रभावित करने लगी है।

मुख्य भाग:

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक योगदान

वैज्ञानिक अन्वेषण और तकनीकी आधार:

- SLV, ASLV, PSLV और GSLV के विकास ने स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमताओं को स्थापित किया।
- चंद्रयान-1, मंगलयान और एस्ट्रोसैट जैसे मिशनों ने भारत की वैश्विक वैज्ञानिक विश्वसनीयता को बढ़ाया है।

कृषि और खाद्य सुरक्षा:

- IRS उपग्रह फसल निगरानी, उपज अनुमान, सूखे का पूर्वानुमान और मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण प्रदान करते हैं।
- ये उपकरण किसानों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।

आपदा प्रबंधन:

- INSAT और RISAT जैसे उपग्रह चक्रवातों, बाढ़ एवं वनाग्नि के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली को सक्षम बनाते हैं।
- ओडिशा चक्रवात वर्ष 2021 के दौरान उपग्रह डेटा ने समय पर निकासी और राहत योजना बनाने में सहायता की।

दूरसंचार, शिक्षा और डिजिटल इन्क्लूजन:

- GSAT उपग्रह ग्रामीण संपर्क, दूरस्थ-शिक्षा और ई-गवर्नेंस में सुधार करते हैं।
- EDUSAT जैसे कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रों में दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाते हैं।

स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण निगरानी:

- सैटेलाइट इमेजरी (उपग्रह चित्रण) महामारी-वैज्ञानिक मैपिंग, प्रदूषण निगरानी तथा जलवायु अवलोकन में सहायता प्रदान करता है, जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

नौवहन और परिवहन:

- NavIC (भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली) समुद्री सुरक्षा, शहरी परिवहन योजना और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाता है।

आर्थिक विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी

- वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण राजस्व सृजन करते हैं तथा स्टार्ट-अप एवं प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- एंट्रिक्स और NSIL जैसी पहल उपग्रह निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन करती हैं।

रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव:

- भारत अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिये अंतरिक्ष का लाभ उठाता है, जिससे भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है।

निष्कर्ष:

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक वैज्ञानिक अन्वेषण उपकरण से सामाजिक-आर्थिक विकास के उत्प्रेरक में परिवर्तित हो गया है, जिसका प्रभाव कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन एवं आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। जैसा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था, “अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिये एक केंद्रीय उपकरण है।”

विज्ञान और समाज दोनों के लिये अंतरिक्ष नवाचारों का लाभ उठाने से दीर्घकालिक विकासात्मक लाभ और राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित होती है।

प्रश्न : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में शासन संबंधी कमियों को दूर करने या डिजिटल असमानताओं को और बढ़ाने, दोनों की संभावना निहित होती है। IndiaAI Mission भारत के विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में AI के लाभों तक समान अभिगम्यता को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है, विवेचना कीजिये? (250 शब्द)

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी है, जो शासन में विद्यमान अंतरालों को समाप्त कर सकती है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है तथा निर्णय-निर्माण को अधिक

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स




IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रभावी बना सकती है। साथ ही, असमान अभिगम्यता के कारण यह आशंका भी बनी रहती है कि विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच डिजिटल विषमताएँ और गहन हो सकती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिये भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है — “मेकिंग AI इन इंडिया एंड मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया” अर्थात् भारत में AI का निर्माण और AI को भारत के लिये उपयोगी बनाना। ₹10,300 करोड़ से अधिक के निवेश और 38,000 GPU के प्रावधान के साथ यह मिशन देश भर में समावेशी एवं उत्तरदायी AI अंगीकरण को प्रोत्साहित करता है।



मुख्य भाग

AI के लाभों तक समान अभिगम्यता सुनिश्चित करने में IndiaAI Mission की भूमिका

- ♦ **AI अवसंरचना का लोकतंत्रीकरण:** IndiaAI कंप्यूट पिलर स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों के लिये उच्च-स्तरीय GPU तक किफायती अभिगम्यता सुनिश्चित करता है।
- 🌀 **टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार** शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को कम करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों को स्थानीयकृत AI समाधान विकसित करने की अनुमति देता है, जैसे- किसानों के लिये फसल सलाह या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म।
- ♦ **भारत-विशिष्ट AI अनुप्रयोगों का विकास:** अनुप्रयोग विकास पहल स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन, जलवायु एवं शिक्षा के लिये AI समाधानों को बढ़ावा देती है।
- 🌀 **CyberGuard AI** जैसे कार्यक्रम साइबर सुरक्षा अनुप्रयोगों को बढ़ावा देते हैं, जबकि कृषि-केंद्रित AI उपकरण किसानों को फसल नियोजन में सहायता करते हैं। यह क्षेत्रीय समावेशिता सुनिश्चित करता है तथा क्षेत्र-विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **AI कौशल और क्षमता निर्माण:** IndiaAI प्यूचरस्किल्स कार्यक्रम जनसंख्या-स्तरीय कौशल विकास, छात्रों, ITI प्रशिक्षुओं, शिक्षकों एवं महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण पर बल देता है।
- 🌀 छोटे शहरों में AI लैब स्थापित करने से **भौगोलिक समावेशिता को बढ़ावा** मिलता है। उद्योग और शिक्षा जगत के साथ साझेदारी मानव पूंजी का निर्माण करती है, जिससे AI-संचालित अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी संभव होती है।
- ❖ **डेटा एक्सेसिबिलिटी और स्वदेशी AI मॉडल:** एआईकोश जैसे प्लेटफॉर्म 3,000 से अधिक डेटासेट और 243 AI मॉडल प्रदान करते हैं, जिससे आधारभूत डेटा विकसित करने की बाधा कम होती है। बहुभाषी बड़े मल्टीमॉडल AI मॉडल **भाषायी समावेशिता** सुनिश्चित करते हैं और विविध क्षेत्रों के नवप्रवर्तकों का समर्थन करते हैं।
- ❖ **स्टार्टअप, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** स्टार्टअप वित्तपोषण स्तंभ और वैश्विक त्वरण कार्यक्रम के माध्यम से IndiaAI राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन समाधानों के विस्तार का समर्थन करता है।
- 🌀 यह सुनिश्चित करता है कि **AI के लाभ** केवल शहरी या उच्च आय वाले क्षेत्रों तक ही नहीं, बल्कि **विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के नवप्रवर्तकों तक पहुँचें**।
- ❖ **सुरक्षित, ज़िम्मेदार और नैतिक AI:** सुरक्षित और विश्वसनीय AI स्तंभ पूर्वाग्रह निवारण, गोपनीयता संरक्षण और व्याख्यात्मकता सहित नैतिक AI परिनियोजन को बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि **AI के लाभ न्यायसंगत एवं समावेशी हों**।

चुनौतियाँ

- ❖ **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल साक्षरता AI की अभिगम्यता को सीमित कर सकती है।
- 🌀 **अखिल भारतीय स्तर पर मोबाइल फोन स्वामित्व** 73.4% है, जिसमें **ग्रामीण स्वामित्व 69.3%** है, जो शहरी स्वामित्व 82% से लगभग 13 प्रतिशत अंक पीछे है और **महिला स्वामित्व 63%** है, जो **पुरुष स्वामित्व 83.3%** से 20 प्रतिशत अंक पीछे है।

- ❖ **डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा:** संवेदनशील नागरिक डेटा के प्रबंधन से दुरुपयोग या साइबर खतरों का जोखिम बढ़ जाता है।
- ❖ **अवसंरचना की कमी:** कई टियर 2/3 शहरों और सार्वजनिक संस्थानों में AI-तैयार बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।
- ❖ **कौशल सीमाएँ:** AI का तेजी से विकास निरंतर पुनः-कौशलीकरण को एक चुनौती बना देता है, खासकर सीमांत समूहों के लिये।
- ❖ **वित्तपोषण और अंगीकरण में बाधाएँ:** सार्वजनिक क्षेत्र एवं SME में उच्च लागत और धीमी गति से अंगीकरण से प्रभाव सीमित हो सकता है।

निष्कर्ष:

IndiaAI मिशन AI तक अभिगम्यता को लोकतांत्रिक बनाने, क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देने, कुशल मानव पूंजी का निर्माण करने और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एक समग्र कार्य-ढाँचा प्रदान करता है। यद्यपि डिजिटल विषमताएँ, अवसंरचनात्मक सीमाएँ और गोपनीयता से जुड़ी चिंताएँ जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी **नीति समर्थन, वित्तीय सहयोग एवं क्षमता निर्माण** के माध्यम से **IndiaAI मिशन की रणनीतिक पहल** इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करती हैं कि **AI एक समावेशी विकास का साधन बने, शासन को अधिक प्रभावी बनाए तथा भारत में समान आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करे**।

प्रश्न : “AI से बने कंटेंट के बढ़ने से गलत जानकारी और डीपफेक का जोखिम बढ़ गया है।” उत्तरदायी डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने हेतु भारत की कोशिशों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में AI-जेनरेटेड कंटेंट के बढ़ते खतरे का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ उत्तरदायी डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों पर चर्चा कीजिये।
- ❖ भारत के डिजिटल गवर्नेंस के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने अति-यथार्थवादी छवियों, वीडियो और पाठ के निर्माण को संभव बनाकर सूचना परिदृश्य को बदल दिया है। यद्यपि AI-जेनरेटेड कंटेंट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान किये हैं, परंतु इसने गंभीर नैतिक तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। 'डीपफेक' के रूप में उभरते कृत्रिम माध्यम— जो व्यक्तित्वों अथवा घटनाओं में कृत्रिम हेर-फेर करते हैं, ने भ्रामक सूचनाओं, प्रतिष्ठा-हानि तथा जनविश्वास के क्षरण के खतरे को और बढ़ा दिया है। भारत जैसे डिजिटल रूप से जुड़े लोकतंत्र के लिये उत्तरदायी डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करना आज की अत्यंत तात्कालिक आवश्यकता बन गया है।

मुख्य भाग:

उत्तरदायी डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिये भारत के प्रयास

विधिक कार्यवाही

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम): पहचान की चोरी (धारा 66C), छद्मवेश (धारा 66D), निजता का उल्लंघन (धारा 66E) और अश्लील या अवैध कंटेंट के प्रसारण (धारा 67, 67A) से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करता है।
 - 🔍 यह धारा 69A के तहत सरकार को अवरोधन आदेश जारी करने का अधिकार देता है तथा गैरकानूनी कंटेंट के प्रसार को रोकने हेतु मध्यस्थ संस्थाओं के लिये उचित परिश्रम (धारा 79) अनिवार्य करता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: वर्ष 2022 और 2023 में संशोधित, ये नियम मध्यस्थ संस्थाओं को कृत्रिम या गैरकानूनी कंटेंट की मेज़बानी या प्रसारण को रोकने के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023: उपयोगकर्ता की सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ व्यक्तिगत डेटा का वैध प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

🔍 बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले डीपफेक दंडनीय अपराध हैं, जो निजता संरक्षण को सुदृढ़ करते हैं।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 जन-अशांति उत्पन्न करने वाली भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 111 डीपफेक सहित संगठित साइबर अपराधों के अभियोजन की अनुमति देती है, जिससे विधि प्रवर्तन की क्षमता का विस्तार होता है।
- AI-जेनरेटेड कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI-जनित या संशोधित कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य करने के लिये IT नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
 - 🔍 उपयोगकर्ता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सभी कृत्रिम रूप से निर्मित मीडिया को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिये।

भारत का बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र

- शिकायत अपीलीय समितियाँ (GAC): उपयोगकर्ताओं को मध्यस्थ संस्थाओं (Intermediaries) द्वारा लिये गये निर्णयों को चुनौती देने हेतु अपीलीय तंत्र प्रदान करती हैं।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): राज्यों में साइबर अपराध प्रतिक्रिया का समन्वय करता है और एजेंसियों को कंटेंट हटाने के नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।
- SAHYOG पोर्टल: मध्यस्थ संस्थाओं को स्वचालित रूप से हटाने के नोटिस के लिये केंद्रीकृत मंच।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: नागरिकों को डीपफेक से संबंधित धोखाधड़ी और कंटेंट के दुरुपयोग की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- CERT-In: यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित खतरों पर परामर्श जारी करता है; इसके नवंबर वर्ष 2024 के परामर्श में डीपफेक की पहचान और सुरक्षा से संबंधित उपायों को रेखांकित किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 जागरूकता अभियान: साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (NCSAM), सुरक्षित इंटरनेट दिवस, साइबर जागरूकता दिवस (CJD) और स्वच्छता पखवाड़ा जैसी पहल डिजिटल साक्षरता एवं उत्तरदायी ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देती हैं।

भारत के डिजिटल गवर्नेंस में चुनौतियाँ

- ❖ उन्नत AI टूल्स का प्रसार: डीपफेसलैब (DeepFaceLab) और चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे ओपन-सोर्स टूल्स ने डीपफेक बनाना आसान बना दिया है।
- 🌀 वर्ष 2024 में, वैश्विक स्तर पर 80 लाख से अधिक डीपफेक फाइलें पाई गईं, जो वर्ष 2020 से 16 गुना अधिक हैं। भारत में वर्ष 2019 से मामलों में 550% की वृद्धि देखी गई है और अनुमानित नुकसान ₹70,000 करोड़ है।
- ❖ बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध: डीपफेक-आधारित वित्तीय घोटाले और वॉयस फिशिंग बढ़ रहे हैं।
- 🌀 वर्ष 2023 में वैश्विक डीपफेक धोखाधड़ी में 3,000% की वृद्धि हुई।
- ❖ राजनीतिक गलत सूचना और चुनावी हेरफेर: वर्ष 2024 के आम चुनावों के दौरान, राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो का व्यापक रूप से प्रसार हुआ, जिससे लोकतांत्रिक अखंडता और जनता का विश्वास कम हुआ।
- ❖ अपर्याप्त विधिक कार्यवाही: IT अधिनियम, 2000 और DPDP अधिनियम, 2023 के बावजूद, डीपफेक के दुरुपयोग को विशेष रूप से प्रतिबंधित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है, जिससे नियामक खामियाँ बनी हुई हैं।
- ❖ कम डिजिटल साक्षरता और जन जागरूकता: McAfee (2023) के अनुसार, 47% भारतीय डीपफेक का सामना कर चुके हैं या उसके शिकार हुए हैं, जबकि 70% लोग AI-जनित आवाज़ों और वास्तविक आवाज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं।
- 🌀 जागरूकता की यह कमी सामाजिक भेद्यता को बढ़ाती है और डिजिटल संचार में विश्वास को कम करती है।

भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाले अन्य कदम

- ❖ कड़ी कानूनी परिभाषाएँ और नियम: 'कृत्रिम रूप से निर्मित कंटेंट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और

यूरोपीय संघ के AI अधिनियम एवं यूके के ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक की तरह, हेटस्पीच डीपफेक उपयोग को अपराध घोषित किया जाना चाहिये।

- ❖ अनिवार्य कंटेंट लेबलिंग और मेटाडेटा एम्बेडिंग: AI-जेनरेटेड कंटेंट के लिये वॉटरमार्किंग, डिजिटल हस्ताक्षर और मशीन-पठनीय मेटाडेटा लागू किया जाना चाहिये, जिससे पता लगाने की क्षमता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित हो।
- ❖ विशेष नियामक निकाय स्थापित करना: AI अनुपालन और प्रवर्तन की निगरानी के लिये FTC (अमेरिका) या ICO (UK) जैसे समर्पित संस्थान स्थापित किये जाने चाहिये।
- ❖ तकनीकी समाधानों में निवेश: वास्तविक काल की निगरानी के लिये स्वदेशी AI-आधारित पहचान एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन सत्यापन और कंटेंट प्रामाणिकता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: INTERPOL के साइबर अपराध निदेशालय जैसी वैश्विक संस्थाओं से जुड़कर आँकड़े, सर्वोत्तम प्रथाएँ तथा खतरे की सूचनाएँ साझा की जानी चाहिये।
- ❖ नैतिक AI विकास को प्रोत्साहित करना: डेवलपर्स को उत्तरदायी AI मानकों तथा स्वैच्छिक विनियमन संहिताओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।
- ❖ जन जागरूकता अभियान: नागरिकों को डीपफेक की पहचान और सत्यापन तकनीकों के प्रति शिक्षित करने के लिये 'साइबर जागरूकता दिवस' जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित भ्रामक सूचना के बढ़ते प्रसार की चुनौती से निपटने के लिये एक सतर्क, बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें विधिक, तकनीकी तथा सामाजिक उपायों का एकीकृत समावेश हो। आगे बढ़ते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करना, पहचान (डिटेक्शन) प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना तथा विनियामक ढाँचे को परिष्कृत करना चाहिये ताकि लोकतंत्र, निजता एवं डिजिटल युग में जन-विश्वास की रक्षा की जा सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : हिंद महासागर 21वीं सदी के रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की विवेचना कीजिये तथा अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिये भारत की तैयारियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिंद महासागर के सामरिक महत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिये भारत की तैयारियों का मूल्यांकन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाला हिंद महासागर 21वीं सदी की भू-राजनीति का केंद्र बन गया है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 80% और समुद्री व्यापार का 60% इसके महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है, जिनमें होर्मुज़, मलक्का एवं बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य शामिल हैं। 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ इसके केंद्र में स्थित भारत के लिये यह क्षेत्र एक भू-रणनीतिक अवसर और एक सुरक्षा चुनौती दोनों है, जिसके लिये बहुआयामी तैयारियों की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

हिंद महासागर का सामरिक महत्व

- ऊर्जा जीवनरेखा:** वैश्विक तेल का 65% से अधिक और कंटेनर यातायात का 50% हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण बनाता है।
- आर्थिक और संसाधन क्षमता:** इस क्षेत्र में समृद्ध हाइड्रोकार्बन भंडार, मत्स्य भंडार और समुद्री खनिज हैं, जो लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत हैं।

- भू-राजनीतिक रंगमंच:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के उदय के साथ अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख शक्तियाँ अपनी रणनीतिक भागीदारी बढ़ा रही हैं।
- भारत की केंद्रीयता:** भारत की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक समुद्री संपर्क इसे हिंद महासागर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदाता बनाते हैं।

उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** स्ट्रिंग ऑफ पलर्स रणनीति के तहत चीन की बढ़ती उपस्थिति और जिबूती में उसका नौसैनिक अड्डा भारत के प्रभाव को चुनौती देते हैं।
- QUAD और BRI कार्यवाहियों के बीच प्रतिस्पर्धा** एक गहन होती शक्ति प्रतियोगिता को दर्शाती है।
- समुद्री डकैती और समुद्री अपराध:** वैश्विक गश्त के बावजूद, सोमालिया स्थित समुद्री डकैती, मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी समुद्री मार्गों के लिये खतरा बनी हुई है।
- आतंकवाद और गैर-पारंपरिक खतरे:** वर्ष 2008 के मुंबई हमलों ने तटीय सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया।
- समुद्री मार्गों का प्रयोग** मादक द्रव्यों के व्यापार और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिये तेजी से हो रहा है।
- पर्यावरणीय और जलवायु जोखिम:** अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मात्स्यिकी, तेल रिसाव एवं प्रवाल भित्तियों का विनाश समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालता है।
- समुद्र का बढ़ता स्तर** छोटे द्वीपीय देशों के लिये अस्तित्व का खतरा उत्पन्न करता है।
- तकनीकी और साइबर चुनौतियाँ:** समुद्र के नीचे केबलों, स्वायत्त जहाजों और समुद्री AI प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता नई साइबर कमजोरियों को उजागर करती है।

भारत की तैयारी और रणनीतिक पहल

- नौसेना आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण:** INS विक्रान्त, अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों एवं उन्नत पनडुब्बियों के लिये प्रोजेक्ट 75(I) का शामिल होना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 मिशन SAGAR और भारतीय नौसेना के HADR अभियान एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाते हैं।

❖ समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA): सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) और तटीय रडार शृंखलाओं की स्थापना से वास्तविक काल की निगरानी में वृद्धि होती है।

❖ क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीति: QUAD, IORA, BIMSTEC तथा हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के माध्यम से सक्रिय भागीदारी।

🌀 संयुक्त गश्त एवं रसद सहायता के लिये सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग।

❖ बुनियादी अवसंरचना और संपर्क: अंडमान और निकोबार कमान का त्रि-सेवा थिएटर के रूप में विकास।

🌀 सागरमाला और प्रोजेक्ट मौसम भारत की समुद्री संपर्क एवं सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करते हैं।

🌀 चाबहार बंदरगाह (ईरान) और दुकम (ओमान) तक रणनीतिक अभिगम्यता परिचालन क्षमता को बढ़ाती है।

निष्कर्ष:

हिंद महासागर अब केवल व्यापार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन को परिभाषित करने वाला एक सामरिक क्षेत्र बन गया है। भारत का केंद्रीय भौगोलिक स्थान, नौसैनिक शक्ति तथा लोकतांत्रिक विश्वसनीयता इसे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थिरकारी शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिये भारत को कठोर शक्ति के आधुनिकीकरण को सहयोगात्मक समुद्री कूटनीति के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हिंद महासागर शांति, समृद्धि एवं स्थिरता का क्षेत्र बना रहे।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : भगदड़ अक्सर ऐसी त्रासदियाँ होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है, जो अपर्याप्त योजना, जवाबदेही की कमी और अप्रभावी प्रवर्तन के कारण होती हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में भगदड़ को परिभाषित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- ❖ इन रोके जा सकने वाली त्रासदियों के मूल कारणों पर प्रकाश डालें, जिनमें अपर्याप्त योजना, उत्तरदायित्व का अभाव और कमजोर प्रवर्तन शामिल हैं।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भगदड़ भीड़ की एक आवेगपूर्ण सामूहिक जन-गतिविधि है, जिसके परिणामस्वरूप चोटें और मौतें होती हैं, जो प्रायः भय, घबराहट, जगह की कमी या किसी सुखद वस्तु को पाने अथवा स्थान तक पहुँचने की लालसा से प्रेरित होता है। यह एक रोकी जा सकने वाली जनसुरक्षा आपदा का रूप है, जो प्रायः धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक सभाओं या खेल प्रतियोगिताओं के दौरान देखी जाती है। जो भीड़ प्रबंधन, शासन और प्रवर्तन तंत्र में गहरी विफलताओं को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

अपर्याप्त योजना

❖ भीड़ के आकलन में कमी: करूर, तमिलनाडु में हुई राजनीतिक रैली (सितंबर 2025) में 39 लोगों की मौत हो गई क्योंकि उपस्थिति नियोजित क्षमता से कहीं अधिक थी, जिससे बुनियादी अवसंरचना और निकास मार्ग अस्त-व्यस्त हो गए।

🌀 जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम (RCB IPL विजय परेड) में टिकटों की अंधाधुंध बिक्री और आपात निकास के अभाव के कारण 11 लोगों की जान चली गई।

❖ बुनियादी अवसंरचना की कमियाँ: इसी प्रकार मनसा देवी मंदिर (जुलाई 2025) तथा महाकुंभ (जनवरी 2025) की घटनाओं ने यह दर्शाया कि अस्थायी ढाँचों, भीड़ प्रवाह नियोजन, शौचालयों एवं विश्राम स्थलों की कमी से स्थितियाँ और भयावह हो जाती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उत्तरदायित्व का अभाव

❖ त्रासदी के बाद दोषारोपण: मनसा देवी भगदड़ के बाद, अधिकारियों ने अफवाहों, कमज़ोर बुनियादी अवसंरचना और एक-दूसरे की निष्क्रियता को दोषी ठहराया, जिससे स्पष्ट दिशा-निर्देशों एवं साझा उत्तरदायित्व का अभाव दिखा।

🌀 इसी तरह, करूर में, राजनीतिक आयोजक और स्थानीय पुलिस, दोनों ही भीड़ घनत्व की जाँच या आपातकालीन अभ्यास करने में विफल रहे।

❖ सेफ्टी ऑडिट का अभाव: मंदिरों और स्टेडियमों में सुरक्षा ऑडिट दुर्लभ हैं तथा अधिकतर उपाय त्रासदी के बाद किये जाते हैं।

🌀 अलग-अलग प्रवेश-निकास बिंदु और उपस्थिति सीमा जैसी अनुशंसाएँ केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से लागू की जाती हैं, सक्रिय रूप से नहीं।

कमज़ोर प्रवर्तन:

❖ दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन: आकस्मिक योजना और उपस्थिति सीमा निर्धारित करने वाले NDMA भीड़ प्रबंधन दिशा-निर्देशों की प्रायः अनदेखी की जाती है।

🌀 कुंभ मेला (वर्ष 2025) और शिरगाओ मंदिर उत्सव जैसे आयोजनों में कथित तौर पर स्वीकृत क्षमता का उल्लंघन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप घातक भगदड़ें हुईं।

❖ कमज़ोर संचार और तकनीक का अभाव: पुष्पा 2 फिल्म स्क्रीनिंग (दिसंबर 2024) में, अपर्याप्त सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और वास्तविक काल निगरानी (CCTV, ड्रोन) की कमी ने दहशत एवं गलत सूचना का प्रसार किया, जिससे हताहतों की संख्या में और भी वृद्धि हुई।

अपर्याप्त नियोजन



भीड़ का अपर्याप्त आकलन → अत्यधिक भीड़भाड़ →



कमज़ोर बुनियादी अवसंरचना → अवरुद्ध निकास → चोट/

मृत्यु



उत्तरदायित्व का अभाव → दोषारोपण-स्थानांतरण और विलंब



कमज़ोर प्रवर्तन → सुरक्षा मानदंडों का पालन न करना

भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिये आगे की राह

❖ कार्यक्रम-पूर्व योजना का सुदृढ़ीकरण: भीड़ का सटीक अनुमान और क्षमता नियोजन, साथ ही सुरक्षित स्थल का चयन तथा वैज्ञानिक लेआउट डिजाइन, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं।

🌀 इंजीनियरों और आपदा विशेषज्ञों द्वारा भीड़ क्षमता प्रमाणन अनिवार्य होना चाहिये।

🌀 आयोजनों में प्रवेश, निकास और आवागमन के स्पष्ट रूप से चिह्नित मार्ग होने चाहिये जो बिना किसी बाधा के हों तथा भगदड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिये आकस्मिक व्यवस्था एवं जोखिम मूल्यांकन अभ्यास द्वारा समर्थित हों।

🌀 वास्तविक काल में भीड़ के घनत्व की निगरानी के लिये सेंसर (थर्मल, LiDAR) का एक नेटवर्क तैनात किये जाने चाहिये।

🔍 यह डेटा AI मॉडल में फीड करके भीड़ के बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है और पूर्व चेतावनी दी जा सकती है।

❖ विधिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व:

🌀 एक भीड़ सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना चाहिये जिसमें लापरवाही के लिये आयोजकों की ज़िम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो।

🔍 बड़े समारोहों के लिये स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिये तथा घटनाओं, कारणों और सीखे गए सबक को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के लिये एक राष्ट्रीय भगदड़ डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे साक्ष्य-आधारित निवारक उपाय संभव हो सकें।

🌀 सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ एकीकृत संस्थागत तंत्र:

- ④ समन्वित योजना के लिये ज़िला स्तर पर भीड़ प्रबंधन प्रकोष्ठों का गठन किया जाना चाहिये।
- ④ सामूहिक समारोहों से पहले नियमित मॉक ड्रिल और सुरक्षा ऑडिट किये जाने चाहिये।
- ④ मौके पर चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिये, आपात स्थिति के लिये त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) तैनात किया जाना चाहिये तथा त्वरित निर्णय लेने के लिये एक स्पष्ट घटना नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

❖ जन-जागरूकता और व्यवहार प्रशिक्षण:

- ④ स्थानीय मीडिया और सामुदायिक नेताओं के माध्यम से सुरक्षा संदेशों का प्रसार किया जाना चाहिये।

④ भीड़ की आवाजाही का मार्गदर्शन करने के लिये प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संकेतों की तैनाती की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

भगदड़ प्राकृतिक आपदाएँ नहीं, बल्कि शासन और तैयारियों की विफलताएँ हैं। प्रत्येक त्रासदी उत्तरदायित्व को संस्थागत बनाने, योजना को सुदृढ़ बनाने और सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सक्रिय भीड़ प्रबंधन, तकनीकी साधनों और नैतिक प्रशासन के माध्यम से ऐसी नियंत्रित की जा सकने वाली त्रासदियों को टाला जा सकता है, जिससे भारत के जीवंत आयोजन सुरक्षा और सुव्यवस्था के प्रतीक बन सकें, दुःख एवं लापरवाही के नहीं।

दृष्टि
The Vision

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : रवि, एक IAS अधिकारी, एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं। शासक दल द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिये एक विशाल राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग दो लाख लोग शामिल होने की संभावना थी। वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले थे तथा इस कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया था। हालाँकि रवि के कार्यालय ने पहले ही बैरिकेडिंग, निकासी मार्ग, पुलिस तैनाती और चिकित्सा तैयारियों के संबंध में सलाहें जारी की थीं, आयोजकों ने कई निर्देशों की अनदेखी की, यह कहकर कि बजट की सीमाएँ एवं तात्कालिकता की वजह से ऐसा करना संभव नहीं है।

रैली के दिन स्थिति अराजक हो गई। प्रवेश एवं निकास द्वार अत्यधिक भीड़ से भर गए, भीड़ प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तथा चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त थीं। रैली के दौरान, मंच के पास जाने के लिये लोगों द्वारा अचानक धक्का-मुक्की ने दहशत उत्पन्न कर दी, जिससे भगदड़ मची। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हुए तथा यह घटना व्यापक गुस्से और आक्रोश को जन्म देने वाली सिद्ध हुई।

विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाएँ तीव्र रही। मृतकों के परिवारों ने न्याय, जवाबदेही और त्वरित मुआवज़े की मांग की। नागरिक समाज के समूहों व मीडिया ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का दावा था कि सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिये लोगों की जान को खतरे में डाला। वहीं, शासक दल ने रवि पर दबाव डाला कि वह इस घटना को कम महत्व दें एवं इसे एक “अपरिहार्य त्रासदी” के रूप में प्रस्तुत करें। कुछ अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि गलतियों को उजागर करने से अशांति उत्पन्न सकती है तथा यह रवि के कैरियर के लिये जोखिम भी बन सकता है।

अब रवि एक द्वंद का सामना कर रहे हैं। ज़िले के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में, वे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून के शासन को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार हैं। वहीं, उन्हें राजनीतिक दबाव, ट्रांसफर का खतरा एवं व्यक्तिगत धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके विकल्पों के परिणाम न केवल उनके कैरियर पर, बल्कि शासन की विश्वसनीयता व जनता के विश्वास पर भी प्रभाव डालेंगे।

प्रश्न:

- रवि इस स्थिति में किन नैतिक द्वंदों का सामना कर रहे हैं ?
- रवि के पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये और प्रत्येक के संभावित परिणाम बताइये।
- संवैधानिक मूल्यों और अच्छे शासन के सिद्धांतों के संदर्भ में रवि के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या हो सकती है, सुझाव दीजिये।
- भीड़ प्रबंधन में सुधार करने और बड़े राजनीतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये दीर्घकालीन सुधार क्या लागू किये जा सकते हैं ? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में रवि के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कीजिये और उन पर चर्चा कीजिये।
- उसके लिये उपलब्ध विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- रवि के लिये सर्वोत्तम कार्यवाही का सुझाव दीजिये।
- भीड़ प्रबंधन में सुधार और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

एक IAS अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, रवि को एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है जब लगभग दो लाख लोगों की एक विशाल राजनीतिक रैली अराजक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप परिणामस्वरूप भगदड़ मच जाती है। भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, चिकित्सा तैयारियों एवं निकासी मार्गों पर पूर्व में दी गई सलाह के बावजूद, आयोजकों ने तात्कालिकता एवं बजट की कमी का हवाला देते हुए निर्देशों की अनदेखी की। इस त्रासदी के परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हुआ और जन आक्रोश फैला, जिससे रवि एक नैतिक एवं प्रशासनिक द्वंद्व में पड़ गए, जहाँ उन्हें कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन स्थापित करना था।

मुख्य भाग:**A. नैतिक दुविधाएँ**

- ❖ कर्तव्य बनाम राजनीतिक दबाव: रवि को जीवन की रक्षा करने तथा विधि का पालन करने की आवश्यकता है, जबकि उस पर इस घटना को सत्तारूढ़ दल द्वारा एक 'अपरिहार्य त्रासदी' के रूप में प्रस्तुत करने का दबाव डाला जा रहा है।
- ❖ उत्तरदायित्व बनाम कैरियर जोखिम: चूक की सूचना देने से उसका कैरियर और व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं; तथ्यों को छिपाने से सत्यनिष्ठा से समझौता होता है।
- ❖ पीड़ितों के लिये न्याय बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: परिवार उत्तरदायित्व की मांग करते हैं; खामियों को उजागर करने से अशांति या राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
- ❖ अल्पकालिक व्यावहारिकता बनाम दीर्घकालिक शासन नैतिकता: जानकारी को दबाने से अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन जनता का विश्वास और जवाबदेही कम होती है।

B. विकल्प और परिणाम

विकल्प	कार्रवाई	परिणाम
ईमानदारी से रिपोर्ट करना	चूक और विफलताओं पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना	लाभ: सत्यनिष्ठा, जनता का विश्वास और न्याय कायम रहता है। नुकसान: राजनीतिक प्रतिक्रिया, कैरियर जोखिम, धमकियाँ।
घटना का कम आकलन करना	तथ्यों को छिपाना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना	लाभ: अस्थायी कैरियर सुरक्षा। विपक्ष: नैतिकता का उल्लंघन, न्याय से इनकार, विश्वसनीयता और कानूनी निहितार्थों का हास।
संतुलित दृष्टिकोण	तथ्यात्मक आंतरिक रिपोर्ट दाखिल करना, पीड़ितों को राहत सुनिश्चित करना और जनसंचार का प्रबंधन करना।	पक्ष: पेशेवर सत्यनिष्ठा बनाए रखना, तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया को कम करना और सुधारों को संभव बनाना। विपक्ष: आंशिक आलोचना, निरंतर दबाव।

C. अनुशंसित कार्यवाही**❖ तत्काल प्रशासनिक उपाय:**

- 🌀 चूक और अनदेखी की गई सलाह का दस्तावेजीकरण करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करना चाहिये।
- 🌀 पीड़ितों के परिवारों के लिये मुआवज़ा, चिकित्सा देखभाल और राहत सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- 🌀 घटना के बाद की जाँच के लिये पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

♦ जनसंचार:

- सहानुभूति व्यक्त करना चाहिये, त्रासदी को स्वीकार करना चाहिये और सनसनीखेज बनाए बिना निवारक उपायों के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।

♦ नैतिक औचित्य:

- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 14 (समानता) और मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) का समर्थन करता है।
- सुशासन- जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और विधि का शासन, के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

D. दीर्घकालिक सुधार के लिये प्रणालीगत सुधार

- कार्यक्रम-पूर्व अनुमोदन:** अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट और भीड़ प्रबंधन योजनाएँ; सलाह की अनदेखी करने वाले आयोजकों पर दंड।
- मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP):** बैरिकेडिंग, निकासी, चिकित्सा सुविधाओं और पुलिस तैनाती के लिये दिशा-निर्देश; अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण:** ड्रोन, CCTV और भीड़-निगरानी उपकरणों का उपयोग।
- विधिक और संस्थागत ढाँचा:** आपदा प्रबंधन कानूनों को मजबूत करना; सार्वजनिक आयोजनों के लिये स्वतंत्र निगरानी समितियाँ।
- जन-जागरूकता:** नागरिकों को बड़े समारोहों में सुरक्षित व्यवहार के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष:

रवि की जिम्मेदारी प्रशासनिक कर्तव्य, नैतिक निष्ठा और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में निहित है। पारदर्शिता बनाए रखना, पीड़ितों के लिये न्याय सुनिश्चित करना और प्रणालीगत सुधारों के लिये प्रतिबद्ध होना जनता का विश्वास तथा शासन की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये आवश्यक है। राजनीतिक दबाव में भी, नैतिक साहस और संवैधानिक मूल्यों के पालन को निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।

प्रश्न : किसी नदी तटीय ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात एक IAS अधिकारी अशोक को नदी के किनारे बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के मौसम में प्रतिबंध और सख्त पर्यावरणीय नियमों के बावजूद स्थानीय ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के बीच साझेदारी के कारण अवैध रेत निष्कर्षण जारी है।

अवैध खनन के कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षति हुई है, जिसमें नदी तट का क्षरण, भूजल स्तर में गिरावट और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान शामिल हैं। इसके अलावा, ओवरलोडेड ट्रकों के कारण बार-बार सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं और सरकारी राजस्व में कमी आ रही है।

अशोक के नेतृत्व में प्रशासन ने कई छापेमारी की है, वाहन ज़ब्त किये हैं और प्राथमिकी दर्ज की हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षकों के समर्थन से स्थानीय खनिकों ने प्रशासन पर 'विकास-विरोधी' कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किये हैं। कुछ अधिकारियों को धमकियाँ मिली हैं और कुछ ने यह भी संकेत दिया है कि रेत माफिया का सामना करना उनकी सुरक्षा या पोस्टिंग पर असर डाल सकता है। इसके बावजूद ईमानदार कनिष्ठ अधिकारी अशोक से नैतिक नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं, जबकि स्थानीय मीडिया और पर्यावरण कार्यकर्ता कड़ी कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये निर्माण सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए अशोक से "संघर्ष से बचने" और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया है। हालाँकि, पर्यावरणीय क्षति जारी है और न्यायपालिका ने हाल ही में खनन नियमों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट भी मांगी है।

प्रश्न:

A. इस स्थिति में अशोक के समक्ष कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं ?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- B. अशोक के समक्ष उपलब्ध विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- C. पर्यावरणीय नैतिकता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के आधार पर अशोक के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही को प्रस्तावित कीजिये।
- D. विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में अशोक के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर उनकी विवेचना कीजिये।
- उसके लिये उपलब्ध विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- अशोक के लिये सर्वोत्तम कार्यवाई को प्रस्तावित कीजिये।
- विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाते हुए अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

एक नदी तटीय जिले में IAS अधिकारी अशोक स्थानीय ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और राजनीतिक संरक्षकों द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का सामना कर रहे हैं। मानसून प्रतिबंधों और सख्त पर्यावरणीय नियमों के बावजूद खनन से नदी तट का कटाव, भूजल का ह्रास, पारिस्थितिक क्षति, सड़क दुर्घटनाएँ और राजस्व हानि होती है। प्रवर्तन प्रयासों को प्रतिरोध, धमकियों तथा राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जबकि न्यायपालिका, मीडिया व नागरिक समाज अनुपालन, पारदर्शिता एवं स्थायी समाधानों की मांग करते हैं, जिससे एक जटिल नैतिक और प्रशासनिक दुविधा उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग:

A. अशोक के समक्ष नैतिक दुविधाएँ

❖ विधि प्रवर्तन और राजनीतिक दबाव के बीच संघर्ष:

- अशोक को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के प्रतिरोध का सामना करते हुए पर्यावरण कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।
- दबाव के आगे झुकने से प्रशासनिक निष्ठा से समझौता करने का जोखिम है, जबकि सख्त प्रवर्तन राजनीतिक प्रतिशोध को आकर्षित कर सकता है।

❖ सुरक्षा बनाम कर्तव्य:

- अशोक की टीम के अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये खतरों का सामना करना पड़ता है।
- नैतिक नेतृत्व के लिये न्याय सुनिश्चित करते हुए अपनी टीम की सुरक्षा करना आवश्यक है, जो नैतिक उत्तरदायित्व और व्यावहारिक सुरक्षा चिंताओं के बीच एक दुविधा प्रस्तुत करता है।

❖ विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण:

- राज्य सरकार बुनियादी ढाँचे की जरूरतों पर बल देती है, जिससे अशोक पर संघर्ष से बचने का दबाव पड़ता है।
- पर्यावरणीय संधारणीयता की तुलना में अल्पकालिक विकास को प्राथमिकता देने से अंतर-पीढ़ीगत न्याय के प्रश्न उठते हैं।

❖ पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक व्यावहारिकता:

- मीडिया और नागरिक समाज पारदर्शिता की मांग करते हैं, लेकिन प्रवर्तन की पूरी कार्यवाई का खुलासा करने से तनाव बढ़ सकता है।
- अशोक को विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ उत्तरदायित्व में संतुलन बनाना होगा।

B. उपलब्ध विकल्प और उनके परिणाम

❖ सख्त प्रवर्तन

- कार्रवाई: छापेमारी, FIR और वाहन जब्ती जारी रखना।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 **परिणाम:** विधि के शासन और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना; राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तथा अल्पकालिक अशांति उत्पन्न कर सकते हैं।

❖ **राजनीतिक अनुपालन**

🌀 **कार्रवाई:** सरकार और स्थानीय हितधारकों को खुश करने के लिये प्रवर्तन को सरल करना चाहिये।

🌀 **परिणाम:** तत्काल संघर्ष को कम करता है और 'सद्भाव' बनाए रखता है, लेकिन कानूनी कर्तव्य, पारिस्थितिक संधारणीयता एवं दीर्घकालिक शासन की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

❖ **मध्यस्थता और हितधारक जुड़ाव**

🌀 **कार्रवाई:** विनियमित रेत खनन समाधान ढूँढने के लिये स्थानीय समुदायों, ठेकेदारों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिये।

🌀 **परिणाम:** प्रत्यक्ष टकराव को कम कर सकते हैं और आम सहमति बना सकते हैं; हालाँकि, आंशिक अनुपालन एवं धीमी पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति का जोखिम है।

C. अनुशासित कार्रवाई

❖ **राजनीतिक गठबंधनों के साथ संतुलित प्रवर्तन:** अशोक को एक सैद्धांतिक लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिये, सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण करना चाहिये तथा संचालन को वैध बनाने के लिये न्यायिक समर्थन का उपयोग करना चाहिये।

🌀 **जन-सहभागिता:** सार्वजनिक परामर्श जारी करना चाहिये, पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये और गलत सूचना के प्रसार को कम करने तथा वैधता स्थापित करने के लिये नागरिक समाज को निगरानी में शामिल किया जाना चाहिये।

🌀 **न्यायिक समर्थन:** प्रवर्तन को मजबूत करने के लिये न्यायालय के निर्देशों का उपयोग करना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक प्रतिरोध कानूनी दायित्वों में आसानी से बाधा न डाल सके।

D. दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार

❖ **डिजिटल निगरानी और विनियमन:** अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये रेत परिवहन, डिजिटल परमिट और ई-नीलामी प्रणालियों के लिये जीपीएस ट्रैकिंग लागू किया जाना चाहिये।

❖ **समुदाय-आधारित संसाधन प्रबंधन:** स्थानीय ग्राम सभाओं और नदी समुदायों को खनन की निगरानी करने तथा संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।

❖ **वैकल्पिक सामग्री और निर्माण प्रथाएँ:** प्राकृतिक नदियों पर मांग के दबाव को कम करने के लिये निर्मित रेत, पुनर्चक्रित समुच्चय और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

❖ **कड़े दंड और भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय:** अधिकारियों के लिये व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा के साथ-साथ, उल्लंघनकर्ताओं के लिये कड़े जुर्माने, लाइसेंस रद्दीकरण और अभियोजन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

❖ **क्षमता निर्माण:** प्रशासनिक समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिये प्रवर्तन अधिकारियों को पर्यावरण कानून, जोखिम प्रबंधन एवं हितधारक वार्ता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

अशोक की चुनौती नैतिकता, प्रशासन तथा पर्यावरणीय संरक्षण — इन तीनों के संयोजन पर स्थित है। पारदर्शिता के साथ विधि-प्रवर्तन, अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वे तात्कालिक संकटों का समाधान कर सकते हैं और साथ ही दीर्घकालिक रूप से सतत् शासन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, *“भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।”* अशोक का सिद्धांतनिष्ठ आचरण न केवल न्यायसंगत बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये सतत् पर्यावरण की नींव रखेगा।

प्रश्न : एक राज्य विभाग में लोक सूचना अधिकारी (PIO) के पद पर तैनात IAS अधिकारी ऋतिका RTI अनुरोधों के निपटान में व्यापक कुप्रबंधन के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही हैं। नागरिक लगातार शिकायत कर रहे हैं कि सूचना देने में विधिक समय-सीमा से अधिक विलंब किया जा रहा है, सूचनाएँ अधूरी हैं या मनमाने ढंग

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



से छूट (Exemption) के आधार पर अस्वीकार की जा रही हैं। कई RTI आवेदन सार्वजनिक खरीद, पर्यावरणीय मंजूरी और निधि उपयोग से संबंधित हैं, जिससे भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अस्पष्टता की चिंताएँ बढ़ रही हैं।

ऋतिका के बार-बार स्मरण कराने और फॉलो-अप करने के बावजूद लंबित RTI प्रकरणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी समयबद्ध अनुपालन से बचने का परोक्ष दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि सूचनाओं के खुलासे से कुछ अनियमितताएँ उजागर हो सकती हैं और प्रभावशाली ठेकेदारों या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। कुछ कनिष्ठ अधिकारी भी यह भय व्यक्त कर चुके हैं कि यदि वे RTI अधिनियम का सख्ती से पालन करेंगे तो उन्हें उत्पीड़न, स्थानांतरण या न्यायिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, नागरिक समाज संगठन तथा मीडिया संस्थान पारदर्शिता, समयबद्ध सूचना और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार, संभावित नकारात्मक प्रचार और राजनीतिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, ऋतिका को परोक्ष रूप से यह निर्देश दे रही है कि वह “अनावश्यक खुलासों से बचें” और विभागीय समरसता बनाए रखें। साथ ही, केंद्रीय सूचना आयोग एवं स्थानीय न्यायालय RTI अनुपालन पर सक्रिय निगरानी रखे हुए हैं तथा विलंब व आंशिक सूचनाओं के विरुद्ध कुछ जनहित याचिकाएँ (PILs) भी दायर की जा चुकी हैं।

प्रश्न:

- इस स्थिति में ऋतिका के सामने कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं?
- उसके लिये उपलब्ध विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नागरिक-केंद्रित शासन के आधार पर ऋतिका के लिये सबसे उपयुक्त कार्रवाई प्रस्तावित कीजिये।

D. पारदर्शिता और सहभागी शासन सुनिश्चित करते हुए RTI कार्यान्वयन में सुधार, लंबित मामलों को कम करने तथा अधिकारियों को प्रतिशोध से बचाने के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव कीजिये।

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- ❖ इस मामले में ऋतिका के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर उन पर चर्चा कीजिये।
- ❖ उसके समक्ष उपलब्ध विकल्पों तथा प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नागरिक-केंद्रित शासन के आधार पर ऋतिका के लिये सबसे उपयुक्त कार्रवाई प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ RTI कार्यान्वयन में सुधार के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक सूचना अधिकारी (PIO) के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी ऋतिका एक जटिल नैतिक और प्रशासनिक संकट का सामना कर रही हैं। विभाग RTI आवेदनों के निस्तारण में विलंब, अधूरी सूचनाएँ तथा अनुरोधों के मनमाने ढंग से अस्वीकार किये जाने से ग्रस्त हैं, जिनमें से कई खरीद प्रक्रिया, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और निधियों के उपयोग जैसे संवेदनशील मुद्दों से संबंधित हैं। वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट आचरणों को छिपाने के लिये पारदर्शिता से बचते हैं, जबकि नागरिक समाज और न्यायिक निकाय दायित्व की मांग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में ऋतिका के समक्ष पेशेवर नैतिकता, विधिक दायित्व और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती है।

मुख्य भाग:

A. ऋतिका के समक्ष नैतिक दुविधाएँ

- ❖ पारदर्शिता बनाम संस्थागत निष्ठा: संवेदनशील सूचना का खुलासा नागरिकों के ‘सूचना के अधिकार’ का समर्थन करता

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



है, परंतु इससे वरिष्ठ अधिकारियों की अप्रसन्नता और विभागीय असंतुलन की आशंका है।

- ❖ **विधि का शासन बनाम राजनीतिक दबाव:** RTI अधिनियम के तहत समयबद्ध सूचना प्रदान करना अनिवार्य है, जबकि राजनीतिक निर्देश सूचना छिपाने की ओर प्रेरित करते हैं।
- ❖ **सत्यनिष्ठा बनाम स्वार्थ:** RTI मानदंडों का सख्ती से पालन करने से उत्पीड़न, स्थानांतरण या कैरियर में ठहराव आ सकता है।
- ❖ **सार्वजनिक उत्तरदायित्व बनाम प्रशासनिक अनुरूपता:** नागरिकों के प्रति नैतिक कर्तव्य प्रशासनिक दायित्व के भीतर गोपनीयता की संस्कृति के साथ संघर्ष करता है।
- ❖ **पेशेवर दायित्व बनाम प्रतिशोध का डर:** कनिष्ठ अधिकारियों की अनिच्छा उस नैतिक भय के वातावरण को दर्शाती है जिसका ऋतिका को जिम्मेदारी से समाधान करना होगा।

B. विकल्पों का मूल्यांकन और संभावित परिणाम

विकल्प 1: RTI अधिनियम का पूरी तरह से पालन करना और सभी अनुमत सूचना का खुलासा करना

- ❖ **पक्ष:** वैधता, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखता है, जो संवैधानिक मूल्यों और CIC के निर्देशों के अनुरूप है।
- ❖ **विपक्ष:** इससे प्रतिक्रिया, राजनीतिक अलगाव या दंडात्मक स्थानांतरण हो सकते हैं; साथ ही प्रणालीगत भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है।

विकल्प 2: अस्पष्ट छूट के तहत आंशिक रूप से सूचना का खुलासा करना (जैसा कि वरिष्ठों द्वारा सलाह दी गई है)

- ❖ **पक्ष:** विभागीय सद्भाव और राजनीतिक सद्भावना बनी रहती है।
- ❖ **विपक्ष:** RTI अधिनियम का उल्लंघन करता है, जनता का विश्वास कम करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और कानूनी दंड या CIC के आदेशों की अवमानना का जोखिम हो सकता है।

विकल्प 3: प्रशासनिक बाधाओं का हवाला देकर कार्रवाई में विलंब करना

- ❖ **पक्ष:** अस्थायी रूप से मतभेद से बचाव।
- ❖ **विपक्ष:** वैधानिक समय सीमा का उल्लंघन करता है, न्यायिक फटकार को आमंत्रित करता है और नैतिक कायरता को दर्शाता है।

विकल्प 4: मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन प्राप्त करना

- ❖ **पक्ष:** राज्य सूचना आयोग, मुख्य सचिव या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने से वैधता सुदृढ़ होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ **विपक्ष:** निर्णयों में विलंब हो सकता है लेकिन मनमाने ढंग से दोषारोपण से सुरक्षा मिलती है।

C. सबसे उपयुक्त कार्रवाई

- ❖ ऋतिका को निम्नलिखित माध्यमों से RTI अधिनियम की भावना का अक्षरशः पालन करना चाहिये, जिसके अंतर्गत—
 - 🌀 सभी वैधानिक सूचनाएँ पारदर्शिता से साझा की जानी चाहिये और केवल विधिसम्मत अपवादों को ही मान्यता दी जानी चाहिये।
 - 🌀 वरिष्ठ अधिकारियों से हुए सभी संप्रेषणों का लिखित अभिलेखीकरण किया जाना चाहिये ताकि प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हो।
 - 🌀 रिपोर्टिंग के लिये सूचना आयोग या उच्चाधिकारियों से नैतिक व प्रशासनिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिये तथा अनुचित हस्तक्षेप की सूचना दी जानी चाहिये।
 - 🌀 कनिष्ठ अधिकारियों में निडरता, दृढ़ता, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- ❖ उसके कार्यों में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, साहस और संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के मूल्य प्रतिबिंबित होने चाहिये, साथ ही उसे यह पुष्टि करनी चाहिये कि एक लोक सेवक की सर्वोच्च निष्ठा नागरिकों और विधि के प्रति होती है, न कि क्षणिक राजनीतिक हितों के प्रति।

D. दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार

- ❖ **डिजिटल RTI पोर्टल:** विवेकाधिकार और विलंब को कम करने के लिये आरंभ से अंत तक ऑनलाइन प्रसंस्करण सुनिश्चित करना चाहिये।
- ❖ **RTI क्षमता निर्माण:** अधिकारियों के लिये विधिक प्रावधानों और नैतिक आचरण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **व्हिसल ब्लोअर और PIO संरक्षण:** मनमाने तबादले या उत्पीड़न से संस्थागत संरक्षण के उपाय किये जाने चाहिये।
- ❖ **प्रदर्शन मापदंड:** वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में RTI उत्तरदायित्व को शामिल किया जाना चाहिये।
- ❖ **सक्रिय प्रकटीकरण:** विभागों को RTI अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत खरीद, वित्त और अनुमोदनों से संबंधित नियमित आँकड़े प्रकाशित करने चाहिये।
- ❖ **स्वतंत्र निगरानी:** राज्य सूचना आयोगों को पर्याप्त संसाधन और जनशक्ति से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

निष्कर्ष:

ऋतिका की दुविधा शासन में नैतिकता और सुविधा के बीच तनाव का प्रतीक है। RTI अधिनियम के प्रति उसका नैतिक साहस लोकतंत्र और विधिक शासन में नागरिकों के विश्वास को दृढ़ करेगा। दीर्घकालिक सुधारों में पारदर्शिता को संस्थागत बनाना, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सूचना वास्तव में सशक्तीकरण का साधन बने, न कि डराने-धमकाने का। नैतिक शासन का पालन केवल ऋतिका का कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सहभागी लोकतंत्र की भी आधारशिला है।

प्रश्न : एक दुखद घटना में, राज्य के एक ज़िले में बीस से अधिक बच्चों ने एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कफ सिरप पीने से अपनी जान गँवा दी, जो बाद में मिलावटी पाई गई। राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग में तैनात एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनन्या को इस मामले की जाँच एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

जब वह रिकॉर्ड की जाँच करती हैं, तो उन्हें औषधि परीक्षण प्रक्रियाओं में गंभीर लापरवाहियाँ, निरीक्षणों में विलंब तथा कुछ स्थानीय वितरकों और निर्माताओं के बीच मिलीभगत जैसी चिंताजनक बातें पता चलती हैं। अभिभावक और नागरिक समाज संगठन जाँच रिपोर्ट को

तुरंत सार्वजनिक करने, दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये तंत्रगत सुधारों की माँग कर रहे हैं।

इस दौरान, राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर जनता के आक्रोश को नियंत्रित करने और नकारात्मक मीडिया कवरेज को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अनन्या को सरकार और प्रभावशाली हितधारकों की प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिये 'मामले को चुपचाप निपटाने' की सलाह देते हैं, साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि सख्त प्रवर्तन उनके कैरियर को खतरे में डाल सकता है।

नमूना परीक्षण और रिपोर्टिंग में शामिल कनिष्ठ अधिकारियों को डर है कि अगर वे तथ्यों का पूरा खुलासा करते हैं तो उन्हें उत्पीड़न, स्थानांतरण या कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही, न्यायालय ने स्वप्रेरण से संज्ञान (Suo motu cognisance) लिया है, जिनमें जाँच में पारदर्शिता, प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा एवं औषधि सुरक्षा व्यवस्था की पर्यवेक्षण में सुधार की माँग करते हुए कई जनहित याचिकाएँ दायर की गई हैं।

प्रश्न:

- इस परिप्रेक्ष्य में डॉ. अनन्या के समक्ष कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं ?
- उनके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये तथा उनके संभावित परिणामों का विश्लेषण कीजिये।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नागरिक कल्याण के बीच संतुलन के आधार पर डॉ. अनन्या के लिये सबसे उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव दीजिये।
- औषधि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों को प्रस्तावित कीजिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ संदर्भ स्थापित करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- ❖ इस परिदृश्य में डॉ. अनन्या के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर उन पर चर्चा कीजिये।
- ❖ उनके लिये उपलब्ध विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नागरिक कल्याण के बीच संतुलन के आधार पर डॉ. अनन्या के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ औषधि सुरक्षा पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस दुखद मामले में, मिलावटी कफ सिरप पीने से बीस से अधिक बच्चों की जान चली गई। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अनन्या को इस घटना की जाँच का काम सौंपा गया है। जाँच में लापरवाह परीक्षण प्रोटोकॉल, विलंबित निरीक्षण और वितरकों व निर्माताओं के बीच मिलीभगत जैसी गंभीर खामियाँ सामने आई हैं। बढ़ते जन आक्रोश के बीच, मामले को दबाने के लिये राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को बोलने पर प्रतिशोध का डर है। अदालतों ने स्वतः हस्तक्षेप करते हुए औषधि सुरक्षा पर्यवेक्षण में पारदर्शिता और सुधार की माँग की है।

मुख्य भाग:**A. डॉ. अनन्या के समक्ष नैतिक दुविधाएँ**

- ❖ **सत्यनिष्ठा बनाम संस्थागत निष्ठा:** सत्य और जन कल्याण के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना या उन उच्च अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना जो राजनीतिक कारणों से तथ्यों को छिपाना चाहते हैं।
- ❖ **पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक दबाव:** निष्कर्षों का पूर्ण प्रकटीकरण करने और 'मामले को शांतिपूर्वक निपटाने' के आदेशों का पालन करने के बीच निर्णय लेना।

- ❖ **जनहित बनाम व्यक्तिगत जोखिम:** सख्त कार्रवाई से नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित होगी, लेकिन यह अनन्या के कैरियर, सुरक्षा और पेशेवर प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती है।
- ❖ **उत्तरदायित्व बनाम सहकर्मि-सद्भाव:** लापरवाही या भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने से सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों का नाम उजागर हो सकता है।
- ❖ **नैतिक साहस बनाम प्रशासनिक अनुरूपता:** ऐसी व्यवस्था में दृढ़ विश्वास का साहस दिखाने की नैतिक परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जो प्रायः सच्चाई की बजाय चुप्पी को महत्त्व देती है।

B. विकल्पों का मूल्यांकन एवं संभावित परिणाम

- ❖ **विकल्प 1: दबाव में निष्कर्षों को दबाना या कमज़ोर करना।**
 - 🌀 **पक्ष:** तत्काल राजनीतिक तुष्टिकरण, कैरियर सुरक्षा और संस्थागत सद्भाव।
 - 🌀 **विपक्ष:** सत्यनिष्ठा का उल्लंघन करता है, जनता के विश्वास को कम करता है, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और पीड़ितों को न्याय से वंचित करता है।
- ❖ **विकल्प 2: शक्तिशाली हितों की रक्षा करते हुए निष्कर्षों का आंशिक रूप से खुलासा करना।**
 - 🌀 **पक्ष:** बाह्य रूप से संतुलित प्रतीत होता है और पूर्ण मतभेद से बचाव सुनिश्चित करता है।
 - 🌀 **विपक्ष:** नैतिक उत्तरदायित्व से समझौता करता है, जनता को भ्रमित करता है और बाद में न्यायिक या मीडिया जाँच को आमंत्रित करता है।
- ❖ **विकल्प 3: पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना।**
 - 🌀 **पक्ष:** पेशेवर नैतिकता को बनाए रखता है, जनहित में काम करता है तथा निष्पक्षता और न्याय के संवैधानिक कर्तव्य के अनुरूप है।
 - 🌀 **विपक्ष:** राजनीतिक प्रतिक्रिया, प्रशासनिक अलगाव और संभावित स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई का जोखिम।

C. सबसे उपयुक्त कार्यवाही

- ❖ डॉ. अनन्या को विकल्प 3 अपनाना चाहिये— विधि के शासन और नैतिक शासन के अनुरूप पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित जाँच करनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

- डॉ. अनन्या को सभी निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना चाहिये, ताकि कानूनी रूप से बचाव योग्य रिपोर्ट सुनिश्चित हो सके।
- जाँच की शुचिता की रक्षा के लिये न्यायिक और पर्यवेक्षण निकायों (जैसे: लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग) के साथ सहयोग करना चाहिये।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अपने वैधानिक दायित्व पर बल देते हुए, वरिष्ठों के साथ पेशेवर संवाद बनाए रखना चाहिये।
- कनिष्ठ अधिकारियों को संस्थागत सहायता प्रदान की जानी चाहिये, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिये।
- प्रशासनिक ज़िम्मेदारी और नागरिक कल्याण, दोनों को बनाए रखने के लिये प्रक्रियात्मक औचित्य के साथ दृढ़ता का संतुलन बनाए रखना चाहिये।

D. औषधि सुरक्षा पर्यवेक्षण के लिये दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार

- नियामक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: राज्य औषधि प्रयोगशालाओं का उन्नयन, आवधिक ऑडिट सुनिश्चित करना चाहिये और WHO-GMP (अच्छे विनिर्माण अभ्यास) मानकों को अपनाना चाहिये।
- डिजिटल ट्रांसपेरेंसी: आपूर्ति शृंखलाओं के पर्यवेक्षण और मिलावट को रोकने के लिये वास्तविक काल में औषधि परीक्षण एवं ट्रेकिंग प्रणालियाँ लागू की जानी चाहिये।
- स्वतंत्र औषधि प्राधिकरण: राज्यों में समन्वित प्रवर्तन के लिये एक स्वायत्त राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता प्राधिकरण का गठन जाना चाहिये।
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण और नैतिकता प्रशिक्षण: कदाचार की रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों के लिये नैतिक क्षमता-निर्माण और सुरक्षा तंत्र को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक जवाबदेही: औषधि परीक्षण, रिकॉल, एवं प्रवर्तन कार्यवाहियों पर वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट अनिवार्य की जानी चाहिये।

- न्यायिक और विधायी पर्यवेक्षण: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लापरवाह निर्माताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये दंडात्मक प्रावधानों को सख्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

डॉ. अनन्या का नैतिक दायित्व केवल प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा में निहित है। पारदर्शिता, साहस और न्याय के मूल्यों का पालन करके वह न केवल इस प्रकरण में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगी, बल्कि जनविश्वास को भी पुनर्स्थापित करेंगी। औषधि नियमन, नैतिक शासन और संस्थागत निष्ठा को सुदृढ़ करना ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति रोकने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न : उत्तरी राज्य में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत एक IPS अधिकारी, रोहित कुमार ने हाल ही में पुलिसकर्मियों में पदोन्नति और तैनाती से जुड़े निर्णयों को लेकर बढ़ती असंतुष्टि को देखा है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कई अधिकारियों का आरोप है कि उन्हें प्रमुख परिचालन पदों के लिये नियमित रूप से जानबूझकर दूर रखा जाता है तथा उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड होने के बावजूद समय पर पदोन्नति नहीं दी जाती। कुछ विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि के अधिकारियों को प्रायः शहरी और संवेदनशील जिलों में प्रभावशाली पदों पर नियुक्तियों के लिये वरीयता दी जाती है, भले ही उनसे अधिक योग्य अधिकारी उपलब्ध क्यों न हों।

SC/ST अधिकारी संघ द्वारा की गई एक आंतरिक शिकायत में प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में पूर्वाग्रह के संकेत मिलने की बात कही गयी है, जहाँ सूक्ष्म भेदभाव के कारण कम ग्रेड दिये जाते हैं। संघ ने रोहित से कार्रवाई करने और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, जब रोहित विभागीय बैठकों में इस मुद्दे को उठाते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी उन्हें 'जातिगत मुद्दों को भड़काने से बचने' और संस्थागत

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



एकता बनाए रखने की सलाह देते हैं। कुछ तो यह भी चेतावनी देते हैं कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से उनके कैरियर की प्रगति प्रभावित हो सकती है तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

पुलिस पोस्टिंग में जाति-आधारित पूर्वाग्रह पर हालिया मीडिया रिपोर्टों के बाद सार्वजनिक आलोचना का सामना कर रही राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर आंतरिक जाँच का वादा किया है। हालाँकि, इस मुद्दे को व्यवस्थागत भेदभाव के बजाय 'गलतफहमी मात्र' बताकर कमतर आँकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच प्रभावित अधिकारी निराशा महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, रोहित से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थागत अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए समता एवं न्याय के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें। यह स्थिति कार्मिक प्रबंधन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन की माँग करती है।

प्रश्न:

- इस स्थिति में रोहित कुमार के समक्ष कौन-कौन सी प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?
- इस मामले में शामिल परस्पर विरोधी मूल्यों और सिद्धांतों का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।
- रोहित के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिये रोहित को कौन-सा सबसे नैतिक एवं प्रशासनिक रूप से सही कदम उठाना चाहिये, इसका सुझाव दीजिये।

परिचय:

रोहित कुमार, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में, एक ओर समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को अनुरक्षित रखने और दूसरी ओर संस्थागत सामंजस्य एवं अपने कैरियर की सुरक्षा के मध्य एक नैतिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यह मामला "विवेक बनाम अनुरूपता" की एक विशिष्ट दुविधा प्रस्तुत करता है।

A. इस स्थिति में रोहित कुमार के समक्ष कौन-सी प्रमुख नैतिक दुविधाएँ विद्यमान हैं ?

♦ समानता बनाम संगठनात्मक अनुरूपता:

☉ संवैधानिक मूल्यों (अनुच्छेद 14, 16) को अनुरक्षित रखना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना मौजूदा अनौपचारिक सत्ता संरचनाओं को बाधित कर सकता है।

☉ पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करने के नैतिक साहस और विभागीय एकता बनाए रखने के बीच चयन करना।

♦ सत्यनिष्ठा बनाम कैरियर सुरक्षा:

☉ भेदभाव के मुद्दे पर कार्रवाई करने से राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे उनके कैरियर की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

☉ नैतिक सत्यनिष्ठा हेतु सत्ता के समक्ष सच बोलना जरूरी है, किंतु व्यक्तिगत परिणाम आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करते हैं।

♦ न्याय बनाम संस्थागत निष्ठा:

☉ पुलिस संगठन के प्रति निष्ठा उसे इसकी सार्वजनिक छवि और आंतरिक सामंजस्य बनाए रखने के लिये प्रेरित करती है।

☉ हालाँकि, न्याय और निष्पक्षता के लिये व्यवस्थागत असमानता को उजागर करना एवं उसका समाधान करना आवश्यक है।

♦ पारदर्शिता बनाम छिपाने का दबाव:

☉ वरिष्ठों द्वारा 'जातिगत मामलों से बचने' का दबाव सत्य को छिपाने हेतु प्रोत्साहन देता है।

☉ नैतिक पारदर्शिता हेतु यह आवश्यक है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच में सहयोग प्रदान करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ अधीनस्थों के प्रति समानुभूति बनाम वरिष्ठों के प्रति आज्ञाकारिता:

- ⦿ उपेक्षित अधिकारियों के साथ समानुभूति की भावना रखना एवं उनका मनोबल बढ़ाना तथा प्रेरणा सुनिश्चित करना।
- ⦿ साथ ही, पदानुक्रमिक अनुशासन और अधिकार का सम्मान करना।

❖ अल्पकालिक स्थिरता बनाम दीर्घकालिक नैतिक सुधार:

- ⦿ इस मुद्दे की अनदेखी करने से अल्पकालिक शांति मिल सकती है।
- ⦿ इसे नैतिक रूप से संबोधित करने से दीर्घकालिक संस्थागत विश्वसनीयता और मनोबल सुनिश्चित होता है।

B. इस मामले में शामिल परस्पर विरोधी मूल्यों और सिद्धांतों का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।

मूल्य / सिद्धांत	संघर्ष की व्याख्या
संवैधानिक नैतिकता बनाम प्रशासनिक अनुरूपता	संविधान समानता और सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठित करता है, जबकि प्रशासनिक मानदंड प्रायः अनुपालन और 'आदेश शृंखला' को बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं।
विधि का शासन बनाम विवेकाधीन प्राधिकार	रोहित को यह सुनिश्चित करना होगा कि पदोन्नति और पदस्थापनाएँ वस्तुनिष्ठ, नियम-आधारित मानदंडों का पालन करें, फिर भी वरिष्ठ अधिकारी अत्यधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करें जिससे पक्षपात की संभावना हो।
न्याय (मूलभूत) बनाम प्रक्रियात्मक अनुपालन	उपेक्षित अधिकारियों के लिये मूलभूत न्याय सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा मूल्यांकन प्रणालियों पर सवाल उठाने पड़ सकते हैं, भले ही वे प्रक्रियात्मक रूप से 'उचित' हों।
निष्पक्षता बनाम सामाजिक संवेदनशीलता	एक पुलिस अधिकारी को कार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिये, किंतु तटस्थता का अर्थ प्रणालीगत भेदभाव के प्रति उदासीनता नहीं होना चाहिये।
निष्पक्षता बनाम समानुभूति	प्रशासनिक निष्पक्षता के लिये तथ्यों और आँकड़ों पर आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जबकि समानुभूति के लिये सहकर्मियों द्वारा सामना किये गए भेदभाव के अनुभवों को समझना आवश्यक है।

C. रोहित के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।

विकल्प	विवरण	संभावित परिणाम
(a) वरिष्ठों की सलाह के अनुसार मुद्दे को नज़रअंदाज़ करना	कोई भी प्रतिक्रिया न देना और नियमित कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना।	अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति और कैरियर सुरक्षा। अधीनस्थों के बीच नैतिक विश्वसनीयता का हास और विश्वास का हास। इससे असमानता बनी रहेगी।
(b) औपचारिक विभागीय माध्यमों से आंतरिक मुद्दों को उठाना।	साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण करना और एक निष्पक्ष आंतरिक समीक्षा तंत्र का प्रस्ताव करना।	प्रक्रियात्मक अखंडता का प्रदर्शन। वरिष्ठों से प्रतिरोध को आमंत्रित कर सकता है, किंतु संस्थागत निष्पक्षता को मजबूत करता है। कर्मियों के बीच दीर्घकालिक मनोबल और विश्वास का निर्माण करता है।
(c) तथ्यों और आँकड़ों के साथ राज्य सरकार की जाँच का समर्थन करना।	जाँच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना।	जवाबदेही और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, किंतु नैतिक शासन को मजबूत करता है।
(d) सीधे वैधानिक निकायों (जैसे, NCSC) से संपर्क करना।	आंतरिक स्तर पर कोई समाधान न होने पर मुद्दे को बाह्य स्तर पर आगे बढ़ाया जाना।	दृढ़ नैतिक रुख, लेकिन इसे अनुशासन का उल्लंघन माना जा सकता है। मुद्दे का राजनीतिकरण हो सकता है, जिससे संस्थागत सामंजस्य प्रभावित हो सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



(e) वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और विविधता जागरूकता उपाय शुरू करना।	निष्पक्षता और पूर्वाग्रह पर आंतरिक कार्यशालाओं एवं सुधारों को बढ़ावा देना।	संगठनात्मक नैतिकता और समावेशिता में सुधार हो सकता है। परिवर्तन क्रमिक होता है परंतु धारणीय तथा गैर-टकरावपूर्ण रहता है।
--	--	--

D. निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिये रोहित को कौन-सा सबसे नैतिक एवं प्रशासनिक रूप से सही कदम उठाना चाहिये, इसका सुझाव दीजिये।

❖ **आंतरिक प्रक्रिया:**

- APAR प्रेडिंग, पोस्टिंग और पदोन्नति की निष्पक्ष और डेटा-आधारित समीक्षा शुरू की जानी चाहिये।
- SC/ST प्रतिनिधियों सहित एक निष्पक्ष समिति के गठन का सुझाव दिया जाना चाहिये।

❖ **साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग:**

- आरोपों के बजाय डेटा द्वारा समर्थित, प्रणालीगत पैटर्न को उजागर करने वाली एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये।
- सुधारात्मक नीतिगत उपायों की सिफारिशों के साथ उच्च अधिकारियों के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

❖ **वरिष्ठों को शामिल करना और उन्हें संवेदनशील बनाना:**

- इस बात की अनुशंसा की जानी चाहिये कि निष्पक्षता को बढ़ावा देने से संस्थागत वैधता और जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है।
- अचेतन पूर्वाग्रह और विविधता प्रबंधन पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये।

❖ **सरकारी जाँच में सहयोग करना:**

- जाँच की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये तथ्यात्मक, पारदर्शी जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।

❖ **सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व:**

- प्रभावित अधिकारियों को प्रक्रियागत सीमाओं के भीतर निष्पक्ष विचार का व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया जाना चाहिये।

नैतिक औचित्य:

- संवैधानिक मूल्यों— समता, न्याय, गरिमा (अनुच्छेद 14, 16, 46) को कायम रखना।

- ईमानदारी, दृढ़ विश्वास और उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करना।
- नैतिक आदर्शवाद को प्रशासनिक विवेक के साथ संतुलित करना— संगठन को अस्थिर किये बिना निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

रोहित का सबसे नैतिक मार्ग अंतर्विरोध के बजाय सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के माध्यम से संस्थागत सुधार में निहित है। प्रक्रियागत निष्पक्षता, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देकर, वह संगठन की स्थिरता एवं मनोबल को बनाए रखते हुए संवैधानिक नैतिकता को कायम रख सकते हैं, जो नैतिक लोक प्रशासन का एक आदर्श है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : “सहानुभूति अधिकार को सेवा में रूपांतरित करती है।” प्रशासनिक उत्तरदायित्वों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं करुणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्राधिकार, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंधों को समझते हुए एक संक्षिप्त परिचय से उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रशासनिक दायित्वों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शासन में अधिकार को तभी नैतिक वैधता प्राप्त होती है जब इसे सहानुभूति एवं करुणा के साथ प्रयोग किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण प्रशासनिक अधिकारियों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि नागरिकों की समस्याएँ केवल नियमों या प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों से जुड़ी होती हैं। जब प्रशासनिक अधिकार को नियंत्रण के बजाय जन-सेवा का माध्यम बनाया जाता है, तब 'भावनात्मक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



बुद्धिमत्ता' अर्थात् अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और सँभालने की क्षमता अधिकारियों को शक्ति का प्रयोग संवेदनशील, जनहितैषी और नैतिक ढंग से करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य भाग:

प्रशासनिक दायित्वों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रासंगिकता

- ❖ निर्णय लेना और नीति कार्यान्वयन: भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासकों को तर्कसंगत विश्लेषण और मानवीय प्रभाव दोनों पर विचार करने में सहायता करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ प्रभावी एवं मानवीय हों।
- 🌀 कोविड-19 के दौरान सहानुभूतिपूर्ण जिलाधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों को भोजन, आश्रय और सुरक्षित परिवहन प्रदान किया, प्रशासनिक दिशानिर्देशों को नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया।
- ❖ नेतृत्व और टीम प्रेरणा: भावनात्मक रूप से एक बुद्धिमान नेता अधीनस्थों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है।
- 🌀 पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन ने सख्त प्रवर्तन को निष्पक्षता के साथ जोड़कर टीम की प्रतिबद्धता अर्जित की एवं सुचारु चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की।
- ❖ नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण: करुणा से समावेशी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित होता है।
- 🌀 मणिपुर के 'मिरेकल मैन' के रूप में विख्यात IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम ने स्थानीय समुदायों को बिना सरकारी धन के 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिये प्रेरित किया, जो सहानुभूति से प्रेरित नेतृत्व का प्रतीक है जिसने प्रशासनिक कठोरता पर सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता दी।
- ❖ संघर्ष समाधान और शिकायत निवारण: करुणा विवादों को सुलझाने और तनाव कम करने में सहायता करती है।
- 🌀 तेलंगाना के मेडक में जिला प्रशासन ने खरीद नीतियों का विरोध कर रहे किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, संवाद के आधार पर प्रक्रियाओं को समायोजित किया तथा

सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव के माध्यम से विश्वास-निर्माण का प्रदर्शन किया।

- ❖ संकट प्रबंधन और समुत्थान शक्ति: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) अधिकारियों को उच्च दबाव वाली स्थितियों को शांतिपूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है।
- 🌀 केरल में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहानुभूतिपूर्ण कलेक्टरों ने मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, कुशल संसाधन आवंटन एवं जनता के आश्वासन को सुनिश्चित करते हुए राहत कार्यों का समन्वय किया।

सहानुभूति के अभ्यास में आने वाली चुनौतियाँ

- ❖ सख्त प्रशासनिक संरचनाएँ, कार्यभार का दबाव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण का अभाव प्रायः प्रशासकों को जनोन्मुख होने के बजाय नियमबद्ध बना देते हैं। कठोर प्रशासनिक संरचनाएँ, कार्यभार का दबाव तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण का अभाव प्रायः प्रशासकों को जनोन्मुख होने के बजाय नियमों तक सीमित कर देते हैं।
- ❖ दीर्घ सेवा अवधि के दौरान भावनात्मक थकान और संस्थागत उदासीनता संवेदनशीलता एवं करुणा को भी कुंठित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

सहानुभूति और करुणा अधिकार को नैतिक सेवा में बदल देती हैं, जिससे ऐसा शासन सुनिश्चित होता है जो न केवल नियमों को लागू करता है बल्कि जीवन को भी उन्नत बनाता है। मिशन कर्मयोगी जैसे सुधार व्यावहारिक प्रशिक्षण, आत्म-जागरूकता और नागरिक सहभागिता पर बल देते हैं। प्रशासनिक शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) और करुणा को सम्मिलित करके एवं मानवीय शासन को पुरस्कृत करके प्रभावी व जन-केंद्रित प्रशासन को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

प्रश्न : "भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" समावेशी एवं सतत् विकास सुनिश्चित करने हेतु एक नैतिक कार्य-ढाँचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
(150 शब्द)

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत के आर्थिक विकास पथ के साथ-साथ सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ❖ समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये एक नैतिक कार्य-ढाँचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत ने तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त की है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु इस आर्थिक प्रगति के साथ-साथ समानांतर रूप से सामाजिक विषमताएँ (जैसे: आय असमानता, लैंगिक अंतर और क्षेत्रीय असंतुलन) तथा पर्यावरणीय चुनौतियाँ (जैसे: प्रदूषण, संसाधनों का क्षय और जलवायु-संवेदनशीलता) बनी हुई हैं। अतः न्याय, समानता और उत्तरदायित्व पर आधारित एक नैतिक कार्य-ढाँचा आवश्यक है, जो नीतियों को समावेशी एवं सतत् विकास की दिशा में मार्गदर्शित कर सके।

मुख्य भाग:**एक नैतिक कार्य-ढाँचे की प्रासंगिकता:**

- ❖ **न्याय और समता:** नैतिक शासन के लिये उपेक्षित रहने वाली उन आबादी को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के बावजूद वंचित रह जाती हैं।
 - 🌀 उदाहरण के लिये, वर्ष 2011 से अब तक 17.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल पाए हैं, जबकि सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि सबसे निचले 50% लोगों के पास केवल 3% (वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब, 2025) हिस्सा है।
 - 🌀 यह गहरी विषमता इस बात की मांग करती है कि संसाधनों के समान वितरण पर आधारित वितरण न्याय (Distributive Justice) की भावना से प्रेरित पुनर्वितरणकारी नीतियाँ बनाई जाएँ।

- ❖ **लैंगिक और सामाजिक समानता:** महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 34% कम कमाती हैं और महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी 41.7% है, जबकि पुरुषों की 78.8% है।
 - 🌀 **समानता के लिये सकारात्मक कार्रवाई और कार्यस्थल में निष्पक्षता** जैसी सक्रिय नीतियों की आवश्यकता है ताकि इन अंतरों को नैतिक रूप से कम किया जा सके।
- ❖ **संधारणीयता और उत्तरदायित्व:** नैतिक नेतृत्व में तीव्र विकास के बीच पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा शामिल है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक नियमित रूप से खतरनाक स्तर (AQI >700) से ऊपर चला जाता है और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी जल निकायों का क्षरण हो रहा है।
 - 🌀 कंचन वर्मा द्वारा ससुर खदेरी नाले के जीर्णोद्धार जैसी पहल अंतर-पीढ़ीगत समता के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व को दर्शाती है।
- ❖ **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** समतापूर्ण शासन के लिये पारदर्शी निर्णय लेने और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता होती है ताकि अभिजात वर्ग के अधिग्रहण, भ्रष्टाचार एवं नीतिगत विकृतियों को रोका जा सके, जो असमानता को और बढ़ा देती हैं।
 - 🌀 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2024 के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा है, जो यह दर्शाता है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन-व्यवस्था की निष्ठा के क्षेत्र में अब भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।
- ❖ **सामाजिक पुनर्निर्माणवाद:** यह भारत में सीमांत समुदायों को सशक्त बनाकर और समावेशी निर्णय लेने को बढ़ावा देकर समाज के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में शिक्षा एवं सहभागी शासन पर बल देता है।
 - 🌀 यह ग्राम सभाओं जैसी ज़मीनी संस्थाओं, कुटुंबश्री जैसे महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों एवं MyGov जैसे प्लेटफॉर्म में परिलक्षित होता है, जो सामूहिक रूप से सामाजिक समता, नैतिक शासन और समुदाय-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देते हैं तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को सामूहिक प्रगति के अवसरों में बदलने की नैतिक अनिवार्यता के साथ संतुलन स्थापित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

❖ विकास कार्यक्रमों में नैतिकता का समावेश: नैतिक विचार समावेशी, दीर्घकालिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं।

🌀 कंपनी अधिनियम, 2013 (CSR) के अंतर्गत कॉर्पोरेट पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यवसाय सामाजिक कल्याण में योगदान दें।

🌀 स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रम विकास योजना में संधारणीयता को शामिल करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का विकास केवल GDP वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिये। महात्मा गांधी ने आगाह किया था कि *“संसार में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन हैं, परंतु सभी के लोभ की पूर्ति के लिये नहीं!”* — यह कथन नैतिक और सतत् विकास की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। जब भारत ऐसा नैतिक कार्य-ढाँचा अपनाता है जो आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करे, तब ही वह समावेशी तथा दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित कर सकता है।

प्रश्न : “प्रशासन में नैतिक दुविधाएँ अपरिहार्य हैं, लेकिन नैतिक निर्णय लेना अपरिहार्य है।” नैतिक तर्क और संघर्ष समाधान के संदर्भ में व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ नैतिक द्वंद्वों और नैतिक निर्णय लेने का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ नैतिक तर्क और संघर्ष समाधान के संदर्भ में व्याख्या कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सहानुभूतिपूर्वक नैतिक दुविधाएँ लोक प्रशासन का एक अंतर्निहित अंग हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब एक लोक सेवक को परस्पर विरोधी कर्तव्यों, प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों या विविध हितधारकों की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऐसे द्वंद्व अनिवार्य हैं, फिर भी नैतिक निर्णय-निर्माण अपरिहार्य है, क्योंकि प्रशासक पर जनविश्वास, उत्तरदायित्व एवं निष्पक्षता बनाए रखने का दायित्व होता है।

मुख्य भाग:

प्रशासनिक निर्णय लेने में नैतिक तर्क

❖ नैतिक तर्क वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रशासक नैतिक विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं तथा परिणामों का अनुमान लगाते हैं। इसमें चिंतन शामिल होता है कि क्या उचित, न्यायसंगत और जनहित में है।

❖ प्रमुख दृष्टिकोणों में शामिल हैं:

🌀 कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण (Deontological Approach): निर्णय नियमों, कर्तव्यों और विधिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिये, शिकायत दर्ज करते समय राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार करने वाला पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है।

🌀 उपयोगितावादी दृष्टिकोण (Utilitarian Approach): विकल्पों का उद्देश्य समग्र सार्वजनिक हित को अधिकतम करना होता है। बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को सबसे पहले राहत आवंटित करना उपयोगितावादी तर्क को दर्शाता है।

🌀 सद्गुण आधारित दृष्टिकोण (Virtue Ethics): निर्णय ईमानदारी, सहानुभूति और निष्पक्षता जैसे नैतिक गुणों से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिये एक स्वास्थ्य अधिकारी, राजनीतिक प्रभाव की परवाह किये बिना सभी वर्गों को समान टीका वितरण सुनिश्चित करता है, जो सदाचार नैतिकता का प्रदर्शन करता है।

❖ ये कार्यवाह प्रशासकों को जटिल परिस्थितियों से निपटने और नैतिक रूप से उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

नैतिक द्वंद्वों में संघर्ष समाधान

❖ नैतिक द्वंद्व प्रायः हितधारकों, विधिक प्रावधानों और संस्थागत उद्देश्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न करते हैं।

❖ प्रभावी संघर्ष समाधान जनविश्वास बनाए रखने हेतु आवश्यक है—

🌀 पारदर्शिता: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में खुला संचार संदेह को कम करता है।

🔍 उदाहरण: सरकारी सब्सिडी के लिये आवंटन मानदंड प्रकाशित करने से विश्वसनीयता बढ़ती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 **परामर्श और विचार-विमर्श:** सहकर्मियों, विशेषज्ञों और नैतिक समितियों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बनाने में सहायता मिलती है।

🔍 उदाहरण: शहरी विकास परियोजनाओं के दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकारों का सम्मान करती है।

🌀 **जनहित को प्राथमिकता देना:** नैतिक निर्णय लेने के लिये सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ से ऊपर रखना आवश्यक है।

🔍 उदाहरण: संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा के उपयोग में अधिकारियों को निजता संबंधी चिंताओं और जनसुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

नैतिक द्वंद्व प्रशासन का स्वाभाविक परिणाम है, जो राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और सामाजिक विविधता के अंतर्संबंध से उत्पन्न होती है। परंतु नैतिक निर्णय-निर्माण अनिवार्य है, क्योंकि यह उत्तरदायित्व, संस्थागत वैधता और लोकतांत्रिक शासन की अखंडता को सुनिश्चित करता है। नैतिक तर्क-वितर्क, विवेकपूर्ण विचार-विमर्श और संरचित संघर्ष समाधान के माध्यम से प्रशासक न्याय, सत्यनिष्ठा एवं जनविश्वास को सुदृढ़ रख सकते हैं।

प्रश्न : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा और डिजिटल गवर्नेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। लोक प्रशासन में नैतिक ढाँचों को इनकी स्वीकृति के लिये किस प्रकार मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये ? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ उभरती प्रौद्योगिकियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ लोक प्रशासन में उभरती प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये आवश्यक नैतिक कार्य-ढाँचों पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा और डिजिटल गवर्नेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ दक्षता, निर्णय-निर्माण एवं सेवा वितरण में सुधार करके लोक प्रशासन में क्रांति ला रही हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, नागरिक-केंद्रित सेवाएँ तथा त्वरित शासन को संभव बनाती हैं। तथापि, इनके प्रयोग से अनेक नैतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जैसे- पूर्वाग्रह, बहिष्करण, निजता का उल्लंघन तथा उत्तरदायित्व में कमी।

मुख्य भाग:

उभरती प्रौद्योगिकियों की नैतिक चुनौतियाँ

❖ **पूर्वाग्रह और भेदभाव:** AI प्रणालियाँ और एल्गोरिद्म आधारित निर्णय अनजाने में सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जिससे भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।

🌀 उदाहरण के लिये, कुछ देशों में भविष्यसूचक पुलिसिंग एल्गोरिद्म ने उपेक्षित समुदायों को असमान रूप से लक्षित किया है, जिससे संरचनात्मक असमानताएँ और सुदृढ़ हुई हैं।

🌀 इसी प्रकार, पक्षपातपूर्ण आँकड़ों का उपयोग करके कल्याणकारी योजनाओं का आवंटन कुछ सामाजिक समूहों के लिये नुकसानदेह हो सकता है।

❖ **निजता और डेटा सुरक्षा:** शासन में बिग डेटा का व्यापक उपयोग व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और निगरानी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

🌀 उदाहरण के लिये, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बड़े पैमाने पर डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड या वित्तीय डेटा संगृहीत करने से उल्लंघन या शोषण का खतरा रहता है।

🌀 नैतिक उपयोग के लिये सहमति, निजता और सख्त डेटा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

❖ **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** स्वचालित निर्णय लेने से प्रक्रियाएँ अस्पष्ट हो सकती हैं, जिससे नागरिकों या अधिकारियों के लिये यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई विशेष निर्णय क्यों लिया गया।

🌀 उदाहरण के लिये, AI-संचालित लाभ वितरण प्रणालियाँ स्पष्टीकरण दिये बिना सेवाओं से इनकार कर सकती हैं,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



जिससे शासन में उत्तरदायित्व और विश्वास कमजोर होता है।

- ❖ डिजिटल डिवाइड और अभिगम्यता में विषमता: हालाँकि डिजिटल गवर्नेंस दक्षता तो बढ़ाता है, परंतु इसके लाभ प्रायः शहरी और तकनीकी रूप से सक्षम वर्गों तक ही सीमित रह जाते हैं, जिससे ग्रामीण और सीमांत समूह पीछे छूट जाते हैं।

🌀 मोबाइल और इंटरनेट की अभिगम्यता में अंतर असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे सेवा वितरण में अपवर्जन का एक नया आयाम उत्पन्न हो सकता है।

- ❖ सुरक्षा और साइबर जोखिम: डिजिटल प्रणालियों पर निर्भरता शासन को साइबर हमलों, डेटा हेर-फेर और प्रणालीगत विफलताओं के प्रति सुभेद्य बनाती है, जिससे नागरिकों का संवेदनशील डेटा प्रभावित हो सकता है या महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।

नैतिक स्वीकृति के मार्गदर्शक कार्य-ढाँचे

- ❖ सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण (Principles-Based Approach): न्याय, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा समावेशिता जैसे सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिये।

🌀 भारत की NITI आयोग की AI नैतिकता संबंधी दिशा-निर्देश इन्हीं मूल्यों पर आधारित उत्तरदायी AI प्रयोग को बल देते हैं।

- ❖ उत्तरदायी नवाचार (Responsible Innovation): प्रौद्योगिकी के विस्तार से पूर्व हितधारकों की सहभागिता, जोखिम मूल्यांकन तथा पायलट परीक्षण आवश्यक है।

🌀 उदाहरणतः, कृषि क्षेत्र में AI अनुप्रयोगों को स्थानीय किसानों के साथ परीक्षण कर उनकी सांघर्षिक प्रासंगिकता तथा समान लाभ सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

- ❖ डिज़ाइन द्वारा निजता और सुरक्षा उपाय: प्रौद्योगिकी के प्रत्येक चरण में डेटा संरक्षण, नागरिक की सहमति तथा साइबर सुरक्षा के तत्वों को समाहित किया जाना चाहिये।

🌀 भारत का डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिक डेटा के नैतिक उपयोग हेतु विधिक कार्य-ढाँचा प्रदान करता है।

- ❖ नियमित अंकेक्षण और उत्तरदायित्व तंत्र: AI एल्गोरिद्म, डेटा उपयोग तथा डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का स्वतंत्र अंकेक्षण नैतिक अनुपालन एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

- ❖ क्षमता निर्माण और जागरूकता: प्रशासकों तथा नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी, AI के नैतिक प्रयोग तथा डेटा अधिकारों के विषय में प्रशिक्षित करना उत्तरदायी तकनीकी शासन की नींव रखता है।

निष्कर्ष:

जॉन रॉल्स के शब्दों में, “न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है!” — अर्थात् न्याय किसी भी सामाजिक संस्था का प्रथम गुण है।

इस विचार के आलोक में तकनीकी अंगीकरण की प्रक्रिया न्याय, पारदर्शिता तथा समावेशिता से निर्देशित होनी चाहिये। नैतिक मानकों को संस्थागत बनाकर, प्रशिक्षण और सतत् पर्यवेक्षण के माध्यम से भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करें तथा लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाएँ।

प्रश्न : “नैतिक निरपेक्षवाद कठोरता को जन्म दे सकती है, जबकि नैतिक सापेक्षवाद अन्याय को उचित ठहरा सकता है। नैतिक निर्णय लेने में इन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।” उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी पुष्टि कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ नैतिक निरपेक्षवाद और नैतिक सापेक्षवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ नैतिक निरपेक्षवाद और नैतिक सापेक्षवाद की विशेषताओं एवं सीमाओं की विवेचना कीजिये।
- ❖ नैतिक निर्णय लेने में एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
- ❖ संतुलित दृष्टिकोण के उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी पुष्टि कीजिये।
- ❖ उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

नैतिक निर्णय-निर्माण प्रायः दो चरम सीमाओं के मध्य होता है — मोरल एब्सोलूटिज़्म (नैतिक निरपेक्षवाद) और मोरल रिलेटिविज़्म (नैतिक सापेक्षवाद)। नैतिक निरपेक्षवाद यह मानती है कि सत्य, न्याय, और अहिंसा जैसे कुछ नैतिक सिद्धांत सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनीय हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इसके विपरीत, नैतिक सापेक्षवाद का यह दृष्टिकोण है कि नैतिकता सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों या विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि इन दोनों विचारों की अतिवादिता हो, तो नैतिक तर्क का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके लिये एक संतुलित, प्रासंगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:**मोरल एब्सोलूटिज़्म (नैतिक निरपेक्षवाद)****विशिष्टता:**

- यह उचित और अनुचित के निश्चित मानक स्थापित कर नैतिक स्पष्टता तथा स्थिरता प्रदान करती है।
- इसमें नैतिक मानदंडों के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार कर समानता के आधार पर न्याय एवं निष्पक्षता को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इससे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा सुनिश्चित होती है — जैसे दासता का उन्मूलन या यातना का प्रतिषेध, चाहे कोई संस्कृति इसे उचित ठहराए या नहीं।

सीमाएँ:

- यह तब कठोर और असंवेदनशील हो सकती है जब परिस्थिति, मानवीय पीड़ा या संदर्भ की उपेक्षा करते हुए नियमों को अंधानुकरण से लागू किया जाये।
- शासन में नैतिक दुविधाओं के लिये प्रायः सख्त नियमों के पालन के बजाय विवेक की आवश्यकता होती है।
उदाहरण: एक पुलिस अधिकारी जो लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करता है और भोजन की तलाश में एक गरीब मजदूर को दंडित करता है, तो वह कानून का पालन तो कर रहा है, परंतु करुणा की उपेक्षा कर रहा होता है, जिससे नैतिक आनुपातिकता विफल हो जाती है।

मोरल रिलेटिविज़्म (नैतिक सापेक्षवाद)**विशिष्टता:**

- भारत जैसे बहुलवादी समाजों में सहिष्णुता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है।
- जहाँ परिस्थितिजन्य वास्तविकताएँ कठोर संहिताओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, वहाँ यह संदर्भ-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- यह प्रशासनिक और सामाजिक विवादों में व्यावहारिकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

सीमाएँ:

- यह नैतिक अनुज्ञेयता या अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे उचित और अनुचित के मापदंड अस्थिर हो जाते हैं।
- इसका दुरुपयोग अनैतिक आचरण को उचित ठहराने के लिये किया जा सकता है — जैसे भ्रष्टाचार या वंशवाद को 'स्थानीय प्रथा' बताकर वैध ठहराना।
- उदाहरण:** यदि कोई प्रशासक त्योहारों पर उपहार स्वीकार कर यह कहे कि यह 'प्रथागत' है, तो वह नैतिक सापेक्षवाद को दर्शाता है और नैतिक समझौते को उचित ठहरा रहा होता है।

संतुलित नैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

- नैतिक शासन के लिये आवश्यक है कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य कार्यों का मार्गदर्शन करें, पर उनका प्रयोग संदर्भ की संवेदनशीलता के साथ किया जाए।
- लोक सेवकों को ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है जहाँ सिद्धांत और करुणा दोनों दाँव पर होते हैं। अतः मध्यम मार्ग ही ऐसा उपाय है जो कठोरता के बिना नैतिक अखंडता को बनाए रखता है।
- यह दृष्टिकोण अरस्तू के *"Doctrine of the Mean"* तथा गांधीवादी नैतिकता के अनुरूप है, जो सत्य और अहिंसा को करुणा एवं विवेक के साथ लागू करने पर बल देता है।
- संतुलित दृष्टिकोण में नैतिक निर्णय-निर्माण का अर्थ है — प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों का तर्क, संवेदना और अंतःकरण के

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

माध्यम से संतुलन करना, जिससे न तो नैतिक कठोरता रह जाए एवं न ही नैतिक अराजकता।

❖ उदाहरण:

- ④ एक जिला अधिकारी द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अतिक्रमणकारी को अस्थायी राहत देना — विधि एवं मानवीय संवेदना दोनों का संतुलन दर्शाता है।
- ④ एक सैन्य अधिकारी द्वारा प्रति-विद्रोह अभियान में कर्तव्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किये बिना नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ④ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन करते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना भी इस संतुलित नैतिकता का उदाहरण है।

निष्कर्ष:

नैतिक निरपेक्षवाद नैतिक निरंतरता सुनिश्चित करती है, परंतु हठधर्मिता का जोखिम रखती है। वहीं नैतिक सापेक्षवाद अनुकूलनशीलता प्रदान करती है, परंतु अन्याय का खतरा उत्पन्न करती है। अतः सच्ची नैतिकता दोनों के सामंजस्य में निहित है — जहाँ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग संदर्भ-संवेदनशील विवेक के साथ किया जाए। सहानुभूति और तर्क से निर्देशित संतुलित नैतिक दृष्टिकोण ही ऐसे निर्णयों का आधार बन सकता है जो सैद्धांतिक भी हों तथा मानवीय भी एवं शासन के नैतिक भाव को सशक्त बनाते हों।

प्रश्न : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित उद्धरण आपको क्या संदेश देता है ?

“हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।” — स्वामी विवेकानंद।
(150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ स्वामी विवेकानंद के उद्धरण के सार की व्याख्या से उत्तर लेखन आरंभ कीजिये।
- ❖ उद्धरण के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिये।
- ❖ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस उद्धरण की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।
- ❖ चिंतन एवं दृष्टि के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

स्वामी विवेकानंद का यह गहन कथन शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य— केवल ज्ञान का संचार नहीं, बल्कि नैतिक चरित्र का निर्माण, मानसिक दृढ़ता, बौद्धिक विकास तथा आत्मनिर्भरता का सृजन, को अभिव्यक्त करता है। वर्तमान समय में, जब शिक्षा को प्रायः केवल रोजगार या रटने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है, विवेकानंद का यह दृष्टिकोण स्मरण कराता है कि शिक्षा का लक्ष्य ऐसे सशक्त, नैतिक एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिये जो समाज के लिये सार्थक योगदान दे सकें।

मुख्य भाग:

❖ चरित्र-निर्माण – नैतिकता की आधारशिला

- ④ सच्चे अर्थों में शिक्षा का उद्देश्य सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और नैतिक साहस का विकास करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र ही समस्त प्रगति का आधार है।
- ④ एक चरित्रवान व्यक्ति दबाव की स्थिति में भी सत्य और न्याय का पालन करता है।
- ④ उदाहरणतः महात्मा गांधी ने ‘नैतिक निर्माण’ को ‘नई तालीम’ (बुनियादी शिक्षा) का मूल उद्देश्य माना, जिसका लक्ष्य आत्म-अनुशासन और नैतिक जागरूकता का विकास था।
- ④ समकालीन भारत में, जहाँ भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की चर्चाएँ प्रायः होती हैं, मूल्य-आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना सत्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

❖ मानसिक शक्ति – धैर्य और अंतःसाहस

- ④ शिक्षा का उद्देश्य मानसिक दृढ़ता अर्थात् चुनौतियों का सामना करने और नैतिक विश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता, का भी विकास होना चाहिये।
- ④ लोक प्रशासन में अधिकारी अनेक बार राजनीतिक दबाव और नैतिक कर्तव्य के मध्य द्वंद्व का सामना करते हैं। मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों में भी संवैधानिक मूल्यों का पालन कर सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उदाहरण के लिये, 'मेट्रो मैन ऑफ इंडिया' ई. श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में अडिग नैतिकता और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया तथा भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वयं को दूर रखा।

ऐसे उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा यदि मानसिक दृढ़ता को पोषित करे तो वह सार्वजनिक सेवा में नैतिक उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करती है।

❖ बुद्धि-विस्तार - सूचना से प्रज्ञा तक

शिक्षा को रटने की सीमा से आगे बढ़कर समालोचनात्मक चिंतन, सृजनशीलता और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिये।

वास्तविक बौद्धिक विकास जिज्ञासा, तर्कपूर्ण अन्वेषण और विविध विचारों के प्रति समावेशन से उत्पन्न होता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षणिक दर्शन 'करके सीखने' (Learning by doing) की अवधारणा पर आधारित थे, जिससे नवोन्मेष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके।

आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी आदर्श को आगे बढ़ाते हुए बहुविषयी और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से बुद्धि-विस्तार पर बल देती है।

❖ आत्मनिर्भरता - अपने पैरों पर खड़े होना

स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक और नैतिक दोनों तरह से आत्मनिर्भरता है।

एक शिक्षित व्यक्ति को केवल रोजगार की तलाश नहीं करनी चाहिये, बल्कि उसे अपनी नियति स्वयं गढ़ने वाला बनना चाहिये तथा आत्मविश्वास और कौशल का भी सृजन करना चाहिये।

स्किल इंडिया मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत युवाओं में उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं।

निष्कर्ष:

स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रतिस्पर्द्धा और भौतिकवाद के युग में, शिक्षा को बौद्धिक उत्कृष्टता एवं नैतिक चेतना के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सच्ची शिक्षा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जो विचारों में प्रखर, चरित्र में दृढ़ और कर्म में आत्मनिर्भर हों। जब शिक्षा मन एवं आत्मा दोनों का पोषण करती है, तो यह व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय प्रगति का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती है।

प्रश्न : "वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर प्रायः सबसे पहले नैतिकता की बलि चढ़ती है।" उस नैतिक द्वन्द्व का विश्लेषण कीजिये जिसका सामना राष्ट्र तब करते हैं जब उनके सामरिक हित मानवतावादी उत्तरदायित्वों से असंगत होते हैं। हाल के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ कथन की व्याख्या करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ संघर्ष - रणनीतिक हित बनाम मानवीय उत्तरदायित्व - का गहन अध्ययन कीजिये।
- ❖ राष्ट्रों के समक्ष आने वाली प्रमुख नैतिक दुविधाओं पर प्रकाश डालिये।
- ❖ हाल के संकटों के दो उदाहरण दीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह कथन राष्ट्रीय रणनीतिक हितों (रीयलपॉलिटिक-वास्तविक राजनीति) और सार्वभौमिक मानवीय उत्तरदायित्वों (आदर्शवाद अथवा नैतिक सिद्धांतों) के बीच व्याप्त तनाव को अत्यंत संक्षेप में अभिव्यक्त करता है। यह द्वंद्व राष्ट्रों के लिये गहन नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न करता है क्योंकि उन्हें आत्म-संरक्षण अथवा सामरिक लाभ एवं मानवीय पीड़ा को कम करने की नैतिक अनिवार्यता के बीच एक कठिन चयन करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:

संघर्ष- रणनीतिक हित बनाम मानवीय उत्तरदायित्व

रणनीतिक हित (रीयलपॉलिटिक-वास्तविक राजनीति)	मानवीय उत्तरदायित्व (आदर्शवाद)
केंद्रबिंदु: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक लाभ, भू-राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का अधिकतमीकरण।	केंद्रबिंदु: पीड़ा को कम करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय गरिमा को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का पालन।
तर्क: स्व-हित— वही कार्रवाई की जाती है, जो राज्य को प्रत्यक्ष रूप से लाभ (सुरक्षा गठबंधन, संसाधनों तक अभिगम्यता, क्षेत्रीय स्थिरता) पहुँचाते हैं।	तर्क: नैतिक अनिवार्यता— कर्तव्य सार्वभौमिक और निरपेक्ष है चाहे उससे प्रत्यक्ष राष्ट्रीय लाभ हो या न हो।
सिद्धांत: संप्रभुता (अन्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना)।	सिद्धांत: मानवता और सुरक्षा का उत्तरदायित्व (R2P)।

जब कोई संकट उत्पन्न होता है, तो नैतिक दुविधा यह तय करने में होती है कि कौन-से कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाए: **पीड़ित आबादी की सहायता करना (मानवीय) या राष्ट्र के रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना (वास्तविक राजनीति)।**

राष्ट्रों के समक्ष प्रमुख नैतिक दुविधाएँ

❖ संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप की दुविधा

⦿ **संघर्ष:** राज्य-संप्रभुता का सिद्धांत (हस्तक्षेप न करना) और संरक्षण के उत्तरदायित्व (R2P) का सिद्धांत, जिसके अनुसार संप्रभुता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य अपनी जनता को व्यापक अत्याचारों से कितना बचा पाता है।

⦿ **दुविधा:** क्या किसी राष्ट्र को मानवीय आधार पर सैन्य/कूटनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिये, जिससे सैनिकों का जीवन जोखिम में पड़े और संप्रभुता का उल्लंघन हो, या फिर अहस्तक्षेप को प्राथमिकता देते हुए अत्याचारों को निष्क्रिय रूप से घटित होने देना चाहिये?

🔍 **प्रायः,** यह निर्णय हस्तक्षेप करने वाले देश के **सामरिक हितों** (जैसे: तेल संसाधन, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता) पर निर्भर रहता है।

❖ सशर्त सहायता बनाम निष्पक्षता

⦿ **संघर्ष:** मानवीय सहायता का आधार निष्पक्षता और तटस्थता है; सहायता केवल आवश्यकता के आधार पर दी जानी चाहिये। किंतु दाता-राष्ट्र प्रायः सहायता को राजनीतिक शर्तों, सामरिक गठबंधनों या प्रशासनिक सुधारों से जोड़ देते हैं।

⦿ **दुविधा:** क्या किसी राष्ट्र को शत्रुतापूर्ण समूहों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सहायता रोक देनी चाहिये (सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये), भले ही इससे अत्यधिक संवेदनशील आबादी को सहायता न मिल सके और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन हो?

❖ आतंकवाद-विरोधी बनाम मानवीय पहुँच

⦿ **संघर्ष:** आतंकवाद-रोधी कानून प्रायः नामित आतंकवादी संगठनों को 'भौतिक सहायता' प्रदान करने को अपराध मानते हैं। फिर भी, कई संघर्ष क्षेत्रों में ऐसे समूह उन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं जहाँ नागरिक रहते हैं।

⦿ **दुविधा:** क्या सहायता एजेंसियाँ दवाइयों और भोजन की आपूर्ति हेतु सशस्त्र समूहों से बातचीत करके कानूनी जोखिम उठाएँ, या कानून का पालन करते हुए नागरिकों को भुखमरी और अभाव में संघर्षरत छोड़ दें?

❖ हथियार-निर्यात बनाम मानवाधिकार

⦿ **संघर्ष:** अनेक राष्ट्र आर्थिक लाभ और राजनीतिक प्रभाव के लिये हथियारों का निर्यात करते हैं, किंतु इन्हीं हथियारों का उपयोग बाद में मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं आक्रामक युद्धों में किया जाता है।

⦿ **दुविधा:** क्या किसी राष्ट्र को आर्थिक व कूटनीतिक लाभ छोड़कर हथियार-निर्यात रोक देना (नैतिक निर्णय) चाहिये, या लाभ और प्रभाव को प्राथमिकता देते हुए संभावित दुरुपयोग की अनदेखी (वास्तविक राजनीति) करनी चाहिये?

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

हाल के संकटों के उदाहरण

❖ यमन संकट (2014-वर्तमान):

🌀 यमन का युद्ध समकालीन समय का एक गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। इसके बावजूद प्रमुख शक्तियों ने सामरिक हितों, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं और रक्षा-अनुबंधों से प्रेरित होकर हथियार-निर्यात तथा सैन्य-समर्थन जारी रखा।

🌀 इस प्रकार मानवीय मूल्यों की तुलना में वास्तविक राजनीति को वरीयता मिली।

🔍 युद्धविराम और नागरिक सुरक्षा के लिये मानवीय अनिवार्यताओं को दरकिनार कर दिया गया, जो वास्तविक राजनीति के समक्ष नैतिकता की हार को दर्शाता है।

❖ अफगानिस्तान संकट (वर्ष 2021 के बाद):

🌀 तालिबान के सत्ता में आने के बाद, वैश्विक शक्तियों ने अफगान संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया और शासन को मान्यता न देने के लिये सहायता रोक दी।

🔍 हालाँकि, इस राजनीतिक अलगाव ने भुखमरी एवं आर्थिक पतन को और गंभीर कर दिया।

🔍 नैतिक दुविधा इस बात में थी कि क्या राजनीतिक मान्यता न देने को प्राथमिकता दी जाये या मानव-पीड़ा को कम करने हेतु त्वरित सहायता प्रदान की जाये। निर्णयों में पुनः सामरिक सतर्कता मानवीय दायित्वों पर भारी पड़ी।

निष्कर्ष:

अंततः, एक सैद्धांतिक विदेश नीति के लिये यह स्वीकार करना आवश्यक है कि दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता मानवाधिकारों के सम्मान, मानवीय राहत और वैश्विक न्याय पर निर्भर करती है। जब राष्ट्र यह समझ जाते हैं कि नैतिक आचरण और संयम से चरमपंथ, व्यापक विस्थापन और अस्थिरता को रोका जा सकता है तब मानवीय कार्रवाई वास्तविक राजनीति का त्याग नहीं बल्कि उसका सर्वाधिक स्थायी एवं विवेकपूर्ण स्वरूप बन जाती है।

प्रश्न : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित उद्धरण आपको क्या संदेश देता है ?

“बुराई की विजय के लिये केवल इतना ही पर्याप्त है कि अच्छे लोग कुछ न करें।” — एडमंड बर्क (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ उद्धरण के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- ❖ वर्तमान संदर्भ में इसके मूल अर्थ और आधुनिक क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ “कुछ न करने” की वर्तमान चुनौती पर प्रकाश डालिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एडमंड बर्क का यह उद्धरण व्यक्तियों तथा समाजों के उस नैतिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है जिसके अनुसार अन्याय, भ्रष्टाचार या दुष्कर्म के विरुद्ध सक्रिय होना आवश्यक है। यह संदेश देता है कि बुराई के समक्ष निष्क्रियता या मौन रहना उसके विकास को संभव बनाता है। बुराई का विजय इसलिये नहीं होता क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिये होता है क्योंकि अच्छे लोग साहस के बजाय निष्क्रियता (कुछ न करने) और मौन को चुन लेते हैं।

मुख्य भाग:

वर्तमान संदर्भ में मूल अर्थ

❖ नैतिक कर्तव्य का आग्रह: यह उद्धरण एक स्पष्ट नैतिक कर्तव्य स्थापित करता है जहाँ प्रतिक्रिया का अभाव स्वयं एक ऐसा विकल्प है जिसके स्पष्ट नकारात्मक परिणाम होते हैं।

🌀 “कुछ न करना” कोई तटस्थ स्थिति नहीं बल्कि सहमति और सहभागीता का रूप है जो अन्याय को और अधिक शक्तिशाली बनाता है।

❖ सद्भावना की असुरक्षा: यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि साहस और कार्रवाई के बिना अच्छाई/सद्भावना, भ्रष्टाचार, उग्रवाद या उत्पीड़न की दृढ़ एवं संगठित शक्तियों के समक्ष प्रभावहीन सिद्ध होती है।

🌀 यह उद्धरण निष्क्रिय सद्गुण से सक्रिय नागरिकता की ओर बढ़ने का आह्वान करता है।

आधुनिक क्षेत्रों में प्रासंगिकता

❖ राजनीतिक और नागरिक जीवन

🌀 लोकतांत्रिक मानकों का पतन: यह उद्धरण सीधे तौर पर लोकतांत्रिक पतन के जोखिम की चेतावनी देता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❏ जब 'अच्छे नागरिक' मतदान नहीं करते, नेताओं को जवाबदेह ठहराने से परहेज करते हैं या कार्यपालिका के अतिक्रमण पर मौन साध लेते हैं तब यह शून्यता अल्प समय में अधिनायकवादी या अनुदारवादी प्रवृत्तियों द्वारा भर दी जाती है।

🌀 **राजनीतिक धुवीकरण:** निष्क्रियता के कारण उदारवादी या सिद्धांतवादी आवाजें सार्वजनिक विमर्श में पीछे हट जाती हैं और अतिवादी और विभाजनकारी विचार सहज ही प्रभावी हो जाते हैं, जिससे विचारधारात्मक 'बुराई' की विजय संभव हो जाती है।

❖ सामाजिक न्याय और मानवाधिकार

🌀 **प्रणालीगत अन्याय:** जलवायु परिवर्तन, नस्लीय भेदभाव या आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर यह उद्घरण उन लोगों को चुनौती देता है जो स्वयं पीड़ित नहीं हैं परंतु परिवर्तन लाने में सक्षम हैं।

❏ इन संरचनात्मक समस्याओं/बुराइयों का बने रहना प्रायः बहुसंख्यकों की प्रत्यक्ष दुर्भावना से नहीं, बल्कि उन अप्रभावित लोगों की उदासीनता से कायम रहता है जिनके पास नीति या सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करने की शक्ति होती है।

🌀 **बाइस्टैंडर इफेक्ट:** सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में, लोग प्रायः उत्पीड़न या अन्याय के मामलों में हस्तक्षेप करने से हिचकिचाते हैं, यह मानकर कि कोई और आगे आएगा।

❏ यह उद्घरण इस निष्क्रियता/विखंडित उत्तरदायित्व के इस खतरनाक भ्रम को तोड़ने का प्रयास करता है।

❖ संगठनात्मक नैतिकता और व्हिसलब्लोइंग

🌀 **कॉर्पोरेट दुराचार:** कॉर्पोरेट जगत में, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, पर्यावरणीय क्षति या अनैतिक श्रम प्रथाएँ प्रायः इसलिये पनपती हैं क्योंकि कर्मचारी, प्रबंधक एवं बोर्ड के सदस्य, जो सच्चाई जानते हैं, प्रतिशोध के डर से या केवल

अंतर्विरोध से बचने के लिये खुलकर बोलने (व्हिसलब्लोइंग/मुखबिरी) से कतराते हैं।

❏ उनकी यह निष्क्रियता 'भ्रष्टाचार की विजय' सुनिश्चित कर देती है।

🌀 **मीडिया और सूचना:** जब सिद्धांतवादी पत्रकार, शिक्षाविद या शिक्षक सेंसरशिप या प्रतिक्रिया के डर से चुप रहते हैं, तो वे गलत सूचना और दुष्प्रचार, जो आधुनिक बुराई का एक महत्वपूर्ण रूप है, को बिना किसी चुनौती के विकसित होने देते हैं।

'कुछ न करने' की वर्तमान चुनौती

वर्तमान संदर्भ में, 'अच्छे व्यक्ति' के लिये चुनौतियाँ बहुआयामी हैं:

❖ **जटिलता:** आधुनिक बुराई किसी एक व्यक्ति या स्पष्ट शत्रु के रूप में नहीं बल्कि नीतियों, एल्गोरिदम और संरचनात्मक पूर्वाग्रहों के जटिल जाल के रूप में सामने आती है, जिससे कार्रवाई कठिन हो जाती है।

❖ **जोखिम:** डिजिटल युग में अन्याय के विरुद्ध बोलना व्यक्तिगत हमलों, ऑनलाइन प्रताड़ना तथा पेशेवर हानि का वास्तविक खतरा लेकर आता है, जिससे निष्क्रिय रहना सरल विकल्प प्रतीत होता है।

❖ **उदासीनता और थकान:** निरंतर संकटों की खबरों ने लोगों में करुणा-थकान (Compassion Fatigue) उत्पन्न की है। अनेक लोग विभिन्न वैश्विक संकटों के सामने स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं और "कुछ न करना" उनके लिये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा-कवच बन जाता है।

निष्कर्ष:

यदि नैतिकता का कर्म का साथ संयोजन न हो तो वह अर्थहीन है।

वास्तविक भलाई निष्क्रिय सद्गुण में नहीं बल्कि उस साहस में निहित है जो अनुचित, अन्यायपूर्ण और दुष्ट प्रवृत्तियों का सामना करने का संकल्प रखता है भले ही वह सुविधा या व्यक्तिगत हितों के विपरीत क्यों न हो।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



निबंध

प्रश्न : जिसके पास जीने का कारण है, वह लगभग किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। (1200 शब्द)

परिचय:

सर्दियों में, युवा मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने स्वयं को नाज़ी कंसंट्रेशन कैम्प में पाया। कैम्प में निराशा, भुखमरी एवं मृत्यु से घिरे हुए विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदियों ने आशा खो दी और जल्दी ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य असहनीय कठिनाइयों का सामना करके जीवित रहते थे। जो लोग जीवित थे उनके पास प्रायः जीने का एक स्पष्ट कारण होता था— कोई प्रियजन प्रतीक्षा कर रहा होता था, कोई मिशन पूरा करना होता था या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य होता था। यह अवलोकन फ्रेडरिक नीत्शे के इस कथन को प्रतिबिम्बित करता है: “जिसके पास जीवन जीने का एक कारण होता है, वह लगभग किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है।”

जीवन की चुनौतियाँ ‘किस प्रकार’ सहनशील बन जाती हैं जब उन्हें एक सुदृढ़ उद्देश्य ‘क्यों’ के मार्गदर्शन में देखा जाए।

मुख्य भाग:

उद्घरण का तात्पर्य

- “क्यों जीना है” : उद्देश्य, अर्थ, व्यक्तिगत मूल्य या उत्तरदायित्व।
- “कैसे जीना है” : जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ।
- मुख्य विचार: उद्देश्य की भावना मनुष्यों को प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने के लिये क्षमता और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

- नीत्शे यह रेखांकित करते हैं कि जीवन स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है और मानव को दुःख सहने के लिये अर्थ की आवश्यकता होती है।
- विक्टर फ्रैंकल का यातना शिविरों में जीवित रहना दर्शाता है कि जिनके पास जीने का कोई कारण है, वे अत्यधिक पीड़ा एवं अभाव को सहन कर सकते हैं।

- उदाहरण: फ्रैंकल स्वयं अपने प्रियजनों से मिलने और मानवीय सहनशीलता पर अपना मनोवैज्ञानिक ग्रंथ (मैन्स सर्च फॉर मीनिंग) लिखने की इच्छा से प्रेरित होकर जीवित बचे।

ऐतिहासिक उदाहरण

- महात्मा गांधी: कई कारावासों के दौरान गांधी ने सत्य और अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य से प्रेरित होकर कठोर परिस्थितियों, भूख हड़तालों व राजनीतिक दबावों को सहन किया।
- नेल्सन मंडेला: अमानवीय परिस्थितियों में 27 वर्ष जेल में बिताने के बावजूद मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिये नस्लीय समानता और स्वतंत्रता के अपने दृष्टिकोण के कारण अडिग रहे।
- मलाला यूसुफज़ई: अपने जीवन पर लक्षित हमले से बच गई और शिक्षा के अधिकार में अपने विश्वास से प्रेरित होकर बालिकाओं की शिक्षा की वकालत करती रहीं।

समकालीन उदाहरण

- माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिये कई नौकरियाँ करते हैं। उनका उद्देश्य— अपने बच्चों का कल्याण— उन्हें थकान एवं आर्थिक संघर्षों को सहने में सहायता करता है।
- दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त मरीज़, जीने की आशा या परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियों से प्रेरित होकर, इलाज और दर्द सहते रहते हैं।
- उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रायः बार-बार असफलताओं, जोखिमों एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य या दूरदर्शिता के कारण अपना कार्य जारी रखते हैं।

मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

- उद्देश्य मानसिक शक्ति, सहनशक्ति और आघात, तनाव तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की प्रेरणा प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- आधुनिक मनोविज्ञान लक्ष्य-निर्धारण, अर्थ-निर्माण और उद्देश्य-संचालित जीवन को मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक मानता है।
- उदाहरण:** प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से उबरने वाले लोग प्रायः पारिवारिक बंधनों या व्यक्तिगत लक्ष्यों के कारण अत्यधिक आघात से बच जाते हैं।
- सहायक समुदाय कठिनाइयों को सहने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो व्यक्तिगत उद्देश्य के साथ-साथ सामाजिक समर्थन के महत्व को दर्शाता है।

प्रति-परिप्रेक्ष्य

- बिना किसी 'क्यों' के छोटी-छोटी चुनौतियाँ भी भारी लग सकती हैं।
- सहनशक्ति** आंतरिक शक्ति, अनुकूलन रणनीतियों और सामाजिक नेटवर्क पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष:

विक्टर फ्रैंकल, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और कई सामान्य व्यक्तियों के अनुभव दर्शाते हैं कि एक दृढ़ उद्देश्य मनुष्य को सबसे कठिन विपत्तियों का भी सामना करने में सक्षम बनाता है। एक स्पष्ट 'क्यों' सहनशक्ति को दृढ़ करता है, विकल्पों का मार्गदर्शन करता है और जीवन में दृढ़ता को प्रेरित करता है।

जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने समझदारी से कहा था, **"जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है। इसका उद्देश्य उपयोगी होना, सम्माननीय होना, दयालु होना और यह सुनिश्चित करना है कि आप जो जीवन जीएँ वह आदर्श जीवन हो।"**

आज के तेजी से बदलते विश्व में अपने उद्देश्य की खोज न केवल व्यक्तिगत विकास के लिये, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिये भी आवश्यक है।

प्रश्न : बुद्धि के बिना महत्वाकांक्षा तूफान है, जबकि प्रयास के बिना संतोष मृगतृष्णा है। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1914 में एक युवा वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी उस महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, जो उन्हें परमाणु ऊर्जा के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में अग्रसर कर रही थी। उनकी असाधारण प्रतिभा

और तीव्र महत्वाकांक्षा ने परमाणु बम के विकास को जन्म दिया, जो एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि थी, लेकिन यह महाविनाश का कारण बनी।

बाद में ओपेनहाइमर ने अपने इस आविष्कार के नैतिक महत्व पर चिंतन किया और यह स्वीकार किया कि **"बिना विवेक की महत्वाकांक्षा एक तूफान बन जाती है !"** जो यदि नैतिक निर्णय और दूरदर्शिता द्वारा नियंत्रित न की जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। इसी प्रकार, लोग प्रायः बिना परिश्रम के सुख और संतोष की आकांक्षा करते हैं, किंतु अंततः उन्हें मरुस्थल में मृगतृष्णा की भाँति भ्रामक ही पाते हैं।

मुख्य भाग:

विवेक के बिना महत्वाकांक्षा

- व्याख्या:** महत्वाकांक्षा प्रगति और नवोन्मेष का प्रेरक तत्त्व है, परंतु यदि उसमें विवेक, नैतिक दिशा एवं दूरदृष्टि का समावेश न हो तो वह विनाशकारी परिणाम दे सकती है।
- उदाहरण:**
 - ऐतिहासिक:** नेपोलियन बोनापार्ट की अनियंत्रित महत्वाकांक्षा ने यूरोप को युद्धों, अस्थिरता और अंततः उसके पतन की ओर धकेल दिया।
 - समकालीन:** अनेक व्यावसायिक नेता जब केवल लाभ और विस्तार के लिये नैतिकता व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की उपेक्षा करते हैं, तो वे आर्थिक एवं सामाजिक संकटों को जन्म देते हैं।
- सीख:** महत्वाकांक्षा तभी सार्थक होती है जब यह विवेक, नियोजन और नैतिक आधार के साथ जुड़ी। ऐसी महत्वाकांक्षा ही अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक दिशा में रूपांतरित कर विनाश के बजाय निर्माण का माध्यम बनती है।

'परिश्रमविहीन संतोष'

- बिना परिश्रम के प्राप्त संतोष एक भ्रम है;** वास्तविक संतोष तभी संभव है जब वह कठोर परिश्रम, निरंतर प्रयास और व्यक्तिगत योगदान से उत्पन्न हो।
- उदाहरण:**
 - अनुशासित अध्ययन के बिना शैक्षणिक सफलता की आशा रखने वाले छात्र प्रायः असफलता का सामना करते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 जो समाज केवल विरासत में मिले विशेषाधिकारों या अनर्जित धन पर निर्भर रहते हैं, वे सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक रूप से जड़ एवं दिशाहीन हो जाते हैं।

❖ **सीख:** प्रयास स्थायी संतोष का आधार तैयार करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संतुष्टि वास्तविक और स्थायी हो।

संतुलित दृष्टिकोण:

❖ विवेक द्वारा निर्देशित महत्वाकांक्षा धारणीय और नैतिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है।

❖ परिश्रम से अर्जित संतोष वास्तविक आत्मसम्मान और तृप्ति प्रदान करता है।

उदाहरण:

🌀 महात्मा गांधी की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा नैतिक सिद्धांतों और सतत् परिश्रम से निर्देशित थी, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर गहन संतोष प्राप्त हुआ।

🌀 रतन टाटा जैसे उद्यमियों ने अपने उच्च लक्ष्यों को सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर प्रयास के साथ संयोजित कर सार्थक नवोन्मेष का उदाहरण प्रस्तुत किया।

निष्कर्ष:

जीवन हमें सिखाता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा या सहज संतुष्टि व्यक्तियों और समाजों को दिग्भ्रमित कर सकती है। जीवन में प्रेरणा, नैतिक निर्णय, प्रयास और संतुष्टि के बीच एक संवेदनशील संतुलन आवश्यक है। आज की तीव्र और प्रतिस्पर्धी दुनिया में महत्वाकांक्षा के साथ-साथ ज्ञान का विकास और समर्पित प्रयास से अर्जित संतोष ही व्यक्तिगत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत् सफलता की आधारशिला हैं।

जैसा कि अरस्तू ने बुद्धिमत्तापूर्वक कहा था, **“हम वही हैं जो हम बार-बार करते हैं। अतः उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक आदत है।”**

आगे बढ़ते हुए, व्यक्तियों और समुदायों को अपनी महत्वाकांक्षा को विवेक के साथ तथा अपने संतोष को परिश्रम के साथ संयोजित करना चाहिये, ताकि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण, नैतिकता-संपन्न एवं सार्थक योगदान से परिपूर्ण बन सके।

प्रश्न : कार्य में बाधाएँ कार्य को आगे बढ़ाती हैं। जो मार्ग में बाधा बनती है, वही मार्ग बन जाती है। (1200 शब्द)

परिचय:

जीवन में प्रायः ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जिनका सामना करना असंभव लगता है, फिर भी इतिहास बार-बार दर्शाता है कि यही बाधाएँ प्रगति के उत्प्रेरक बन सकती हैं। प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, **“मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो सफल नहीं हुए।”** विद्युत बल्ब का आविष्कार करते समय उनकी बार-बार की असफलताओं ने उन्हें विचलित नहीं किया; बल्कि, उन्होंने उनके दृष्टिकोण को परिष्कृत किया और अंततः मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी नवाचारों में से एक का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार, शासन, सामाजिक आंदोलनों और व्यक्तिगत जीवन में, बाधाएँ प्रायः सृजनशीलता, धैर्य एवं रणनीतिक क्रियाशीलता को प्रेरित करती हैं, जिससे राह में आने वाली बाधाएँ ही आगे बढ़ने का मार्ग भी बन जाती हैं।

मुख्य भाग:

❖ अवधारणा का अध्ययन:

🌀 **बाधा की परिभाषा:** ‘अवरोध’ या ‘बाधा’ वह तत्त्व है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में रुकावट उत्पन्न करता है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक, संरचनात्मक या तकनीकी स्वरूप का हो सकता है।

🌀 **बाधाएँ हमें सबक सिखाती हैं:** बाधाएँ हमें अनेक शिक्षाएँ भी देती हैं, जो धैर्य की परीक्षा लेती हैं, रचनात्मक चिंतन के लिये प्रेरित करती हैं तथा रणनीतिक योजना बनाने की क्षमता को विकसित करती हैं।

❖ दार्शनिक मूल:

🌀 **स्टोइकिज़्म:** मार्कस ऑरेलियस ने विपत्तियों का उपयोग आंतरिक शक्ति के निर्माण के साधन के रूप में करने पर बल दिया।

🌀 **भारतीय दर्शन:** भगवद्गीता में कर्मयोग का महत्त्व बताया गया है, जिसमें व्यक्ति बाधाओं के बावजूद निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 **विकास की मानसिकता/ग्रोथ माइंडसेट (कैरल ड्वेक):** असफलता और प्रतिरोध को अधिगम के अवसर के रूप में देखा जाता है।

❖ **ऐतिहासिक नेता और राजनेतृत्व:**

🌀 **महात्मा गांधी:** ब्रिटिश दमन और कारावास ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान की।

🌀 **अब्राहम लिंकन:** राजनीतिक असफलताओं ने दासप्रथा को समाप्त करने के उनके संकल्प को और दृढ़ किया।

❖ **विज्ञान और नवाचार:**

🌀 **थॉमस एडिसन:** विद्युत बल्ब का सफल आविष्कार करने से पहले हजारों असफलताओं का सामना करना पड़ा।

🌀 **NASA:** अंतरिक्ष अभियानों की असफलताओं ने सीख, नवाचार तथा अंततः अंतरिक्ष अन्वेषण में सफलता का मार्ग प्रशस्त किया।

❖ **सामाजिक आंदोलन:**

🌀 **नागरिक अधिकार आंदोलन (अमेरिका):** विधिक बाधाओं ने रणनीतिक संगठन और अनुशासनों को दृढ़ किया।

🌀 **भारत की हरित क्रांति:** उच्च उपज वाली फसल तकनीक के शुरुआती प्रतिरोध ने सावधानीपूर्वक योजना बनाने को विवश किया, जिससे कृषि क्षेत्र का रूपांतरण हुआ।

❖ **उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास:**

🌀 **संसाधन या नियामक चुनौतियों पर विजय पाने वाले स्टार्टअप** प्रायः अधिक कुशलता से नवाचार करते हैं।

🌀 **व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत सहनशीलता** बाधाओं को विकास के अवसरों में बदलने का उदाहरण है।

❖ **तंत्र: बाधाएँ कार्य को किस प्रकार आगे बढ़ाती हैं**

🌀 **रचनात्मक समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करना:** अभाव या प्रतिरोध नवाचार को प्रेरित करता है।

🌀 **समुत्थानशीलता का निर्माण:** चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने से चरित्र और दृढ़ संकल्प मजबूत होता है।

🌀 **रणनीतिक सोच को बढ़ावा:** बाधाएँ सावधानीपूर्वक योजना बनाने और अनुकूलन के लिये बाध्य करती हैं।

🌀 **छिपे हुए अवसरों को उजागर करना:** जो बाधा प्रतीत होती है, वह वैकल्पिक मार्ग खोल सकती है।

🌀 **सहयोग को प्रोत्साहित करना:** कई बाधाओं को पार करने के लिये टीम वर्क और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

🌀 **उदाहरण:**

🔍 कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवा सुधारों को गति दी।

🔍 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सौर और हरित हाइड्रोजन में नवाचार को उत्प्रेरित किया।

❖ **समकालीन प्रासंगिकता**

🌀 **शासन और नीति:** संसाधन या नियामक बाधाओं का सामना करने वाले नौकरशाह और नीति-निर्माता नवीन रणनीतियाँ विकसित करते हैं।

🌀 **शिक्षा और कौशल विकास:** अभिगम्यता या बुनियादी अवसंरचना में बाधाओं ने मापनीय डिजिटल शिक्षण समाधानों को जन्म दिया।

🌀 **पर्यावरण और संधारणीयता:** जलवायु नीति में चुनौतियाँ तकनीकी और सामाजिक नवाचार के अवसर उत्पन्न करती हैं।

❖ **प्रति-दृष्टिकोण**

🌀 **सीमाओं को स्वीकार करना:** सभी बाधाएँ स्वाभाविक रूप से अवसर उत्पन्न नहीं करतीं। कुछ दुर्गम या विनाशकारी हो सकती हैं।

🌀 **बाधाओं को प्रगति में बदलने के लिये एक सक्रिय मानसिकता, रणनीति और दृढ़ता की आवश्यकता** होती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने ठीक ही कहा था, “जो हमें नहीं मारता, वह हमें और मजबूत बनाता है,” यह हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक बाधा अपने भीतर विजय की संभावना समेटे होती है, जिससे जो प्रारंभ में हमारे मार्ग में अवरोध प्रतीत होता है, वही अंततः आगे बढ़ने

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



का मार्ग बन जाता है। अतः व्यक्तियों, समुदायों तथा राष्ट्रों को चाहिये कि वे समुत्थानशीलता, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सोच का विकास करें, ताकि वे **बाधाओं को नवोन्मेष एवं प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में देख सकें।**

प्रश्न : इतिहास तब आरंभ हुआ जब मनुष्यों ने देवताओं की कल्पना की और तब समाप्त होगा जब मनुष्य स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। (1200 शब्द)

परिचय:

जब आग की पहली चिंगारी ने आदिमानव की अंधेरी गुफा को रोशन किया, तो यह अस्तित्व की विजय से कहीं बढ़कर—विश्वास और जिज्ञासा का जन्म था। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट और मृत्यु के रहस्य से भयभीत मनुष्य ने उन शक्तियों को समझने के लिये देवताओं की कल्पना की, जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। सहस्राब्दियों बाद, वही जिज्ञासा वैज्ञानिकों को परमाणु विखंडित करने, जीन एडिट करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने की प्रेरणा देती है, ये ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें कभी दिव्यता से जोड़ा जाता था। इस प्रकार मानव की यात्रा—देवताओं की कल्पना से लेकर उनकी शक्तियों की आकांक्षा तक विस्मय एवं श्रद्धा से ज्ञान और निपुणता तक विस्तृत इतिहास के चक्र को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

मनुष्यों ने देवताओं की कल्पना की

- ❖ इतिहास का आरंभिक चरण इस तथ्य से परिभाषित होता है कि मनुष्य ने देवताओं की कल्पना की, जो भय और कल्पना दोनों का प्रतिबिंब था।
- ❖ **मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण:** प्रारंभिक मानव ने प्राकृतिक घटनाओं, मृत्यु और रोग के कारणों को समझने के लिये व्याख्या की खोज की। मिथकों और देवताओं ने अज्ञात को आकार दिया।
- ❖ **समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण:** साझा आस्थाओं ने सामाजिक एकता और नैतिक अनुशासन को जन्म दिया, जिसने कानूनों, प्रथाओं एवं सामुदायिक जीवन की नींव रखी।
- ❖ **राजनीतिक आयाम:** मित्र के फराओ से लेकर भारत और यूरोप के मध्ययुगीन राजाओं तक, शासक प्रायः सत्ता को वैध ठहराने के लिये दिव्य अधिकार का दावा करते थे।

- ❖ **सांस्कृतिक प्रभाव:** धार्मिक आख्यानों ने कला, साहित्य और स्मारकीय स्थापत्य कला को प्रेरित किया तथा जिससे आध्यात्मिकता एवं नैतिकता दैनिक जीवन में समाहित हो गई।

🌀 **उदाहरण:** भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन इस बात का उदाहरण हैं कि किस प्रकार आस्था एवं भक्ति ने नैतिक आचरण तथा सामाजिक सौहार्द का मार्ग प्रशस्त किया, जहाँ प्रेम, करुणा और सदाचार को जीवन का केंद्र माना गया।

मनुष्य का देवतुल्य बनना

- ❖ इतिहास के साथ मानव की जिज्ञासा और बुद्धि वैज्ञानिक कौशल में परिवर्तित हुई, जिसने उसे देवतुल्य शक्तियों का धारक बना दिया।
 - ❖ **तकनीकी प्रगति:** मनुष्य अब परमाणुओं को विखंडित कर सकते हैं, आनुवंशिक संरचनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित कर सकते हैं, जिससे जीवन, पदार्थ एवं ऊर्जा पर नियंत्रण हो सकता है।
 - ❖ **दार्शनिक परिवर्तन:** जहाँ कभी मनुष्य दिव्य अधिकार पर निर्भर था, अब वह तर्क और ज्ञान को ही वास्तविकता को समझने तथा उसे आकार देने का साधन मानता है।
 - ❖ **नैतिक दुविधाएँ:** शक्ति जितनी अधिक होती गई, उत्तरदायित्व भी उतना ही बढ़ा। नैतिक ढाँचे वैज्ञानिक नवाचारों की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिससे सुरक्षा, नैतिकता और जीवन के भविष्य से जुड़ी नई शंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
 - ❖ **उदाहरण:**
 - 🌀 **CRISPR तकनीक** मनुष्य को जीन एडिट करने की शक्ति देती है, जिससे 'ईश्वर की भूमिका निभाने' को लेकर नैतिक प्रश्न उठते हैं।
 - 🌀 कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करने लगी है, जिससे चेतना, नैतिकता और निर्णय-प्रक्रिया की परिभाषा पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है।
 - 🌀 परमाणु ऊर्जा सृजन और विनाश— दोनों की क्षमता का प्रतीक है, जो मानव द्वारा अर्जित देवतुल्य शक्ति का स्मरण कराती है।
- नैतिक और अस्तित्वगत चिंतन**
- ❖ देवताओं की कल्पना से देवतुल्य बनने तक की यात्रा केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि नैतिक और अस्तित्वगत भी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **शक्ति बनाम प्रज्ञा:** तकनीक ने अभूतपूर्व नियंत्रण तो दिया है, परंतु यदि यह नैतिक विवेक से रहित रहा तो विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।
- ❖ **मानवीय अस्मिता:** जब मनुष्य देवता बनने की आकांक्षा करता है, तब प्रश्न उठता है— क्या वह मानवीय रह सकता है? क्या करुणा, सहानुभूति और न्याय इस निपुणता के युग में भी जीवित रहेंगे?
- ❖ **भविष्य का प्रक्षेपवक्र:** संभव है कि इतिहास मानव की सर्वशक्तिमत्ता पर समाप्त न हो, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करे— जहाँ उत्तरदायित्व, संधारणीयता और नैतिक विवेक मानव सभ्यता के नए स्तंभ बनेंगे।

विपरीत-दृष्टिकोण:

- ❖ 'देवतुल्य बनना' इतिहास का अंत नहीं, बल्कि नैतिकता और प्रज्ञा द्वारा निर्देशित नए विकास की शुरुआत भी हो सकता है।
- ❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीन प्रौद्योगिकी जैसी शक्तियों का उपयोग प्रभुत्व के लिये नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिये किया जा सकता है।
- ❖ संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित कर हम संसाधनों पर नियंत्रण रखते हुए भी पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं।
- ❖ करुणा और नैतिक तर्कबुद्धि वैज्ञानिक नवाचारों को ऐसी दिशा दे सकती है जो असमानता, गरीबी एवं पीड़ा को कम करे।

निष्कर्ष:

अंततः मानवता की कहानी — देवताओं की कल्पना से लेकर देवतुल्य शक्तियों की खोज तक हमारी अर्थ, ज्ञान और निपुणता की सतत खोज का प्रतीक है। जैसा कि युवाल नोआ ह्यारी ने *Homo Deus* में कहा है, “जब तकनीक हमें मानव मस्तिष्क को पुनः संयोजित करने की अनुमति देगी, तब होमो सेपियन्स लुप्त हो जाएगा, मानव इतिहास का अंत होगा तथा एक नई प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसे आप और हम समझ भी नहीं सकेंगे।”

यह कथन इंगित करता है कि जब मनुष्य असीम शक्ति अर्जित करता है, तब सबसे बड़ी चुनौती होती है— उसका विवेकपूर्ण और नैतिक उपयोग। वास्तविक प्रगति उसी में निहित है कि हम तकनीकी कौशल और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करें,

ताकि हमारी देवतुल्य क्षमताएँ जीवन, समाज एवं पृथ्वी की सेवा में प्रयुक्त हों।

प्रश्न : “व्यक्ति कोई पूर्व-निर्धारित इकाई नहीं है; वह शक्ति संबंधों के माध्यम से निर्मित होता है।” (1200 शब्द)

परिचय:

कल्पना कीजिये एक युवा लड़की की, जो एक छोटे भारतीय गाँव में रहती है। जन्म से ही उसके व्यवहार, चुनाव और आकांक्षाएँ परिवारिक मानदंडों, जातिगत अपेक्षाओं, विद्यालय शिक्षा एवं सामाजिक नियमों द्वारा सूक्ष्म रूप से आकार ग्रहण करती हैं। यहाँ तक कि उसकी आत्म-संवेदना— अर्थात् “वह क्या हासिल कर सकती है” भी इन संरचनाओं से प्रभावित होती है। यह दर्शाता है कि ‘व्यक्ति’ पूर्ण रूप से स्वतः विकसित होकर जन्म नहीं लेता, बल्कि समाज में अंतर्निहित शक्ति/सत्ता संबंधों द्वारा निर्मित और विकसित होता है।

मुख्य भाग:

संकल्पना की व्याख्या:

- ❖ ‘शक्ति संबंधों के माध्यम से निर्मित’ होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी पहचान समाज, संस्थाओं, नियमों एवं प्रथाओं द्वारा बनाए गए शक्ति-संजालों के तहत उत्पन्न होती है।
- ❖ **मिशेल फूको का दृष्टिकोण:** सैद्धांतिक उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को स्वायत्त और स्वतंत्र मानती है। हालाँकि, आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत, विशेषकर मिशेल फूको, यह मानते हैं कि आत्म का निर्माण और व्यक्तित्व सत्ता के संजाल— विचारधाराएँ, संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं।

🌀 शक्ति/सत्ता केवल दमनकारी नहीं होती, बल्कि यह उत्पादक भी होती है। यह पहचान, मानदंड और सामाजिक भूमिकाओं को आकार देती है।

सैद्धांतिक आधार

- ❖ **जूडिथ बटलर:** पहचान, विशेष रूप से लैंगिक निर्धारण, सामाजिक मानदंडों के लगातार प्रदर्शन के माध्यम से निर्मित होती है।
- ❖ **एंटोनियो ग्राम्स्की:** सांस्कृतिक आधिपत्य चेतना को आकार देता है, यह दर्शाता है कि प्रभुत्वशाली विचारधाराएँ किस-प्रकार व्यक्ति की आत्म-संवेदना को गढ़ती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामाजिक संस्थाओं में शक्ति/सत्ता

- ❖ **परिवार:** यह सामाजिकरण का प्राथमिक स्थल है। परिवार व्यवहार, लैंगिक भूमिकाएँ और कर्तव्य निर्धारित करते हैं।
- 🌀 उदाहरण के लिये, कई पितृसत्तात्मक समाजों में, लड़कियों को कैरियर की तुलना में घरेलू जीवन को प्राथमिकता देने के लिये सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को नेतृत्व और जोखिम उठाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- ❖ **शिक्षा प्रणाली:** विद्यालय अनुशासन, पदानुक्रम और परीक्षाओं के माध्यम से 'विनम्र व्यक्तित्व' का निर्माण करते हैं।
- 🌀 **पाठ्यक्रम** यह निर्धारित करता है कि कौन-सा ज्ञान मान्य है, जो न केवल बुद्धि बल्कि मूल्यों और आकांक्षाओं को भी आकार देता है।
- 🌀 उदाहरण के लिये, कुलीन स्कूलों में योग्यता आधारित प्रणालियाँ शैक्षणिक सफलता से जुड़ी आत्म-मूल्य की भावना जागृत करती हैं, जबकि हाशिये पर रहने वाले बच्चे बहिष्कार को आत्मसात कर सकते हैं।
- ❖ **धर्म और संस्कृति:** धार्मिक सिद्धांत एवं सांस्कृतिक मानदंड भूमिकाएँ और व्यवहार निर्धारित करते हैं।
- 🌀 जाति-प्रधान समाजों में, व्यक्तियों की आत्म-धारणा और कैरियर के विकल्प सदियों पुराने सामाजिक पदानुक्रमों से प्रभावित होते हैं, जो स्वयं के निर्माण में शक्ति की सूक्ष्म, व्यापक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं।

राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में शक्ति

- ❖ **विधि और शासन:** राज्य कानून, निगरानी और नागरिक मानदंडों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है। नागरिकों की पहचान नागरिक कर्तव्यों, अधिकारों और संस्थागत नियमों के माध्यम से आकार लेती है।
- 🌀 उदाहरण के लिये, तानाशाही शासन में रहने वाले नागरिक आज्ञाकारिता और आत्म-संयम को आत्मसात कर लेते हैं, जो राजनीतिक सत्ता द्वारा व्यक्ति की आत्म-संवेदना को आकार देने का उदाहरण है।
- ❖ **आर्थिक प्रणालियाँ:** पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ व्यक्ति की आकांक्षाओं और जीवनशैली को आकार देती हैं।

- 🌀 उपभोक्ता संस्कृति, विज्ञापन और कार्य पदानुक्रम इच्छाओं एवं आत्म-अवधारणाओं का निर्माण करते हैं।
- 🌀 एक युवा पेशेवर पूरी तरह से आय और भौतिक संपत्ति के संचय के माध्यम से सफलता को परिभाषित कर सकता है, जो आर्थिक संरचनाओं की संरचनात्मक शक्ति को दर्शाता है।

समकालीन डिजिटल क्षेत्रों में शक्ति

- ❖ 21वीं सदी में, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया शक्ति के नए क्षेत्र बन गए हैं। एल्गोरिदम, इम्प्लुएंसर संस्कृति और डिजिटल मॉनिटरिंग, विचारों, मूल्यों एवं आत्म-धारणा को सूक्ष्म रूप से आकार देते हैं।
- ❖ सोशल मीडिया न केवल व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि आत्म-प्रदर्शन को भी आकार देता है, जिसका आकलन लाइक, फॉलोअर और ऑनलाइन मान्यता के माध्यम से किया जाता है।
- ❖ यहाँ शक्ति विकेंद्रीकृत, परंतु अत्यधिक उत्पादक भी है, जो वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों को आकार देती है।

विपरीत दृष्टिकोण

- ❖ कुछ लोग तर्क देते हैं कि व्यक्तियों में शक्ति संरचनाओं का विरोध करने की क्षमता और स्वायत्तता होती है।
- ❖ यद्यपि व्यक्ति शक्ति से प्रभावित होते हैं, तथापि उनकी सक्रियता और क्षमता सीमाओं के भीतर मौजूद रहती है। ऐतिहासिक उदाहरण जैसे: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन या वैश्विक नारीवादी आंदोलन दर्शाते हैं कि व्यक्ति शक्ति संरचनाओं का विरोध कर सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं और उनका परिवर्तन कर सकते हैं।
- ❖ डिजिटल स्पेस में भी, ज़मीनी स्तर की सक्रियता या मुखबिर/व्हिसलब्लोअर यह प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति निष्क्रिय प्राप्तकर्ता ही नहीं, बल्कि सत्ता के गठन और उससे लड़ने में सक्रिय भागीदार होते हैं।

निष्कर्ष:

व्यक्ति न तो स्वायत्त है और न ही पूर्व-प्रदत्त; बल्कि वह स्वयं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी शक्ति संबंधों के माध्यम से उभरता है। जहाँ ये संरचनाएँ विश्वासों, विकल्पों और आकांक्षाओं को आकार देती हैं, वहीं व्यक्ति इनका प्रतिरोध करने

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



तथा इनमें परिवर्तन की क्षमता रखता है। व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये समाजों को सहभागी संस्थाओं के साथ-साथ समालोचनात्मक विचार, समावेशिता और एथिकल डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिये। ताकि व्यक्ति केवल सत्ता द्वारा निर्मित न होकर, सत्ता की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर उन्हें पुनः आकार दे सके।

प्रश्न : यदि अनुभव सिद्धांत से रहित हो तो वह दिशाहीन हो जाता है, वहीं अनुभव के बिना सिद्धांत केवल बौद्धिक अभ्यास बनकर रह जाता है। (1200 शब्द)

परिचय:

कल्पना कीजिये कि एक युवा अभियंता सिविल इंजीनियरिंग के सिद्धांतों की सलाह लिये बिना केवल व्यक्तिगत प्रयास और अनुभव के आधार पर एक पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में पुल के ढहने की संभावना है, जो यह दर्शाता है कि अनुभव बिना सिद्धांत के अंधा अर्थात् व्यर्थ होता है। इसके विपरीत, यदि कोई विद्वान दशकों तक पुल निर्माण पर ग्रंथ लिखता रहे लेकिन कभी व्यावहारिक तकनीकों का अवलोकन या प्रयोग न करे, तो ज्ञान केवल सैद्धांतिक और असंबद्ध रह जाता है। यह सिद्ध करता है कि सिद्धांत और अनुभव का अभिन्न संबंध है, जहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक और मान्य होते हैं।

मुख्य भाग:

❖ सिद्धांत रहित अनुभव:

- ⦿ अंतर्निहित सिद्धांतों को समझे बिना केवल अभ्यास ही त्रुटियों का कारण बन सकता है।
- ⦿ उदाहरण: चिकित्सा ज्ञान के बिना प्रयोगात्मक उपचार करने वाला डॉक्टर रोगी के स्वास्थ्य को जोखिम में डालता है।
- ⦿ उदाहरण: मृदा विज्ञान को समझे बिना पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने वाले किसानों की उपज कम हो सकती है।

❖ अनुभव रहित सिद्धांत:

- ⦿ सैद्धांतिक ज्ञान बिना व्यावहारिक प्रयोग के केवल अनुमानित रह जाता है।
- ⦿ उदाहरण: ग्रामीण आय के पैटर्न का पूर्वानुमान करने वाले आर्थिक मॉडल, यदि वास्तविक डेटा के साथ परीक्षण न किये जाएँ, तो असफल हो सकते हैं।

⦿ उदाहरण: इंजीनियर या वास्तुकार यदि डिजाइन सिद्धांतों का अध्ययन करें, लेकिन निर्माण अनुभव न हो, तो वे व्यवहार में अप्रयुक्त संरचनाएँ डिजाइन कर सकते हैं।

❖ सिद्धांत और अनुभव का एकीकरण:

- ⦿ सिद्धांत प्रयोग का मार्गदर्शन करता है; अनुभव सिद्धांत को परिष्कृत करता है।
- ⦿ उदाहरण: न्यूटन के नियम अवलोकन और प्रयोग से विकसित हुए।
- ⦿ उदाहरण: नीति-निर्माता सैद्धांतिक ढाँचों पर निर्भर रहते हैं लेकिन क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के आधार पर नीतियों में संशोधन करते हैं।
- ⦿ उदाहरण: AI एल्गोरिदम सैद्धांतिक मॉडलों के आधार पर विकसित होते हैं लेकिन प्रशिक्षण और सटीकता के लिये वास्तविक डेटा आवश्यक है।

निष्कर्ष:

केवल सिद्धांत या केवल अनुभव से सार्थक ज्ञान या प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है। सिद्धांत रहित अनुभव भ्रामक हो सकता है, जबकि अनुभव रहित सिद्धांत केवल सैद्धांतिक और वास्तविकता से अलग रहता है। सिद्धांत को वास्तविकता के साथ निरंतर परखने तथा अनुभव को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार करने से व्यक्तियों और समाजों को सूचित, प्रभावी एवं सतत् परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

प्रश्न : संधारणीयता (Sustainability) केवल हानि को न्यूनतम करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह अधिक लाभ सुनिश्चित करने का विषय बन गई है। (1200 शब्द)

परिचय:

जब वांगारी माथाई ने 1970 के दशक में केन्या में पेड़ लगाने की शुरुआत की, तब लोगों ने उनके प्रयासों का उपहास उड़ाया, तो उन्हें लगा कि यह वनों की अंधाधुंध कटाई के तेज़ी से बढ़ते संकट के समक्ष एक तुच्छ और महत्वहीन कार्य है। किंतु दशकों बाद, उनके 'ग्रीन बेल्ट मूवमेंट' ने न केवल लाखों पेड़ों को पुनर्स्थापित किया, बल्कि स्थानीय पारितंत्रों को पुनर्जीवित किया और ग्रामीण

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



महिलाओं को सशक्त बनाया। माथाई का कार्य एक गहरी सच्चाई का प्रतीक था— “संधारणीयता का तात्पर्य केवल हानि को रोकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पहले से हुई क्षति की पूर्ति करने और पुनर्जीवित करने की दृष्टि है।” यह उस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि हमें केवल बुराई को कम नहीं करना है, बल्कि उससे कहीं अधिक भलाई करनी है।

मुख्य भाग:

दृष्टिकोण में परिवर्तन की समझ

- ❖ पारंपरिक दृष्टिकोण: प्रदूषण कम करने, अपशिष्ट को न्यून करने या ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित अर्थात् प्रतिक्रियात्मक एवं रक्षात्मक दृष्टि।
- ❖ आधुनिक दृष्टिकोण: पुनर्योजी (Regenerative) प्रथाओं, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy), हरित नवाचार और सामाजिक सशक्तीकरण पर आधारित अर्थात् सक्रिय एवं रूपांतरकारी दृष्टि।
- ❖ यह दृष्टिकोण वैश्विक लक्ष्यों जैसे: संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (UN SDGs), पेरिस समझौता और एजेंडा 2030 से गहराई से जुड़ा है।

“अधिक भलाई करने” के आयाम

- ❖ पर्यावरणीय आयाम:
 - 🌀 कार्बन उत्सर्जन घटाने से आगे बढ़कर ‘कार्बन अवशोषण’ (Carbon sequestration) की दिशा में प्रयास, जैसे: वनीकरण, बायोचार आदि।
 - 🌀 अपशिष्ट को न्यून करने से आगे बढ़कर चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण अर्थात् पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण एवं पुनर्जनन।
 - 🌀 भारत का मिशन LiFE, स्वच्छ भारत मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।
- ❖ आर्थिक आयाम:
 - 🌀 हरित उद्यमिता, संवहनीय वित्त और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना।
 - 🌀 उदाहरण: ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युत वाहन (EV) पारितंत्र, सौर ऊर्जा पार्क तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से संधारणीयता को बढ़ावा देना।

सामाजिक आयाम:

- 🌀 स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को प्रोत्साहन देना।
- 🌀 उदाहरण: स्वयं सहायता समूह, महिलाओं द्वारा संचालित नवीकरणीय ऊर्जा पहल और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम।
- 🌀 मानव विकास को संवहनीयता के साथ एकीकृत करना।

नैतिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण:

- ❖ संवहनीयता को भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्व के रूप में देखना (अंतर-पीढ़ीगत समानता)।
- ❖ ‘मानव-केंद्रित’ (Anthropocentric) दृष्टिकोण से आगे बढ़कर ‘प्रकृति-केंद्रित’ (Ecocentric) दृष्टि अपनाना अर्थात् प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व।
- ❖ गांधीवादी विचार का प्रतिबिंब: “पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है, पर हर व्यक्ति के लालच को नहीं।”

‘सकारात्मक सततता’ के व्यवहारिक चुनौतियाँ:

- ❖ अल्पकालिक आर्थिक हितों और दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभों के बीच टकराव।
- ❖ नीति असंगति, जागरूकता की कमी और प्रवर्तन की अकुशलता।
- ❖ व्यवहार परिवर्तन और नवोन्मेषी शासन मॉडल की आवश्यकता।

आगे की राह:

- ❖ पुनर्योजी कृषि, ‘नेट-पॉजिटिव’ स्थापत्य कला, हरित रोजगार और प्रकृति-आधारित समाधान को बढ़ावा देना।
- ❖ सतत् नवाचार के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- ❖ संधारणीयता-केंद्रित मानसिकता के लिये शिक्षा और नैतिक चेतना को सशक्त करना।

निष्कर्ष:

अतः, वास्तविक संधारणीयता केवल क्षति की पूर्ति या नियंत्रण करने की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक रूपांतरणकारी दृष्टि है जिसके माध्यम से मानव प्रगति और पृथ्वी के कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह शोषण से पुनर्जनन की ओर, उपभोग से संरक्षण की ओर और अल्पकालिक लाभ से अंतर-

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पीढ़ीगत समानता की ओर एक नैतिक परिवर्तन की माँग करती है। वांगारी माथाई की विरासत हमें यह स्मरण कराती है कि “सतत् भविष्य का निर्माण पारितंत्रों का पोषण कर, समुदायों को सशक्त बना कर और विकास को विनाश नहीं, बल्कि नवीकरण एवं सामंजस्य की शक्ति बना कर अधिक भलाई करने से ही संभव है।”

प्रश्न : पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (म्यूचुअल अश्योर्ड डेस्ट्रक्शन) स्वयं में एक विरोधाभास है, क्योंकि यह विनाश की संभावना सुनिश्चित करके ही शांति की रक्षा करता है। (1200 शब्द)

परिचय:

पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (Mutual Assured Destruction: MAD) शीत युद्ध के दौरान एक ऐसी सामरिक अवधारणा के रूप में उभरा जिसने यह प्रतिपादित किया कि यदि दो शत्रु राष्ट्र ऐसे परमाणु अस्त्र रखते हों जो एक-दूसरे का पूर्ण विनाश कर सकते हों, तो उनमें से कोई भी युद्ध प्रारंभ नहीं करेगा। यह सिद्धांत निवारक सिद्धांत (न्यूक्लियर डेटरेंस) की उस तर्कसंगति पर आधारित है जहाँ शांति नैतिक संयम या अंतर्राष्ट्रीय विधि से नहीं बल्कि विनाशकारी प्रतिशोध की निश्चितता से बनी रहती है।

भय के माध्यम से शांति का यह विरोधाभास आधुनिक युद्ध की नैतिक, राजनीतिक और दार्शनिक दुविधा को परिभाषित करता है कि क्या संपूर्ण विनाश के खतरे से स्थायी शांति की स्थापना संभव है?

मुख्य भाग

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- इस विचार की उत्पत्ति हिरोशिमा और नागासाकी (वर्ष 1945) के बाद हुई तथा इसे अमेरिका-सोवियत शीत युद्ध के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।
- जॉन वॉन न्यूमैन और थॉमस शेलिंग जैसे विद्वानों ने गेम थ्योरी का प्रयोग निरोध के विश्लेषण में किया।
- क्यूबा मिसाइल संकट (1962): परमाणु वृद्धि के भय से संरक्षित शांति- पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) की प्रभावशीलता का प्रतीक।

नैतिक आयाम

- कांट की नैतिकता:** विनाश की धमकी मानव गरिमा का उल्लंघन करती है; क्योंकि किसी लक्ष्य (साध्य) को प्राप्त करने के लिये

यदि हम ऐसे उपाय अपनाते हैं जो नैतिक रूप से गलत हों, तो वह लक्ष्य भी नैतिक नहीं माना जा सकता।

- न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत: आनुपातिकता और भेदभाव का उल्लंघन; अंधाधुंध विनाश।
- उपयोगितावाद: निवारण युद्ध को टालता है लेकिन स्थायी भय और आर्थिक का कारण बनता है।
- गांधीवादी नैतिकता: सच्ची शांति अहिंसा और नैतिक निरस्त्रीकरण पर आधारित है, न कि जबरदस्ती पर।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

- यथार्थवाद (Realism - मॉर्गेन्थाउ, वॉल्ट्ज़): राज्य अपने अस्तित्व के लिये कार्य करते हैं; परमाणु निरोध स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- उदारवाद (Liberalism - रॉल्स, विल्सन): शांति सहयोग और न्याय से सुनिश्चित होती है; पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) नैतिकता को गणना में बदल देता है।
- संरचनावाद (Constructivism - वेन्ड्ट): निरोध सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है; मान्यताएँ और मूल्य शांति की परिभाषा को बदल सकते हैं।
- नारीवादी नैतिकता (Cohn, Enloe): पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) पितृसत्तात्मक तर्क का प्रतीक है जो 'देखभाल' और 'सहानुभूति' के बजाय शक्ति का महिमामंडन करता है।

व्यावहारिक उदाहरण

- अमेरिका-सोवियत संघ: प्रत्यक्ष युद्ध टला, परंतु हथियारों की दौड़ और प्रॉक्सी संघर्ष बढ़े।
- भारत-पाकिस्तान: वर्ष 1998 की परमाणुकरण के बाद प्रत्यक्ष युद्ध टले, पर सीमित संघर्ष (कारगिल 1999, बालाकोट 2019) हुए।
- अमेरिका-उत्तर कोरिया (2017-18): परमाणु विनाश के भय ने कूटनीति की जगह ले ली, जो संवाद के माध्यम से शांति का प्रदर्शन करती है।
- रूस-यूक्रेन (2022 से जारी): परमाणु निवारण नाटो के हस्तक्षेप को रोकता है, लेकिन आक्रामकता को बढ़ावा देता है, यह नैतिक जोखिम है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मानवीय एवं पर्यावरणीय नैतिकता

- ❖ पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) युद्ध की पीढ़ी-दर-पीढ़ी और पारिस्थितिक नैतिकता की उपेक्षा करता है।
- ❖ पूर्ण पैमाने पर परमाणु विध्वंस के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम होंगे:
 - ⊙ परमाणु शीतकाल, कृषि और पारिस्थितिक तंत्रों का विनाश।
 - ⊙ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत।
 - ⊙ भविष्य की पीढ़ियों पर रेडियोधर्मी विनाश का बोझ।
- ❖ दार्शनिक हांस जोनास ने अपनी पुस्तक “द इम्पेरेटिव ऑफ रिसॉन्सिबिलिटी” (1979) में तर्क दिया है कि आधुनिक नैतिकता को मानवीय कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिये। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) पृथ्वी को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचाने की संभावना के साथ उस नैतिक उत्तरदायित्व में असफल सिद्ध होता है जो मानवता के प्रति दीर्घकालिक संरक्षण की माँग करता है।
- ❖ वैश्विक संधियाँ और विकल्प
 - ⊙ NPT (1968): परमाणु प्रसार को रोकता है लेकिन परमाणु राष्ट्रों के बीच नैतिक असमानता उत्पन्न करता है।
 - ⊙ CTBT (1996) और TPNW (2017, ICAN नोबेल 2017): निवारण से निरस्त्रीकरण की ओर नैतिक कदम।
 - ⊙ संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945): नैतिक विकल्प के रूप में सामूहिक सुरक्षा।
 - ⊙ मानव सुरक्षा (UNDP 1994): सैन्य निवारण से परे शांति को पुनर्प्राप्त करता है।
- ❖ विचारक और नैतिक आवाज़ें
 - ⊙ आइंस्टीन: उन्होंने चेतावनी दी, “हमारी सोच परमाणु युग के साथ नहीं बदली है।” उन्होंने अतिराष्ट्रीय शासन की अनुशंसा की।

- ⊙ बर्ट्रैंड रसेल: परमाणु निरोध को “सामूहिक पागलपन” कहा।
- ⊙ पोप फ्रांसिस (2021): उन्होंने परमाणु अस्त्र के स्वामित्व को भी अनैतिक घोषित किया।
- ⊙ अमर्त्य सेन: सच्ची शांति ‘न्याय की उपस्थिति’ के बराबर है, युद्ध की अनुपस्थिति के तुल्य नहीं।
- ⊙ नेल्सन मंडेला: “साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है।”
- ❖ आगे के नैतिक मार्ग
 - ⊙ भय-आधारित सुरक्षा के स्थान पर गांधीवादी अहिंसा और नैतिक कूटनीति को अपनाना।
 - ⊙ विश्वास-निर्माण उपाय (CBM): न्यू स्टार्ट (अमेरिका-रूस), भारत-चीन सीमा प्रोटोकॉल।
 - ⊙ सहानुभूति, न्याय और मानव गरिमा पर आधारित वैश्विक नैतिक नेतृत्व का विकास।

निष्कर्ष:

पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) आधुनिक काल का परम नैतिक विरोधाभास है। यह एक ऐसी शांति है जो मृत्यु के भय पर आधारित है। इससे बड़े युद्धों को टालने में सहायता की है, पर नैतिकता और वैश्विक विश्वास की कीमत पर।

सच्ची शांति भय से नहीं, बल्कि नैतिक कल्पना, सहानुभूति और न्याय से आती है, जो हथियारों के साथ-साथ मन को भी निरस्त्र करने का एक साहस है।

जैसा कि अल्बर्ट श्वाइत्जर ने कहा था, “नैतिकता जीवन के प्रति श्रद्धा है।”

निरोध के स्थान पर विवेक और प्रभुत्व के स्थान पर सहयोग को अपनाना ही मानवता का एकमात्र मार्ग है जिससे एक न्यायपूर्ण एवं स्थायी विश्व-व्यवस्था की स्थापना हो सकती है।

**दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें**

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

